खण्ड-113, अंक-4
शुक्रवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1874
(5 दिसम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 113 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान मण्डल
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्त्तजा हुसैन, श्री
इसराइल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहनराम, श्री
पुलिन विहारी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनेराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ारूक़ी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडे, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१--३--श्री सत्यानन्द (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २६६ पर] ।

*४-५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला ननीताल)--[२६ दिसम्बर, १९५२ के लिए स्थगित किये गये]

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन तथा महंगाई भत्ता

*६--श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के वेतनक्रम में अन्तर क्यों रखा गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--अन्तर दोनों प्रकार के स्कूलों के अध्यापकों के सेवा प्रतिबन्ध के कारण है ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अध्यापकों के सेवा प्रतिबन्ध का क्या अर्थ है ?

डाक्टर सीताराम--सेवा प्रतिबन्ध का यह अर्थ है कि जैसा सर्विस रेगुलेशंस में दिया गया है उसी के अनुसार अगर उनकी योग्यता पायी गयी तो उसी के अनुसार उनका वेतन भी मुक़र्रर किया गया ।

श्री शिवनारायण--जो अध्यापक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीटयूशंस के होते हैं दोनों यदि एम० ए०, एल० टी० होते हैं तब भी उन दोनों के वेतनक्रम में अन्तर क्यों होता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--चूंकि सरकारी संस्थाओं के रिक्रूटमेंट पर सरकारी कंट्रोल होता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के रिक्रूटमट पर कंट्रोल नहीं होता है इसलिये यह अन्तर है ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार को मालूम है कि प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापकों को वेतन मिलता है उसका एक भाग अनिवार्य रूप से दान में उन संस्थाओं द्वारा ले लिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सम्भव है, ऐसा होता हो, लेकिन कोई सरकारी सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि एजूकेशन कोड के अन्तर्गत राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के लिये एक ही ग्रेड है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नहीं। उस संबंध में पे कमेटी की रिपोर्ट है। उसके अनुसार सरकारी स्कूलों का वेतनक्रम दूसरा है और एडेड इंस्टीटयूशंस का वेतनक्रम दूसरा है।

*७--श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी स० प्र० उ० मा० विद्यालयों के अध्यापकों के लिए मंहगाई की दर सरकार द्वारा नियत की गई है ? यदि हां, तो किस दर पर ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। ७० रु० तक वेतन पाने वाले अध्यापकों को १० रु० प्रतिमास (५ रु० शासन की ओर से और ५ रु० प्रबन्ध समिति की ओर से) और ७० रु० से अधिक वेतन पाने वाले अध्यापकों को मंहगाई फ़ीस से, जो विद्यार्थियों से ली जाती है मंहगाई भत्ता दिया जाता है, परन्तु इसका कोई दर निर्धारित नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थियों से मासिक ज्यादा फ़ीस ली जाती है, मंहगाई भत्ता देने के लिये उसको सरकार बन्द करने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसी से तो इंस्टीटयूशन्स के टीचर्स को मंहगाई का भत्ता दिया जाता है।

*८--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २६७ पर।)

* * * *

सेवाग्राम की नई तालीम योजना के संबंध में सरकार की नीति

*१--श्री सत्यानन्द (अनुपस्थित)--(क) क्या ८ वें नई तालीम सम्मेलन सेवाग्राम में सम्मिलित होने का निमंत्रण इस प्रदेश की सरकार के पास सेवाग्राम से आया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि उक्त सम्मेलन में सम्मिलित हुआ ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

*२--श्री सत्यानन्द (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इसके पिछले सम्मेलनों में अपना प्रतिनिधि भेजा था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार उस व्यक्ति का नाम तथा पद बदलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--डा० पचौरी।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--मैंने पद भी पूछा था।

श्री हरगोविन्द सिंह--ओ० एस० डी० टेक्स्ट बुक्स।

*३--श्री सत्यानन्द (अनुपस्थित)--(क) क्या नई तालीम के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी कोई नीति निश्चित की है ?

(ख) यदि हां, तो उसके अनुसार क्या योजना बनायी गयी या अमल में लायी जा रही है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १--३ श्री ब्रजविहारी मिश्र ने पूछे।

डाक्टर सीताराम--(क) जी हां ।

(ख) प्रदेश के सभी आरम्भिक (प्राइमरी) स्कलों में नई तालीमी योजना के अनुसार शिक्षा दी जा रही है ।

* * * *

आगरा जिले में डाकुओं का आतंक

*८--श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत अक्टूबर माह में आगरे जिले में कितने व्यक्तियों को डाकू उठा कर ले गये और उन्हें ढूंढने का क्या प्रयत्न किया गया ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अक्टूबर सन् १९५२ में आगरे जिले में ३ व्यक्तियों को डाकू उठा कर ले गये। उन्हें ढूंढने के लिये पुलिस ने भरसक प्रयत्न किया। जगह-जगह पर डाकुओं पर छापे मारे गये। मध्य भारत और राजस्थान के पुलिस अफसरों का भी सहयोग प्राप्त किया गया। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप उन तीनों व्यक्तियों को डाकुओं ने छोड़ दिया।

जमींदारी उन्मूलन के बाद भी विभिन्न ज़िलों में अत्याचारों के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने भेजा है। वह जमींदारी उन्मूलन हो जाने के बाद भी जो हर जिले में अत्याचार हो रहे हैं, आदि के ऊपर विचार करने के लिये इस सदन का कार्य स्थगित करन का प्रस्ताव है। यह बहुत अनिश्चित सा है और मैं समझता हूं कि बहुत अत्यावश्यक यानी अरजेंट भी नहीं है। इसलिये मैं इसकी मंजूरी नहीं देता हूं कि वह यहां पश किया जाय।

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४२ (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (परगना कसवार राजा) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखना

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मैर्य)--मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (परगना कसवार राजा) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मज पर रखता हूं।

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५२ की धारा ३४२ (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (द्वितीय) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखना

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका पसाद मैर्य)--मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (द्वितीय) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

मोटर वेहिकिल्स, ऐक्ट १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के रूल ७२ में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज पर रखना

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मैर्य)--मैं, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के रूल ७२ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

नोट --तारांकित प्रश्न ८ श्री दीनदयालु शास्त्री ने पूछा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न है) क्या माननीय सभा सचिव जी माननीय परिवहन मंत्री की ओर से मेज पर रख भी सकते है ?

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय परिवहन मंत्री ने माननीय सभासचिव जी को इजाजत दी थी कि वह मेज पर रखें ?

श्री द्वारका प्रसाद मैथ*--जी हां।

श्री अध्यक्ष--केवल माननीय सभासचिव ही नहीं, अगर माननीय नारायणदत्त जो को भी इजाजत मिल जाय तो वह भी पेश कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या लिखी हुई इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष--यहां पर कोई अदालत तो है नहीं। माननीय सदस्यों के कहे हुए पर विश्वास किया जाता है और विश्वास के ही ऊपर यह सदन चलता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परिवहन मंत्री द्वारा जो अभी मेज पर रखने की बात हुई है, उसकी कापी तो मेज पर है नहीं।

श्री अध्यक्ष--किसी और माननीय सदस्य की मेज पर यह प्रतिलिपि नहीं है ? कोई आवाज नहीं आई। तो शायद गलती से माननीय बहुगुना जी की मेज पर न हो। अभी भेजवा दी जाती है।

*जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

खंड ७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ पर विचार जारी रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमान्, कल मेरे संशोधन का विरोध करते हुए माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो निवेदन किया, उसमें उनका सब से प्रमुख आक्षेप या अपत्ति इस प्रकार थी कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है तो कब्जा तो उसका हो ही जायगा, उसका नाम तो इंदराज में हो ही जायगा। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब खाते में खेती करता चला आ रहा है तो इस धारा ६ के नक्शे के अनुसार "उन सभी व्यक्तियों को जो भूमि पर खेती करते हों....." लेकिन श्रीमान् माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल ही गलत हवाला दिया, क्योंकि यह धारा ६ की उपधारा (२) में जो कुछ लिखा गया है, उन सभी का एक रजिस्टर होगा।

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मैथ)--धारा ६ नहीं, धारा ७ की उपधारा (२) देखिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो यह तो अभिलेखों से संबंधित है और इसमें सब से बड़ी बात जो है, वह यह कि वह अभिलेख जो विवाद के संबंध में है। मेरे संशोधन का "विवाद" नामक शब्द उन्होंने नहीं पढ़ा कि, "किसी विवाद के होते हुए भी"। कोई काश्तकार खेती करता चला आ रहा है तो इंदराज के मौके पर क्या विवाद नहीं खड़ा होता। मैंने तो देखा है कि जहां १०, १० और १२, १२ साल तक काबिज हैं वहां भी एतराज

---

*१३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

करने वाल पैदा हो जाते हैं कि यह खेत हमारा है। भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है। तो यहां पर तो प्रश्न है कि अगर विवाद खड़ा होता है तब! अगर नहीं होता है, तब तो इंदराज हो ही जायगा। मेरा प्रतिबन्ध अगर दोबारा मंत्री जी पढ़ें तो स्पष्ट लिखा है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रिकार्ड आफिसर उक्त काश्तकार को हर हालत में" मैं इन दो शब्दों पर ज्यादा जोर देता हूं। और विवाद की बात तो स्वयं धारा ७ में रखी हुई कि, "यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पशल रेकार्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने म असमर्थ हो....."।

दूसरी बात जो मंत्री जी ने कहा कि "कब्जा देगा" क्योंकि मेरे संशोधन में लिखा हुआ है "हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा" तो उनकी आपत्ति हो गयी। लेकिन मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि कब्जा दिलाने की बात तो स्वयं उपधारा (२) में जो धारा ७ की है दी हुई है. "वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।" तो रेकार्ड आफिसर को कब्जा दिलाने का अधिकार तो स्वयं आपने दिया है और वह भी सरसरी तौर से। तो अगर मैंने भी कब्जा दिलाने की बात रख दी तो कौन सा गुनाह कर दिया।

कल यह दो एतराज ही माननीय मंत्री ने किये जो तथ्य के अनुसार साबित नहीं होतीं। मैंने जो संशोधन दिया है, वह बहुत उचित है, यह दूसरी बात है कि उसे माकूल न समझे। मुझ आशा है कि कल रात भर इस पर विचार करने के बाद वह काफी परिपक्व हो कर आये होंगे तो विश्लेषण भी कर लिया होगा और कल की गरमा गरमी भी निपट गयी होगी और शांतिपूर्ण ढंग से अगर स्वीकार कर लें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त जी को तो कुछ कहना चाहिये, चाहे वह संगत हो अथवा असंगत हो। उन्होंने जो संशोधन रखा है, वह इस प्रकार है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रेकार्ड आफिसर उक्त काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

और धारा ७ की उपधारा (१) और (२) इस प्रकार है:

"(१) अभिलेखों के सभी विवादहीन इंदराज स्वत्व रखने वाले पत्रों द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे इंदराजों के संबंध सभी विवाद कब्जे के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे।

(२) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निणय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति सम्पत्ति का सब से अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।"

श्री अध्यक्ष--आपने गलत पढ़ा, एक संशोधन हो चुका है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--हां, संशोधन हो चुका है और उस संशोधन के सहित समझ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय राजस्व मंत्री अगर स्वयं असमर्थ हैं तो दूसरे कैसे समझ लेंगे। वह जरा उसे पढ़ करके सुना देंगे तो अधिक अच्छा हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं आप की सहायता चाहता हूं। आज के अजेंडा में कल का संशोधन है नहीं, इसलिये कठिनाई पड़ गयी।

श्री अध्यक्ष--"स्पेशल रेकर्ड आफिसर यह निश्चय न कर सके" ऐसा मेरा ख्याल है संशोधन हुआ है।

श्री द्वारका प्रसाद मैथ--तो जहां तक संशोधन की बातें हैं, वे सभी इसके अन्दर पूर्णरूप से आ गयी हैं, जो मैंने पढ़ा। अपनी दलील में उन्होंने यह कहा कि जो उनके संशोधन में है, वही धारा ७ की उपधारा (२) में है। "रेकर्ड आफिसर" उसमें भी है और "रेकर्ड आफिसर" इसमें भी है। "कब्जा दिला देगा" उनके संशोधन म भी है और "कब्जा दिला देगा" इस विधेयक में भी है। तो वह कहते हैं कि जब सब बातें विधेयक में हैं तो मेरी बात क्यों नहीं मान ली जाती हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब सब बातें उसमें हैं तो फिर दुबारा उनको रखने से कौन सा महत्त्व इस विधेयक की बढ़ जायगी और कैसे वह सुन्दर हो जायगा। मैं समझता हूं कि एक निरर्थक चीज उन्होंने रखी है। यह पहले से उसमें मौजूद है कि रेकर्ड आफिसर विवाद न हो तो कब्जा दर्ज कर देगा, अगर विवाद हो तो सरसरी तौर पर देखेगा कि कौन सा व्यक्ति काबिज है और अगर उसमें उसको दिक्कत पड़ेगी तो फिर देखेगा कि कौन सा व्यक्ति हकदार है और फिर उसका नाम दर्ज करायेगा और उसको कब्जा दिला देगा। जो आपने संशोधन रखा है, उसमें भी यही है कि जो खत करता चला आ रहा है उसका नाम दर्ज कर दिया जाय और अगर विवाद हो तो उसकी जांच करके उसका नाम दर्ज करदे और उसको कब्जा दिला दे। तो बात तो वही हुई और वह एक सुन्दर ढंग से पहले से मौजूद है। इसलिये उनका प्रतिबन्ध जिसको वह जोड़ना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और उनकी सारी बातें जो वह चाहते हैं, पहले से मौजूद हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि किस प्रकार उसको स्वीकार किया जाय। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यदि मुझे कुछ पूछने की सहूलियत दे दी जाय तो मैं इसे वापस ले सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--पूछिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं सभा सचिव जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि मेरी सब बातें पहले से उसमें हैं तो क्या "हर हालत में कब्जा होने पर इंदराज हो जायगा" यह बात है?

श्री द्वारका प्रसाद मैथ--धारा को पढ़ लीजिए।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रेकर्ड आफिसर उक्त काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

इंदराज के बारे में परिकल्पना।

८--इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये हुए अभिलेखों के सभी इंदराज तब तक सत्य परिकल्पित किये जायंगे (shall be presumed to be true) जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हों।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

वैधीकरण (Validation)

९--जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों में सुधार करने तथा उनको स्थायी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यू० पी० लैन्ड रवेन्यू, ऐक्ट, १९०१ में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार उक्त क्षेत्र के लिये भौमिक अभिलेख तैयार करने और उनके पुनरीक्षण के लिये आदेश दे दिया था।

और राज्य सरकार न उक्त प्रयोजन के निमित्त नियम, आदेश तथा अनुदेश (instructions) प्रचारित कर दिये हैं ;

और कुछ क्षेत्रों के संबंध में यह अभिलेख तैयार हो चुके हैं और अन्य क्षेत्रों के संबंध में तैयार किये जा रहे हैं ;

और यह आवश्यक है कि इस प्रकार प्रचारित नियमों, आदेशों और अनुदेशों को तथा अभिलेखों की जहां तक कि वे ऊपर बताई गई विधि से तैयार किये जा चुके हैं, विधिक वैधता (legal validity) प्रदान की जाय,

अतएव एतद्द्वारा प्रख्यापित (declar d) किया जाता है कि उक्त अभिलेखों को तैयार करने में तथा उनके पुनरीक्षण के निमित्त प्रचारित सभी नियम, आदेश तथा अनुदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन मास क भीतर गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे और ऐसे प्रकाशन के पश्चात् इस प्रकार प्रकाशित नियम, आदेश और अनुदेश जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या विधिवत् निर्मित या प्रचारित नियम, आदेश अथवा अनुदेश समझे जायेंगे तथा किया हुआ आ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इंदराज अथवा बात प्रयोग में लाये गये अधिकार तथा क्षेत्राधिकार विधि की दृष्टिमें उचित तौर से वैध होंगे माना कि इस अध्याय के सभी उपबन्ध ऐसे सभी दिनांकों पर सप्रभाव थे, जिनका उस विषय में कोई महत्व हो।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं

"खंड ९ के अंतिम पैरा की पंक्ति ५--६ में शब्द "अनुसार" तथा शब्द "विधिवत्" के बीच का शब्द "या" निकाल दिया जाय।"

यह एक शाब्दिक संशोधन है और बहुत ही आवश्यकीय है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मैथ--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ के अंतिम पैरा की पंक्ति ७ में शब्द "अनुसार" तथा शब्द "विधिवत" के बीच का शब्द "या" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अंतिम पैरा की पंक्ति ६ व ७ के शब्द "किया हुआ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इंदराज अथवा बात" के स्थान पर शब्द "किया हुआ प्रत्येक कार्य, कार्यवाही या इंदराज अथवा की हुई बात" रख दिये जायं।

यह कुछ लिखावट की गलती से या सही शब्द न आने की वजह से इसके पूरे अर्थ नहीं आते हैं अगर यह संशोधन न किया जाय। इसलिये यह संशोधन बहुत आवश्यकीय है और माननीय राजस्व मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मैथ--माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन से वाक्य सुन्दर हो जाता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्तिम पैरा की पंक्ति ६ व ७ के शब्द "किया हुआ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इन्दराज अथवा बात" के स्थान पर शब्द "किया हुआ प्रत्येक कार्य, कार्यवाही इन्दराज अथवा की हुई बात" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं इसे परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमान्, जो संशोधन अभी स्वीकृत हुआ है, उसमें अशुद्धि हो गयी है, वह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, तो मैं स्वीकृत संशोधन में संशोधन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---क्या कहेंगे कहिए।

श्री जयराम वर्मा---इस संशोधन से अथवा के बाद 'की हुई बात' यह शब्द निकाल दिये जायं। संशोधन के द्वारा इसमें कार्य शब्द आया है "किया हुआ प्रत्येक कार्य, कार्यवाही या इन्दराज अथवा की हुई बात" जब इसमें प्रत्येक कार्य मौजूद है तो फिर 'की हुई बात' का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिये यह व्यर्थ में शब्द रखे गये हैं और इसके बाद शब्द आए हैं प्रयोग में लाये गये। इनके बीच में शब्द 'अथवा' होना चाहिए था। यह काम दे सकता है और इससे वाक्य भी साफ हो जायगा और अर्थ भी ठीक निकलेगा। लेकिन जिस तरह से संशोधन अभी हुआ है उससे वाक्य शुद्ध नहीं होता है और अशुद्ध रह जाता है।

श्री अध्यक्ष---उस वक्त तो संशोधन आपने किया नहीं और वह स्वीकृत हो गया। उस वक्त आपने संशोधन करने की कोई इच्छा प्रगट की नहीं और अब सदन उसे स्वीकार कर चुका है।

श्री जयराम वर्मा---जो संशोधन स्वीकार हो चुका है, उस पर फिर से संशोधन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---इस तरह से अगर संशोधन होते चले जायं तो आखीर तक दिन भर संशोधन होते चले जायं।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, मैं तो खड़ा हुआ था, लेकिन आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, इसलिये मैं कुछ नहीं कह सका।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब आप पेश नहीं कर सकते।

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अंतिम पैरा की दसवीं पंक्ति में शब्द "मैं" और शब्द "उचित" के बीच शब्द "इस प्रकार" और शब्द "तौर" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ की अन्तिम पैरा की दसवीं पंक्ति में शब्द "मैं" और शब्द "उचित" के बीच शब्द "इस प्रकार" और शब्द "तौर" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अन्तिम पैरा की पंक्ति ८ के शब्द "अध्याय" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य---स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्तिम पैरा की पंक्ति १० के शब्द "अध्याय" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

अधिकारों का सौंपना।

१०--राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त कोई भी अधिकार अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी (outhori'y) को ऐसे प्रतिबन्धों सहित अथवा ऐसी दशाओं में, जो विज्ञप्ति में, निर्दिष्ट हों, प्रयोग में लाने के लिये सौंप (deli'gate) सकती है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० की पंक्ति दो के शब्द "अधिकार" के बाद शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा" बढ़ा दिये जायं।

यह आवश्यक भूल है और यह शब्द न होने पर इसका अर्थ ठीक लगाने में बाधा पड़ती है। इस लिये इस शब्द के बढ़ाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० की पंक्ति २ के शब्द "अधिकार" के बाद शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

नियम।

११--राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिये नियम बना सकती है :

(क) धारा ३ के अन्तर्गत बेदखली के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) काश्तकार द्वारा खातों को शिकमी पर देने से सम्बन्धित विषय,

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले अभिलेखों के आकार (form) और विषय, तैयार करने के ढंग, प्रमाणीकरण तथा रखरखाव ;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों, प्रार्थनापत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र तथा अपील प्रस्तुत की जायं ;

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलों और प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में देय शुल्क ;

(छ) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली, अनुसरण प्रक्रिया ;

(ज) किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां से दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का संक्रमण ;

(झ) इस अधिनियम के उपबन्धों को, कार्यान्वित करने के लिये सामान्यतः अधिकारियों के लिये पथ-प्रदर्शन ;

(ञ) अन्य कोई विषय, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को तत्सानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था की आवश्यकता हो ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख, अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के समस्त परगना जौनसार बावर में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रवलित होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड १ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति के शब्द "अधिकार" के उपरान्त शब्द, "प्राप्ति" बढ़ा दिया जाय।

श्री हाफिज मोहम्मद--मैं वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो यह संशोधन रखा गया है, अगर यह स्वीकार कर लिया जाय तो अधिकार प्राप्त की बात आ जाती है, लेकिन इस विधेयक का यह उद्देश्य हर्गिज नहीं है। जो नये अधिकार दिये जारहे हैं उनकी सुरक्षा के लिये यह विधेयक पेश किया गया है। जो काश्तकार काबिज हैं, मौरूसी या गैर मौरूसी, वह बेदखल नहीं हो सकेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है यानी इससे उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। कोई विशेष अधिकार प्राप्त कराने के लिये यह विधेयक नहीं लाया गया है, क्योंकि इसमें किसी नई जमीन की बात नहीं रखी गयी है और न किसी और अधिकार का उल्लेख किया गया है। न इस भवन ने कोई वितरण की समस्या को ही स्वीकार किया है कि किस से ली जाय या किसको दी जाय, अधिकार प्राप्त की बात नहीं आई है। शुरू से आखीर तक इस विधेयक पर जो विचार हुआ है और जितनी धारायें मन्जूर हुई हैं, उसमें जमीन के अधिकार प्राप्त कराने की बात नहीं आई है। इस लिये मैं यह समझता हूं कि यह अनावश्यक है और नियमानुसार इसको स्वीकार नहीं होना चाहिए कि यहां पर रखा जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, सभासचिव ने बहुत जल्दी की। मैं तो खुद ही इस बात को समझा रहा था कि प्राप्ति शब्द किस प्रकार आना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा से यह बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि कहीं पर विधेयक में अधिकार प्राप्ति की बात नहीं आई है, लेकिन अगर वे इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि "प्राप्ति" शब्द इसमें आया है। मैं आपका और सभासचिव जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप इसको कहां पर रखना चाहते हैं। आप इसको शायद यहां पर रखना चाहते हैं कि जौनसार बावर भौमिक अधिकार प्राप्ति सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, मैं भौमिक अधिकार प्राप्ति .... इस तरह रखना चाहता हूं। मैं माननीय सभासचिव जी का ध्यान धारा ७ की उपधारा (२) की तरफ

दिलाना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकार्ड आफिसर अपने को सन्तोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकार की तौर से जांच करेगा कि कौनसा व्यक्ति सम्पत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा। "कब्जा" उर्दू में है और 'प्राप्ति' उसी का हिन्दी में है और अगर केवल बेदखली रोकने की बात होती तो कब्जे का सवाल ही नहीं था। मान लीजिए कि किसी का कब्जा नहीं है और कोई विवाद है और विवाद में उसका कब्जा नहीं है तब ऐसी हालत में कब्जा दिलाया जायगा। अगर कब्जा है तो कब्जा दिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें कब्जा दिलाने के लिये स्पष्ट लिखा है इसके अलावा अभी थोड़ी देर हुई माननीय सभासचिव ने कहा था कि कब्जा दिला देगा, कई बार ऐसा कहा था। तो यह "प्राप्ति" कब्जे का ही हिन्दी है। तो माननीय सभासचिव का जो कहना है कि यह केवल सुरक्षा है तो यह केवल सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि अगर किसी का कब्जा छीना गया है तो उसको कब्जा दिलाया जायगा। और जिसका कब्जा नहीं है उसको भी दिलाया जायगा। जब माननीय सभासचिव इसको स्वीकार कर चुके हैं तो अधिकार के बाद "प्राप्ति" शब्द जोड़ना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष---जो वैधानिक आपत्ति पेश की गई है मैं उसको उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि कोई नया अधिकार प्राप्त हो ऐसा शब्द नहीं जोड़ा है। उन्होंने भौमिक अधिकार "प्राप्ति" जो रखना चाहा है वह किसी चीज की प्राप्ति नहीं है। उसकी प्राप्ति अगर देखें तो वह सुरक्षा के अन्दर आ सकती है। यह रिन्डन्डेन्ट हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्कोप के बाहर है। जो अर्थ माननीय राजस्व मन्त्री जी सुरक्षा का करते हैं, उसमें वह "प्राप्ति" शब्द लगाकर और भी स्पष्ट करना चाहते हैं। इसी दृष्टि से वह पेश कर रहे हैं। उनकी भी कोई नये अधिकार प्राप्ति की मन्शा नहीं है। जो अधिकार है उसी की प्राप्ति करा देना, वह जोड़ना चाहते हैं। इसलिये मैं इसको अनियमित नहीं समझता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं अपना तर्क कर चुका हूं कि इसी बिल में एक स्थान पर हमने कब्जा दिलाने की बात रखी है और बेदखली के मुकाबिले में कब्जा दिलाना एक अलग चीज है। मैंने दफा ७ की उपधारा (२) में जैसे कि अभी बताया था। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि इस विधेयक के पूरे नाम, प्रस्तावना और शीर्षक में शब्द "प्राप्ति" बढ़ा दिया जाय ताकि यह साफ हो जाय। आशा है माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

माल मन्त्री(श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, किसी भी विधेयक या अधिनियम के नाम ऐसे शब्दों से रखे जाते हैं, जिससे उसका मुख्य उद्देश्य प्रगट हो जाय। उनका यह कहना कि जितनी धारायें इसके अन्दर हैं उन सबका आशय शीर्षक से प्रकट हो जाय, यह जरा कठिन है। मिसाल के तौर पर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक धारा है, जिसके अनुसार कानून शफा के अनुसार सूबे में जितनी नालिशें थीं, वह सब खत्म हो गयीं और आगे के लिये वह कानून खत्म कर दिया गया, लेकिन जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम से वह आइडिया जाहिर नहीं होता कि इसमें कानून शफा भी खत्म हो रहा है। इसी तरह से इस अधिनियम के मातहत लैन्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट भी खत्म हो रहा है और वह बात भी इस जमींदारी अधिनियम के नाम से जाहिर नहीं होती। असिल मन्शा यह है कि जो गैर मौरूसी और सेवा के बदले में काबिज लोग हैं उनकी सिक्यो-रिटी मुकम्मिल कर दी जाय और वह बेदखल न हो सकें। उनके क्या हकूक होंगे, इसका जिक्र इसमें नहीं है और आगे क्या हकूक होंगे इसका भी जिक्र इसमें नहीं है। अभी मेरे माननीय मित्र तिवारी जी ने जो दफा ७ का जिक्र किया, उसमें तो यह है कि जितने कब्जे साफ हैं, उनकी इन्ट्री कर दी जाय।

जहां कब्जा डिस्प्यूटेड है टाइटिल की सरसरी इन्क्वायरी करा कर कब्जा दिला देगा। और जिसका कब्जा क्लीयर है उसको तो कोई नया कब्जा दिलाना नहीं है, उसका तो कब्जा है ही। दूसरी बात यह कि उसका कब्जा दिलाना भी फाइनल नहीं

[श्री चरण सिंह]

है क्योंकि इसी के उपखंड (३) में लिखा हुआ है "उसके अन्दर अगर टाइटिल के बिना पर उसने कब्जा दिलाया है तो वह सिविल कोर्ट में डिस्प्यूट कर सकता है । इसलिये नया राइट देने का उसमें भी सवाल नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गैर जरूरी है । यह १०-१५ क्लाज का एक बिल है, जिसके लिये आप चाहते हैं कि बहुत बड़े वाक्य का नाम हो जाय । यह बिलकुल रिडेन्डेन्ट है जो आपने फरमाया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं तो समझता था कि माननीय सभा-सचिव ने जो पहले कहा था कि हम हर हालत में कब्जा दिला देंगे, उस चीज के बारे में भी कुछ कहते, लेकिन जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा वह मेरी समझ के बाहर है । उन्होंने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा है कि जब डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, तब हम उसको कब्जा दिला देंगे । इसके अन्दर कब्जा दिलाने की बात ही नहीं आयी । लेकिन मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं । मान लीजिये किसी व्यक्ति का कब्जा पहले से चला आ रहा है और जब रेकर्ड आफिसर के पास वह पहुंचा रेकर्ड बनाने के लिये, तो वहां दो व्यक्तियों में विवाद खड़ा हो गया 'ए' के कब्जे में जमीन है लेकिन 'बी' ने विवाद खड़ा कर दिया और बाद में जांच करके रेकर्ड आफिसर ने मालूम किया कि वास्तव में यह 'ए' की जमीन नहीं है बल्कि 'बी' की ही जमीन है और उसे कब्जा दिला दिया । तो क्या इस धारा के अनुसार रेकर्ड आफिसर 'बी' को कब्जा नहीं दिलायेगा ? इस तरह के सैकड़ों और हजारों केस आयेंगे, क्योंकि रेकर्ड का इन्दराज आप वहां पहली बार करने जा रहे हैं । तो श्रीमान्, काश्तकारों के लिये धारा ४ और धारा ७ सबसे महत्वपूर्ण धारा इस विधेयक के अन्दर है । माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि विधेयक का उद्देश्य एक तो बदखली को रोकना है और दूसरा ठीक इन्दराज करके कब्जा दिलाना है । तो फिर मैं माननीय मंत्रीजी के सामने यह समस्या रखता हूं कि मान लीजिये कि 'ए' का कब्जा है और 'बी' को कब्जा मिलता है तो क्या इस धारा के अनुसार वह प्राप्ति नहीं मानी जायगी ? श्रीमान् माननीय मंत्री ने दलील तो काफी सुन्दर दी, लेकिन वे इस धारा की कसौटी पर खरे नहीं उतरते । इसलिये मैं फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करें ।

श्री चरण सिंह--अगर 'ए' का कब्जा है तो 'बी' को कबजा नहीं दिलायेंगे बल्कि 'ए' का कब्जा इन्दराज कर देंगे । अगर वह डिस्प्यूटेड है और तय नहीं कर पाते हैं कि कब्जा 'ए' का है या 'बी' का है तो टाइटिल की इनक्वायरी करा कर उसका कब्जा दिला देंगे । मैं इन चीजों की ज्यादा व्याख्या करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यदि मैं शाम तक भी इसकी व्याख्या करता रहूं तो भी कोई नतीजा निकलेगा नहीं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड(१) की प्रथम पंक्ति के शब्द "अधिकार" के उपरान्त शब्द "प्राप्ति" बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों (land records) को तैयार करने की व्यवस्था का--

विधेयक

यह आवश्यक है कि देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों को तैयार करने की व्यवस्था की जाय ।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री अध्यक्ष--प्रस्तावना और शीर्षक में जो संशोधन हैं वे उसी प्रकार के हैं जो अब अवैधानिक हो गये हैं क्योंकि एक सिद्धान्त तय हो चुका है ।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार बावर सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ जैसा कि इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप अपना भाषण, जो संशोधन हुए हैं, केवल उनके परिणाम, उनका फल क्या हुआ, उसी तक सीमित रखेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं पहले आपका ध्यान नियम ११८ के उपनियम २ की ओर दिलाना चाहता हूं और आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज यह विधेयक पारित न किया जाय ।

"If an amendment is made in the Bill, any member may object to a motion being made on the same day that the Bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made".

[यदि विधेयक में कोई संशोधन हुआ हो तो कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव के कि विधयक पारित किया जाय उसी दिन लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है, और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दे दे ।]

तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पारित न हो क्योंकि हमें संशोधनों पर सोचने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह जो आपने आपत्ति की है जिस तरह से तीन-चार रोज गौर हुआ उसमें काफी विचार करने का समय आपको मिला। जो परिवर्तन हुए हैं, जो संशोधन भी हुए हैं वह अधिकतर शाब्दिक ही हुए हैं । उन पर और अधिक विचार करने के लिए माननीय नारायण दत्त जी ऐसे विद्वान् के लिये तो मैं समझता हूं कि समय की जरूरत नहीं मालूम होती ।

इसलिए मैं उनकी आपत्ति को महत्व नहीं देता और इसकी इजाजत देता हूं कि इसकी तीसरी रीडिंग, तीसरा जो पढ़ना है वह आज ही हो जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने तो इजाजत मांगी थी।

श्री अध्यक्ष--आपने तो आपत्ति की थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां।

श्री अध्यक्ष--मैंने उसको स्वीकार नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, जैसा विधेयक अभी विधान सभा ने पारित किया है उसमें दो बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन मान लिये गये हैं जो कि सारे विधेयक के क्षेत्र को ही कुरूप बना देते हैं और वह संशोधन धारा ४ में हुए हैं। वह इस प्रकार हैं कि जहां पर "३ वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर" यह जो सब निकाल दिया जायगा इससे वहां पर बहुत ही अनर्थ होने वाला है। चूंकि जैसा कि मैंने कहा मैं दोहराना तो नहीं चाहता लेकिन इस संशोधन को जो मान लिया गया इसके महत्व को देखते हुए उसकी ओर ध्यान दिलाना बहुत ही आवश्यक मालूम होता है। चूंकि वहां के कोल्टा और बाजगियों की और वहां की पिछड़ी हुई जाति के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि जो भूमि हमारे पास पट्टे पर है, जिस पर हम शिकमी के रूप में काबिज हैं, उस जमीन पर हमको दखीलकार काश्तकार के आकुपेंसी टेनेंट के अधिकार दिये जायं। तो जबकि पहले हमने इस बात को माना था कि तीन वर्ष तक उनको शिकमी रहने का मौका दिया जाय और हमने यह भी मौका दिया था कि ३ वर्ष के भीतर कोई सबलेट न कर सके जबकि एक बार पहले सब्लेटिंग हो चुका है तो यह जो इतनी महत्वपूर्ण धारा रखी थी उसको इस संशोधन के द्वारा रोक दिया गया। इसका नतीजा क्या होगा ? यह होगा कि सारे विधेयक को दृष्टि में रखते हुए वहां जितने भी शिकमी के रूप में काश्त करने वाले हैं जबकि हमने उनको काश्तकार की परिभाषा में नहीं रखा, परिभाषा में केवल मौरूसी काश्तकार और गैर-मौरूसी काश्तकार रखा है केवल ऐसे काश्तकार जो सेवाभाव से काम करने वाले हैं रखा है और पट्टेदार के रूप में जो शिकमी हैं उनको नहीं रखा है, इसका नतीजा होगा कि वहां सैकड़ों बेदखलियां इस विधेयक के लागू होने के बाद शुरू हो जायंगी। क्योंकि हमन उनको कोई अधिकार नहीं दिया। पट्टेदार जो शिकमी हैं उनको काश्तकार नहीं माना। धारा २ (ड.) में मौजूद है धारा ४ के अनुसार उनको अधिकार भी नहीं दिया तो क्या होगा ? जो बेदखलियां माननीय मंत्री जी रोकना चाहते हैं वह फिर शुरू हो जायंगी और साथ ही साथ जहां पर सन् ५० का रेगूलेशन लागू था, जिसके अनुसार भूमि जोतने वाले जिनमें कि शिकमी भी आते हैं, जिनमें कि पट्टा देने वाले जमीन लेने वाले भी आते हैं, जोकि सन् ५० के रेगुलेशन के अनुसार काबिज थे, जिनकी बेदखलियां रुकी हुई थीं उस रेगुलेशन के गैरकानूनी होने के बाद वह बेदखलियां शुरू हो जायंगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि इस विधेयक के लागू होने के बाद भी वह रेगुलेशन लागू रहता है। तो इस विधेयक के लागू होने पर जैसे ही वह रेगुलेशन खत्म हुआ वैसे ही शिकमी काश्तकार जिन्होंने सब्लीज के रूप में भूमि ले रखी थी उनका स्वत्व भी समाप्त हो जायगा। तो इस बिल में यह जो संशोधन माना गया है मैं समझता हूं कि उससे जो कुछ भी हमारी मंशा है वह खत्म हो जाती है। माननीय मंत्री कहेंगे कि हम तो वहां जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं आप छोटे-मोटे संशोधन की बात करते हैं। कल भी उन्होंने यह कहा कि हम जब वहां जमींदारी खत्म कर रहे हैं तो तीन वर्ष का अरसा क्यों रखें ? उन्होंने कहा कि जब जमींदारी विनाश करने ही जा रहे हैं तो इसको रखने में क्या आपत्ति है ? मैं कहता हूं कि जमींदारी विनाश विधेयक तो अभी आ नहीं रहा है। उसके आने में चार-छः महीने लगेंगे और इस काल में मुझे भय है कि इस संशोधन के द्वारा बड़ा अहित होने जा रहा है और इस प्रकार के काश्तकारों की बेदखली हो जाने की सम्भावना है और कोल्टा और बाजगी, जिनके पास आज तक कोई भूमि नहीं, वह शिकमी पर जमीन ले लेते थे और मौरूसी तथा गैर-मौरूसी काश्तकार उनको शिकमी पर जमीन उठा देते थे, अब इस संशोधन के स्वीकार होन के बाद वे बेदखल हो जायंगे और जौनसार बावर में भूमिहीनों की संख्या बढ़ने वाली है। इस प्रकार इस प्रदेश में भूमिहीनों की समस्या जो इतनी जटिल है वह और भी जटिल हो जायगी। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब शिकमी पर जमीन जोतने को नहीं मिलेगी तो इससे भूमिहीनों की संख्या में और वृद्धि होगी।

इस कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को बिलकुल साफ कर दिया गया है कि कम से कम थोड़ी शिकमी देने का मौका जरूर उनको मिलना चाहिए ।

"No tenant shall submit the whole or any part of his holding for a term exceeding one year and shall not again submit the whole or any portion of his holding within two years of expiry of the sub-lease."

[कोई भी असामी अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को एक साल से अधिक समय के लिए न देगा और शिकमी पट्टे की समाप्ति के उपरान्त दो वर्ष के भीतर अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को न देगा ।]

तो पुरानी कमेटी की रिपोर्ट में भी कोल्टा और बाजगी आदि गरीबों की हालत देखते हुए एक और दो साल का प्रतिबन्ध किया । इस विधेयक में भी रखा गया था, लेकिन पीछे हटा दिया गया ।

दूसरी आपत्ति जो धारा ४ की उपधारा (२) में जहां माइनर का सवाल आया, जिसका पिता मर गया हो उसके बाद संशोधन माना गया कि अगर कोई रेक नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का विद्यार्थी है तो २५ वर्ष तक माइनर माना जायगा । जो दूसरा संशोधन स्वीकार किया गया उसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं, वह सारे विधेयक की हत्या कर देता है। तो इसके मानी यह हैं कि जो भी विद्यार्थी होगा किसी रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का उसके नाम जमीन चढ़ने लगेगी । बहुत से लोग ऐसा करने लगेंगे कि जब वह माइनर की परिभाषा में आ गया तो हर विद्यार्थी माइनर हो गया, यदि वह किसी रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ता है और २५ वर्ष तक माइनर रहे, ऐसी परिभाषा तो संसार के इतिहास में और कहीं हुई नहीं।

श्री अध्यक्ष—माइनर (minor) की कोई परिभाषा तो की नहीं गयी है । यह आप गलत कह रहे हैं । वह तो अलग से है । विद्यार्थी को अलग से अधिकार दिया गया है । वयस्क को अधिकार दिये गये हैं और उन अधिकारों के लिये कहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उन्हीं अधिकारों के बारे में मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं जरा संशोधन को स्पष्ट कर दूं । शायद आप इस भ्रम में होंगे कि माइनर जिसका पिता मर गया है उसी के साथ यह जोड़ दिया गया है । यह उसके साथ जोड़ा नहीं गया है, लेकिन २–ए करके एक दूसरा क्लाज जोड़ा गया है, जिसमें २५ वर्ष का विद्यार्थी हो, वह वयस्क तो होगा लेकिन अगर पढ़ता हो तो उसको भी अधिकार दिये गये हैं कि वह सब्लेट करे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो श्रीमन्, मान लिया कि माइनर की परिभाषा नहीं है । मुमकिन है जो छपा हुआ था आया नहीं, इसलिय गलती हो गई है, लेकिन इस प्रकार विद्यार्थियों को अधिकार देना पहले ही से जो गड़बड़ी दस्तूरूल अमल में हैं उसमें एक वृद्धि कर देना है। वहां के रिवाज बहुत पेचीदा पहले से हैं, उनकी पेचीदगियों को खत्म करना आवश्यक था । अब उसमें एक पेचीदगी और विद्यार्थियों की जोड़ दी गई है और यह मैं समझता हूं कि किसी प्रकार वहां की परम्पराओं को देखते हुये श्रेयस्कर नहीं है और इससे वहां की जनता का अहित ही होगा और आपसी झगड़े और फिसाद बढ़ेंगे । मान लीजिये एक परिवार के चार विद्यार्थी हैं अब चारों उसमें हिस्सा ले सकेंगे या थोड़ी देर के लिये मान लीजिये एक ने शिकमी पर दे दिया और दूसरे ने एतराज कर दिया तो इससे झगड़े बढ़ने की उम्मीद है । और इससे जो इसका अन्तिम लक्ष्य है उसमें गड़बड़ी पड़ेगी । इतना कहकर मैं आपकी आज्ञा से सदन से निवेदन करूंगा कि इन दोनों संशोधनों के महत्व पर विचार करें कि यह कहां तक उचित और मुनासिब है और कहां तक उद्देश्य और कारणों और लक्ष्य में उससे फर्क पड़ता है ।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने दो एतराज किये हैं कि उन संशोधनों की वजह से बिल पेचीदा हुआ है और बजाय फायदे के वहां के किसानों का अहित होगा । उनमें से पहला तो यह कि जिसपर उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया है कि आगे काश्तकारों को शिकमियों को उठाने का अधिकार, जिसे पहले विधेयक में रखा गया था, अब निकाल लिया गया है । तो पेशतर इसके कि मैं तफसील से जवाब दूं कि उससे नुकसान नहीं होने वाला है न कोई बेदखली होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कल जो मैंने कहा था वह दोहराना चाहता हूं । परसों शाम जब कि सदन उठ चुका था तो सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने मुझसे यह कहा कि क्या वाकई सरकार का इरादा जमींदारी वहां से खत्म करने का है । मैंने कहा, हां है । उन्होंने कहा मालूम तो नहीं होता । मैंने पूछा क्यों ? तो उन्होंने कहा कि इसलिये कि तीन साल तक हर एक आदमी को शिकमी देने का हक दे रहे हैं। खंड ४ में परसों खंड तीन तक हुआ था । हमने कहा कि बेशक हमारा इरादा है और हम जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर तीन साल तक रखना बेकार है। मुझको उनकी दलील उचित मालूम पड़ी और इसलिये मैंने कल अपनी पार्टी के एक माननीय सदस्य से कहा कि आप इस तरह का संशोधन भेज दें । उन्होंने भेज दिया और मैंने स्वीकार कर लिया । तो अगर मैं स्वीकार न करता और इस तरह का संशोधन न करता तो बराबर दलील दी जाती कि जब तीन साल तक शिकमी उठाने का अधिकार दे रहे हो तो फिर कैसे उम्मीद की जाय कि जमींदारी खत्म करने का इरादा है । तो इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट पेश करवाया और स्वीकार किया । अब यह प्रतिक्रियावादी है या नहीं है यह मैं इसी पर छोड़े देता हूं कि कहां से सजेशन आया और मैंने कैसे एक्सेप्ट किया । एक तो यह बात है ।

दूसरी बात यह है कि क्या काश्तकारों को यह अधिकार रहे कि वह काश्तकारों को शिकमी पर जमीन देते रहें ? क्या यह समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार है ? क्या यह एक्सप्लायटेशन नहीं है ? जमींदारी हमने क्यों खत्म कर दी है ? इसी लिये कि जमींदार खुद खेती न करके दूसरों से खेती करवाते थे और उनकी मेहनत का कुछ हिस्सा बांट लेते थे । यही एक्सप्लायटेशन है । तो जब जमींदार जबकि जमीन का मालिक था और जिससे चाहे अपना खून पसीना करके उस जमीन को खरीदा हो, उसका हक मिल्कियत इसलिये ले लिया गया चूंकि वह दूसरों से खेती करवाता था, तो वह काश्तकार जो खुद मालिक नहीं है और जो मालिक से जमीन काश्त करने के लिये लेता है और फिर स्वयं काश्त न करके दूसरों को उठा देता है, तो क्या मैं मुखालिफत बेन्चों से पूछ सकता हूं कि वह एक्सप्लाइटर नहीं है ? वह एक्सप्लाइटर है ।

श्रीनारायण दत्त तिवारी---पुराने शिकमियों का क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री चरण सिंह---वह दूसरा सवाल है । केवल देखना यह है कि जिस तरह जमींदार दूसरों से लगान लेता है उसी तरह अगर कोई शख्स काश्तकारी के लिये जमीन लेकर खुद मेहनत न करके दूसरों से खेती करवा कर उनकी मेहनत का हिस्सा बटवाये तो क्या वह शोषक नहीं है ? हां, वह शोषक है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । फिर भी इधर से यह कहा जाता है कि लीजिए इस तरह का संशोधन कर दिया गया । मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि आखिर माने क्या हैं ? क्या चीज है प्रतिक्रियावादी और क्या चीज है प्रगतिशील ? रोज आप जिन चीजों को कहते हैं, वही चीजें जब हम करते हैं तब वे प्रतिक्रियावादी हो जाती हैं । यह रही उसूल की बात ।

अब रही एजेक्टमेंट की बात । क्यों होगा एजेक्टमेंट ? एजेक्टमेंट नहीं होगा । जैसा मैंने कल कहा था कि जो पहिले के सब्लीज हैं वे जायज हैं क्योंकि यह आगे से लागू होगा, रिट्रास्पेक्टिव एफेस्ट से नहीं होगा । "अनलेस इट इज सेड एक्सप्रेसली ऐन्ड डेफिनिटली" जब

तक हम साफ न कहें कि उसका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट हो तब तक वही होगा जैसा कि सब कानूनों के संबन्ध में होता है कि जिस रोज गजट में वे प्रकाशित होते हैं उस दिन से वे लागू होते हैं । लिहाजा पहिले के जो सबलीज हैं वे जायज हैं और जो पहिले के सब स्टेनण्ट्स हैं वे बेदखल नहीं होंगे । अगर कोई ऐसी त्रुटि कानून में हो तो मैं जानना चाहूंगा, अगर न हो तो फिर कल जो बात कही गयी थी और जिसका जवाब मैंने दे दिया था वही फिर दोहरा देता हूं कि एक आदमी भी बेदखल नहीं होगा ।

फिर कहा गया कि सन् १९४९ का जो रेग्यूलेशन है वह इससे खत्म हो गया । कैसे खत्म हो गया ? सन् १९४९ का रेग्युलेशन यह था कि जिन किसानों का कब्जा तीन साल या तीन साल से अधिक हो वे किसी सूरत में बेदखल नहीं होंगे । वे अब भी नहीं बेदखल होंगे । अब तो हमने यह कर दिया कि जिनका कब्जा एक साल से भी होगा वे भी नहीं बेदखल होंगे और जिनका नाम रिकर्ड में दर्ज है वे भी नहीं बेदखल होंगे । तो कैसे वह रेग्यूलेशन मंसूख हो गया ?

फिर यह बात कही गयी कि आगे किसी आदमी को जमीन नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी आदमी को जमीन मिल या न मिले, मान लो कि न मिले तो उससे तादाद भूमिहीनों की कैसे बढ़ जायेगी ? जितने आज भूमिहीन हैं उतने ही रहे । फिर यह कि जमीन नहीं मिलेगी, ऐसा कहां है ? जमींदार काश्तकार को अपनी जमीन उठा सकते हैं और जो असमर्थ काश्तकार हैं वह शिकमी पर जमीन दे सकते हैं । तो इस दलील में भी कोई बल नहीं है । फिर वही लाल किताब आपने उठा ली । सफा १२७ पर एक प्रोप्रोजल है नम्बर ७६ कि इस तरह का रूल बना दिया जाय कि आगे को एक साल तक शिकमी पर उठा सकेगा काश्तकार दो-दो साल का बीच में वक्फा देकर ।

हमने अपने विधेयक में रखा था कि तीन साल में उठा सकेंगे और तीन-तीन साल का वक्फा देकर । लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी भूल जाते हैं कि किस धारा के मातहत यह सजेशन है कि जमींदारी कायम रहे । हमने जमींदारी खत्म की है तो आगे को हमने सबलेटिंग बन्द किया हुआ है । इसमें हमने कहा है कि एबिल बौडीड के होते हुए वह अपनी जमीन नहीं उठा सकेंगे, मगर जो नाकाबिल खेती करने के अयोग्य हैं वह उठा सकेंगे । लेकिन हमारे साथी भूल जाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं । कहा यह जाता है जो पहले की किताब पढ़कर सुनाया करते हैं वे रिएक्शनरी होत हैं । जो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं उनमें लिखा हुआ है कि .. ..

श्री अध्यक्ष--वह दूसरी किताब आपसे चाहते हैं ।

श्री चरण सिंह--लेकिन पुरानी किताबों के बारे में यह है कि जितना जमाना बीतता जाता है उतनी ही उनकी सैंकटिटी हो जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है । एक कमेटी की रिपोर्ट लिखी हुई है, जिसमें कांग्रेस के लोग थे भी नहीं । वह एक अंग्रेज की रिपार्ट लिखी हुई है जो दस साल पुरानी है । उसकी सैंक्टिटी आपके लिये इतनी हो गयी है । आप भूल गये हैं कि कहां बैठे और क्या बात है, देश आजाद हो गया है, लेकिन फिर भी आप वही बातें करते हैं । फिर आपने यह कहा कि स्टूडेण्ट को तो इजाजत मिल गयी । अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा बहुत काम हल्का कर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मुझे माफ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि आपकी मेहनत बेकार गयी । वह इस बात को कि दो और दो चार होते हैं मानने के लिये तैयार ही नहीं हैं ।

पहली बात यह है कि यह कहा गया कि दुनिया भर में यह चीज कहीं भी नहीं है । महाराज जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की दफा ५३ में ही ऐसा है । आप दूर क्यों जाते हैं । उसमें लिखा है कि जो शख्स २५ साल तक का पढ़ता होगा वह अपनी जमीन उठा सकता है इसमें एडीशनल बात रखी गयी है । यह नहीं है कि जो विद्यार्थी है उसका बाप जिन्दा है और वह नाबालिग है तो उठा सकेगा । यदि बाप जिन्दा है चाहे वह विद्यार्थी हो या न हो जमीन लगान पर नहीं उठा सकता है । इसमें हमने लफ्ज माइनर नहीं रखा है बल्कि "परसन" रखा

[श्री चरण सिंह]

है। अगर वह विद्यार्थी है तो २५ साल की उम्र तक अपनी जमीन उठा सकता है। वह एडीशनल बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही पांच बातें कही गई थीं उनका मैंने क्रमशः जवाब दे दिया है। अब मैं ऐसी भूल करने वाला नहीं हूं कि मैं दरख्वारत करूं। वह समझें या न समझें बेकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

यह अधिनियम, जिसको संशोधन के उद्देश्य से मैंने २ दिसम्बर को पेश किया था और जिस पर विचार करने के लिये मैंने अभी प्रस्ताव किया है, पास हुए तकरीबन दो साल होने को आये। २४ जनवरी, १९५१ को यह पास हुआ था। यह अधिनियम बहुत क्रान्तिकारी था और इसका असर बहुत दूर तक पड़ा है। हमारे समाज की आधारशिला अब तक जमींदारी रही है। जमींदारी को मान कर हमारे बहुत से कवानीन बने, बहुत से जाब्ता बने, और बहुत सी हमारी मान्यतायें कायम हो गई हैं। तो पुराना समाज, जिसको कि हम आजतक जानते रहे हैं और जिसमें पल कर बड़े हुए हैं वह एकदम खत्म हो गया है और खत्म किये जाने के प्रोसेस में है। तो जो इतना क्रान्तिकारी अधिनियम हो उसमें किसी भी आदमी के लिये यह कह सकना नामुमकिन है, किसी भी व्यक्ति के लिये और किसी भी सभा या विधान मंडल के लिये कि जो हम बात करने जा रहे हैं वह अटल हो गयी है और उसमें कोई भ्रांति नहीं है और अब संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। दुनिया में कदाचित ही कोई कानून हो, मैं तो कहता हूं मामूली से मामूली कानून हो जिसमें संशोधन की आवश्यकता न पड़ती हो। हमारे देश में अब तक इंडियन पेनल कोड और इन्डियन एविडेन्स ऐक्ट, जिसमें से एक १८६० में और दूसरा १८७०-७१ में पास हुआ था, ये कानून ऐसे माने जाते हैं जो ड्राफ्टिंग और लीगल इंटलिजेन्स के लिहाज से मिसाल हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दो मास्टर माइण्ड्स के बने हुए कानूनों में भी तजुर्बे ने बतलाया कि संशोधन की आवश्यकता है लिहाजा उनमें संशोधन हुए। यह अधिनियम जिसको मैंने आपकी इजाजत से हाउस में जिक्र किया था यों तो हर मामूली से मामूली कवानीन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत लोगों पर असर डालने वाला है और पिछले विधान मंडल, जिसने इसको पारित किया था, उसके सदस्य यह जानते तो थे कि इसका असर फार रीचिंग है लेकिन तफसील में क्या क्या असर होंगे उनके डिटेल्स, उनके कंटम्प्लेशन इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकते थे क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे सारे स्टैन्डर्स पुराने नक्शे में ढले हुए हैं, इसका असर कहां कहां जा कर पड़ेगा एक मामूली इन्सान के लिये कहना मुश्किल है। इसलिये मैंने जो यह विधेयक पेश किया है, जो खामियां, जो त्रुटियां गवर्नमेंट को, दूसरे लोगों, वकला, राज कर्मचारियों को उसके इम्पलीमेंटेशन में जाहिर हुईं उन पर विचार करके यह विधेयक लाया गया है।

---

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

और मैं इस बात की गारण्टी देने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह फाइनल है। शायद हो सकता है कि कभी जरूरत पड़े तो फिर मैं या और कोई जो इस महकमे के चार्ज में हों वह एक और संशोधन का विधेयक लाने पर मजबूर हों। इस खयाल से कि हमारे समाज का परिवर्तन हो रहा ह और उस परिवतन को सहज और सुगम बनाने के लिये पिछले विधान मंडल ने दफा ३४२ जमींदारी उन्मूलन के मातहत और टेनेन्सी ऐक्ट और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में इस तरह का अख्तियार सरकार को दिया है कि एडप्टेशन आर्डर के जरिये से उसकी तरमीम कर सकती है। लिहाजा अभी हम २-३ अडप्टेशन के आर्डर जारी भी कर चुके हैं। उन आर्डर्स के जरिये से जो संशोधन किये गये हैं वह संशोधन भी इस विधेयक में हैं और और भी काफी हुये हैं और जो काफी प्रभाव रखने वाले संशोधन हैं वह सब इस विधेयक के जरिये से इस विधान सभा के सामने पेश किये गये हैं। मेरा खयाल है कि सारे संशोधन करीब ४०-५० होंगे लेकिन बड़े संशोधन केवल ४-५ हैं जिनका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं।

सब से बड़ा संशोधन जो इस विधेयक में माना गया है वह यह है कि दफा १९८ के मुताबिक अभी तक गांव सभा या गांव सभा की ओर से गांव पंचायत भूमि प्रबन्धक कमेटी को एक क्रम बतलाया गया है कि ऐसी भूमि जो जेरेकाश्त न हो लेकिन काबिल काश्त हों या जो जेरेकाश्त रही हों लेकिन काश्तकार के लावारिस होने की वजह से गांव सभा के अधिकार में आ गई हैं या खिलाफ कानून भूमिधर या सीरदार के जरिये से अगर पट्टे पर उठा दी गई हों कानून के जरिये जब्त होकर गांव सभा में पहुंच गई या और कोई किसी वजह से गांव सभा के अधिकार में आ गई हैं तो गांव सभा उस क्रम के अनुसार वह जमीन दूसरे लोगों को वितरित कर देगी तकसीम कर देगी। उसमें क्रम यह था कि पहले सहकारी कृषि समितियों को देगी कोआपरेटिव फार्मिंग को देगी, अगर कोई हो और अगर कोआपरेटिव फार्मिंग न हो और हो भी तो लेना न चाहती हो तो भूमिधर को देगी जो कि गांव के अन्दर हो। इसके बाद अगर कोई भूमिधर न हो तो फिर ऐसे आदमी को देगी जो सीरदार हो और जिसके पास १० बीघे पुख्ता या सवा छः एकड़ से कम जमीन हो और अगर ऐसा व्यक्ति न हो या लेना न चाहता हो तो भूमिहीन व्यक्ति को दी जायगी और इसके बाद पांचवे नम्बर पर किसी और को देगी। अब वह क्रम बदल दिया गया है और भमिहीन व्यक्ति बल्कि वह भूमिहीन व्यक्ति जो खेतिहर मजदूर हो उसको दूसरे नम्बर पर रखा गया है। कोआपरेटिव फार्मिंग के बाद इसको रखा गया है और भूमिधर को चौथ नम्बर पर रखा गया है, सब के आखिर में। कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत कम तरीके पर हुआ करती है और यह सम्भव है कि लोगों में सामूहिक तरीके से काम करने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे जागे और फिर कोआपरेटिव फार्मिंग कायम हो जायें लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक प्रकार से जब हमने कोआपरेटिव फार्मिंग के बाद दूसरे नम्बर पर इसको रखा है तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का नम्बर १ पर ही नम्बर आता है।

तो जिस चीज का मुतालबा बहुत से लोगों की ओर से था और जिस आन्दोलन को जन्म दिया आचार्य बिनोवा भावे ने और उसके नतीजे के तौर पर जो प्रवृत्तियां समाज में जगीं और जिस अहम सवाल की ओर समाज का ध्यान गया कि भूमिहीन लोगों को जमीन का यथाशक्ति दिया जाना उसमें गवर्नमेंट जिस हदतक जो भी कुछ कर सकती थी वह उसने इस संशोधन के द्वारा किया। इस वक्त मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। जब सेलेक्ट कमेटी से यह बिल की शक्ल में आयेगा तब इस पर विचार होगा और उस वक्त उस सिलसिले में कोई चीज मुझे साफ करनी होगी तो उस वक्त तफसील के साथ बतलाऊंगा।

[श्री चरण सिंह]

इस बिल में जो मुख्य संशोधन हैं उनमें दूसरा मुख्य संशोधन यह है कि जो निजी कुएं मध्यवर्तियों के थे और जो उनकी जोत या बाग के बाहर स्थित थे वह अबतक अधिनियम के मुताबिक स्टेट में वेस्ट कर गए थे । अबतक अधिनियम के मातहत पोजीशन यह है कि किसानों के कुएं लिए जाने का सवाल नहीं है और मध्यवर्ती या जमींदारों के वह कुएं उनके पास छोड़ दिए गये थे जो कि उनकी होल्डिंग में थे या उनके खाते में थे उनके बाग में बने थे। अब जमींदारों के केवल वही कुएं रह गए जो कि उनके अपने निजी थे क्योंकि पब्लिक वेल्स तो अब भी स्टेट के ही हैं और जो निजी थे और बाग या खाते में नहीं थे बल्कि उनसे थोड़ा सा बाहर बाके थे वह इस अधिनियम के मुताबिक अभी स्टेट में वेस्ट हो गए थे लेकिन हम यह जरूरी समझते हैं कि उनको भी इन्हीं मध्यवर्तियों के पास छोड़ा जाय । एक कुएं से आम तौर से ५–७ एकड़ जमीन की आबपाशी मुमकिन है और उस में आम तौर से कोई शोषण की बात नहीं होती । आम तौर से ५–७ पट्टीदार या भाईचारे के खातेदार मिलकर कुएं का इन्तजाम करते हैं और ओसरे बन्दी भी करते हैं और कभी कभी जब कुआं खाली रहता है तो दूसरे आदमियों को भी उन मध्यवर्तियों की इजाजत से अपने खेत सींचने का मौका मिल जाता है । तो अगर वह ऐसा करते हैं तो उन का नाम खसरे में लिखा होता है कि कौन–कौन खेत किस कुएं से सिंचा है । इसलिए इसकी भी कोई हानि नहीं होती । लेकिन जैसा कि मैंने कहा ऐसा भी बहुत कम होता है और ज्यादातर तौ लोग अपने खेतों की आबपाशी के लिए ही कुएं बनाते हैं । इसलिए हम यही उचित समझते हैं कि वह कुएं मध्यवर्तियों के ही पास रखे जायं क्योंकि एक तो यह कि ऐसे कुओं की तादाद ज्यादा नहीं है और गांव सभा को हम देना इसलिए नहीं चाहते कि उन पर काफी बोझ पड़ चुका है और वह काफी जिम्मेदारियों से दब चुकी है तो ऐसी हालत में उनको कुवें देने से कोई खास पब्लिक पर्पज सर्व नहीं होता । इसलिए उनको इन कुवों की जिम्मेदारी देना जरूरी और फायदेमन्द नहीं है । तो जो कुएं जमींदारों के बंजर वगैरह के इलाकों में हैं वह हम उन्हीं के पास छोड़ रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उन को गांव सभाओं को देने से कोई पब्लिक पर्पज सर्व नहीं होता है ।

तीसरा बड़ा संशोधन यह है कि जमींदारी अधिनियम में यह था कि २५० रुपये से ज्यादा के मालगुजारी की सीर के जो गैरदखीलकार काश्तकार थे, सीरदार हो जाते थे लेकिन अगर कोई ऐसी खेवट है या खाता है कि जिसकी ३७५ रुपया मालगुजारी है और उसके मालिक दो भाई हैं जिनमें से एक २५५ रुपया और दूसरा १२० रुपया मालगुजारी देता है और वह दोनों का मुश्तर्क खाता है तो एक आदमी तो क्योंकि वह केवल एक खेवट वाले नियम से एक लैंड–होल्डर २५५ रुपए का मालगुजार है और दूसरा २५० से कम का है तो वह सारी जमीन का अधिवासी है या सीरदार है ।

२५० रुपये से कम के मालगुजार के नान–आक्यूपेंसी टेनेंट को अधिवासी और २५० रुपये से ज्यादा के मालगुजार के टेनेंट को सीरदार समझा जायगा । लेकिन कानून पर आगे विचार करने में और जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में जो फार्म तैयार हो रहे हैं और रिकार्ड रखा जा रहा है उनके तैयार करने के सिलसिले में अफसरान के सामने जो दिक्कतें आईं उनको इन संशोधनों के द्वारा दूर करने की कोशिश की जा रही है । हिस्सा रसदी की जो जमीनें हैं उनमें २५० रुपये से ज्यादा के मालगुजार की जितनी भूमि है उस पर उस काश्तकार को मौरूसी समझा जायगा और दूसरे हिस्से पर उसको अधिवासी के अधिकार प्राप्त होंगे ।

चौथा जो बड़ा संशोधन है वह यह है कि बागदारों को एक दम भूमिधर बनाया जा रहा है । जो लोग काश्तकारों की हैसियत से काम कर रहे थे और उन्होंने उन जमीनों पर बाग लगा लिये थे वे ग्रो–होल्डर्स कहलाते थे । इनको मौजूदा अधिनियम

में सीरदार करार दिया गया था लेकिन वाकया यह है कि उनको पहिले भी ट्रांन्सफर के अधिकार थे । अपने हक को मुन्तकिल करने का हक उनको हासिल था । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भूमिधरों और सीरदारों में एक इम्तियाज रखा है । भूमिधरों को हमने ट्रांन्सफर का अधिकार दिया है और हमने भूमिधर बनाया भी उन्हीं लोगों को है जो अपने हक को ट्रान्सफर करने का कानूनी अधिकार रखते थे । इसी उसूल पर हमने जमींदारों को भूमिधर बनाया है फिक्स्ड रेट टेनेंट्स अगर्चे कि वे टेनेंट थे लेकिन उनको ट्रान्सफर आफ राइट्स हासिल थे उनको भी भूमिधर बनाया गया इसी तरह से रेंट फ्री ग्रान्टीज को भी ट्रान्सफर का अधिकार था उसको भी भूमिधर बनाया गया। इसी प्रकार दवामी मौरूसी पट्टेदारों को भी बिना दस गुना दिये हुए भूमिधरी के अधिकार दिये गये थे । इसी प्रकार से ग्रोव-होल्डर्स को भी राइट आफ ट्रान्सफर था । उनको भी भूमिधर बनाया जाना चाहिये था लेकिन यह एक गलती रह गई थी जिसको अब ठीक किया जा रहा है ।

पांचवां भी बड़ा संशोधन है वह यह है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि हम पुनर्वासन अनुदान भी दे रहे हैं लेकिन यह पुनर्वासन अनुदान १० हजार से ज्यादा मालगुजारी देने वालों को नहीं दिया जा रहा है । लेकिन जो रिलीजन एन्डाउन्मेंट्स वगैरा की जो सालाना नेट इनकम थी उसको हम गारण्टी कर रहे हैं उनकी चाहे मालगुजारी कितनी ही क्यों न हो । इससे मन्शा यह थी कि जो इस प्रकार के न्यास या ट्रस्ट हैं उनकी वह इनकम हमेशा बनी रहे मिसाल के तौर पर कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद की जो जायदाद है उसकी इनकम १० हजार से ज्यादा है उसको हम इसलिये कि उसकी आमदनी कम न हो जाय, उसकी इनकम की गारंटी कर रहे हैं । लिहाजा वह जो नुक्स रह गया था उस नुक्स को भी दूर किया गया और साथ ही एक धारा अधिनियम में यह है कि जो अन्तरिम प्रतिकर दिया जाय तो वह कम्पेनसेशन में से कटेगा। तो यह व्यक्तियों के लिये तो ठीक है लेकिन अगर कोई रेलिजस प्लेस है, ट्रस्ट है, वक्फ है और उनके कम्पेनसेशन में से काट लेते हैं तो हमेशा के लिये उनकी इनकम कम हो जाती है इसलिये उनकी ऐन्यूटी में से कटेगा। अगर कोई कालेज-मन्दिर है, स्कूल है और उनके खर्च को चलाने के लिये गवर्नमेंट कुछ रुपया अन्तरिम प्रतिकर की शक्ल में देती है तो वह तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट के तरीके पर उनकी ऐन्यूटी में से कटेगा ताकि उनका परमानेंट लास न हो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव समाज का जैसा कांस्टीट्यूशन हमारे अधिनियम में दिया हुआ है उस कंस्टीट्यूशन की वजह से वह भूमि जो अनकल्चरेबिल लैंड है वह स्टेट में वेस्ट हुई और वह गांव समाज में निहित हुई । उसका इन्तजाम बहुत से गांवों में अबतक नहीं हो पाया है । अध्यक्ष महोदय, दफा १४ में यह लिखा हुआ है कि गांव समाज के वे लोग मेम्बर होंगे जो वहां के निवासी हों या उस सर्किल में पाही काश्त करते हों । रहने वाले भले ही दूसरी जगह के हों लेकिन उस गांव में काश्त करते हों । गांव समाज एक प्रकार से नानफंक्शनेबिल बाडी रखा गया है इस ऐक्ट के अन्दर । उसके अन्दर गांव समाज सारा कार्य कर सकता है, गांव समाज की तरफ से गांव पंचायतें सारा कार्य करती हैं और गांव पंचायतों की ओर से लैंड मैनेजमेंट कमेटी सारा कार्य कर सकती है । अन्ततोगत्वा लैंड मनेजमेंट कमेटी हुई जो जमीन का इन्तजाम करती है । लेकिन दफा १२२ में यह लिखा हुआ है कि औसतन तीन गांव समाज पर एक गांव पंचायत होगी और उसकी एक लैंड मैनेजिंग कमेटी होगी है । अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूं कि जो मैं गांव सभा या गांव का नाम लेता हूं इसको भी जरा समझना है । हमारे यहां गांव बहुत छोटे-छोटे भी हैं। इस सूबे में करीब एक लाख ११ हजार गांव हैं जिनमें से करीब १४ हजार गांव पहाड़ों में स्थित हैं । और ९७,९८ हजार गांव मैदानी इलाकों में स्थित हैं ।

[श्री चरण सिंह]

तो पहाड़ी इलाकों में जो १३,१४ हजार गांव स्थित हैं, मैं समझता हूं कि वहां से इस कानून का कोई सम्बन्ध ही नहीं है क्योंकि वहां जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू नहीं किया गया है । ९७,९८ हजार गांवों में करीब साढ़े तेरह हजार गांव ऐसे हैं जो रेवेन्यू यूनिट्स हैं । रेवेन्यू कमेटी के मुताबिक वे विलेजेज ऐसे हैं जिनके रेकड्स सेपरेट हैं । साथ ही साथ ऐसे रेकर्ड्स भी तैयार कराये गये हैं वहां एक एक गांव में २० एडल्ट्स हैं और जहां कुल ४५ से लेकर ५० आदमी तक बसते हैं । यानी जहां पर करीब १० कुटुम्ब बसते हैं ऐसे गांवों की तादाद साढ़े तेरह हजार तक है । तो इन गांवों को आसपास के गांवों में मिला दिया गया है । उसकी तहकीकात करने में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को महीनों लगे । फिर उसका नोटिफिकेशन वगैरह करने पर एक इतना बड़ा पोथा ही तैयार हो गया । तो इस प्रकार से करीब साढ़े ८४–८५ हजार गांव समाज कायम हुए हैं ।

एक तरीके से साढ़े ८४ या ८५ हजार । तो यह ३६ हजार के करीब गांव सभाओं की एक्जीक्यूटिव गांव पंचायत होंगी । एक प्रकार से दो तीन या १ से लेकर ४ तक, जहां बड़ा गांव हुआ तो एक गांव की और बहुत छोटे हुए तो चार-चार गांव की पंचायतें बनीं । तो इन गांव समाजों के जो नुमाइन्दे गांव सभाओं में या गांव पंचायतों में दिये हुए हैं दफा १२२ कहती है कि अगर १० से ज्यादा नुमाइन्दे गांव पंचायतों में हैं तो उस गांव समाज का प्रबन्ध लैन्ड मैनेजमेंट कांस्टीट्यूट करे लेकिन अगर १० से कम है तो गांव समाज एलेक्ट करेगा उतने मेम्बर्स को जितने की मिलाकर १० मेम्बर्स उसके हो जायं । पंचायत राज ऐक्ट के हिसाब से जो गांव के रेजीडन्स होंगे वह गांव सभा के मेम्बर्स होंगे गांव समाज के वह भी मेम्बर्स होंगे जो कि काश्त करते हों उनका रजिस्टर नहीं था लिहाजा दिक्कत आयी, लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी बनाने में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ऐडाप्टेशन आर्डर की बात जो पहिले अखबारों में जाहिर हो चुकी है और आज जो मेज पर रखी गई है उसके जरिये से उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोशिश की गयी है कि गांव सभा के जितने भी मेम्बर्स हों चाहे जितने भी हों चाहे वह १० से कम भी हों तो भी वह उस गांव की लैन्ड मैनजमेंट कमटी कहलाये चाहे वह तादाद में एक हो या दो । तो यह जो कठिनाई थी उसको हल करने के लिये इसमें संशोधन आया । उसकी तफसील में जाना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता । इसके बाद ६ और ७ वह संशोधन है गैर मजरूआ जमीन की बाबत कि अगर वह किसी गांव रकबे के अन्दर तो हो लेकिन वह गांव बजाते खुद किसी लोकल बाडी, टाउन एरिया, नोटीफाईड एरिया या म्युनिसिपल एरिया के अन्दर आ गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी कठिनाई है जो मेरे दिमाग म उस वक्त भी थी जिस वक्त यह बिल बना और कई दफे सोचा लेकिन जिस वक्त फाइनलाईज हुआ उस वक्त दिमाग से निकल गयी और बात रह गयी । लेकिन वह तो रियल डिफीकल्टी थी । उसका इन्तजाम कुछ नहीं है । मान लो कि एक गांव है उसमें गैर मजरूआ भूमि है तो वह सारी स्टेट में वेस्ट हुई गांव समाज में वस्ट हुई और लैन्ड मैनेजमेन्ट कमेटी उसका इन्तजाम कर रही है जहां बनी है, लेकिन मान लीजिए कि वह जमीन टाउन एरिया में पड़ती है तो टाउन एरिया तो बजात खुद एक रेवेन्यू यूनिट है उसमें भी रिकर्ड्स हैं । तो टाउन एरिया की लिमिट्स तो ज्यादा से ज्यादा आधे फर्लांग आबादी के चारों ओर है तो उन लिमिट्स के अन्दर जमींदारी अबालिश नहीं हुई और अब उसके लिये दूसरा बिल आया हुआ है, लेकिन इन लिमिट्स में बीस बिस्वे रकबा जो गांव का एग्रीकल्चरल एरिया है उसके बीच में पड़ता है तो उस अनकल्टीवेटेड लैन्ड का इन्तजाम कुछ नहीं है । अगर मामूली गांव होता और टाउन एरिया के अन्दर शामिल नहीं होता, म्युनिसिपल एरिया के अन्दर शामिल न होता तो गांव समाज को मिलता । लेकिन यहां अभी तक गांव सभायें हैं क्योंकि वहां नोटीफाईड एरिया या टाउन एरिया है और वह जमीन अभी तक स्टेट में वेस्ट करती है और किसी को नहीं दी गई । लिहाजा एसी जमीन का इन्तजाम भी इसमें हो जाय तो

मन्शा यह है कि ऐसी अनकल्टीवेटेड एरिया जो कि उनके रकबे के अन्दर शामिल हो जो टाउन एरिया और म्युनिसिपल एरिया के लिमिट्स के अन्दर रहते हों वह जमीन उन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपल एरिया के इन्तजाम के लिय दे दी जायेगी और उनकी जो लिमिट्स के बाहर है, लेकिन वहां के रहने वालों की मिलकियत में थी या यह कहिए कि जो उसके गांव के एरिया के अन्दर शामिल है। क्योंकि उस आंव के रहने वाले ऐसे हो सकते हैं जो उस गांव में नहीं किसी दूसरी जगह मालिक हों। वह एक बड़ा नुक्स था जो इस विधेयक में दूर किया गया है। भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के सिलसिले में टिनेन्ट्स (एक्वीजिशन आफ प्रिविलिजेज) ऐक्ट जिनके अधीन भूमिधरी आन्दोलन चलाया था उसमें यह था कि किसान जब दस गुना दाखिल कर दे उसी तारीख से भूमिधर होता था। लेकिन किसी तरह से इस अधिनियम में ऐसा हो गया कि वह उसी वक्त से नहीं होगा बल्कि अगली फसल से होगा। वह बिलकुल ओवर साइट से ऐसा हुआ था। लिहाजा उस त्रुटि को इसमें दूर किया गया है। और भी उस सिलसिले में बहुत छोटे छोटे संशोधन हैं लफ्जी। हमारे स्टेटमेंट आफ आब्जक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में यह लिखा हुआ है सवा ६ एकड़ के बजाय ३.१२५ से नीचे तकसीम नहीं हो सकती। मैं आपकी इजाजत से सदन से कहना चाहता हूं कि यह गलत है। ऐसी इसमें कोई धारा नहीं है। जो मालगुजारी अपनी न दे तो अपने हिस्से की मालगुजारी न देने के सिलसिले में वह शख्स गिरफ्तार हो सकता है। ऐसा अधिनियम में है लेकिन मालगुजारी क अलावा गवर्नमेंट के जो और भी ड्यूज हों वह भी मालगुजारी के तरीके पर वसूल किये जा सकत हैं। यह उसूल रहा है हमेशा। तो इस मौजूदा अधिनियम में यह है कि मालगुजारी अगर अपनी न दे तो किन्हीं शर्तों में अगर मजबूरी हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मालगुजारी के अलावा कोई और देय रकम हो तो गिरफ्तार नहीं हो सकता है। यह भी मन्शा नहीं थी। यह भी गलती थी। उसको दूर किया गया है।

दफा ३०२ मौजुदा अधिनियम में यह है कि अदालत माल में जो दावा दायर हो उसमें अगर टाईटिल का सवाल उठे तो अदालत माल जो शख्स टाईटिल का सवाल उठाता है उसको यह हुकुम देगी कि किसी विशेष अर्से के अन्दर तुम दावा अदालत दीवानी में दायर करो और जब उसका फैसला हो जाय तब यह मुकदमा यहां चलेगा। उसके बजाय यह किया जा रहा है कि यह होगा कि बजाय इसके कि वह मुकद्दमा रोककर वह एक अलहदा मुकदमा दायर करे यह होगा कि केवल तनकीह अदालत दीवानी ही भेजगा, जहां मुकदमा रुका रहेगा जैसा कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में एक सेक्शन था, बिलकुल उन्हीं लाइन्स पर इसमें तैयार की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोटी सी तरमीमें हैं जो कि इसमें की जा रही हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि और भी छोटी मोटी तरमीमें हैं।

मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री के भाषण से प्रकाशित है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन होने जा रहा है जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में। उन संशोधनों को माननीय राजस्व मन्त्री ने स्वयं विस्तार से बताया है। जब कि इतने महत्वपूर्ण संशोधन हैं। जिनका इतना बड़ा असर होगा हमारे प्रदेश के इतने व्यक्तियों के ऊपर तो यदि हम इन संशोधनों को सदन में ऐसे मान लें और उनके ऊपर वाद-विवाद होने लगे तो मेरी समझ से यह बहुत ज्यादा उपयुक्त न होगा।

अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट सात दिन के अन्दर दे --

(१) श्री द्वारका प्रसाद मौर्य।
(२) श्री जयपाल सिंह।
(३) श्री वसी नकवी।

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

(४) श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) ।
(५) श्री शिवनाथ काटजू ।
(६) श्री राधामोहन सिंह ।
(७) श्री पद्यनाथ सिंह ।
(८) श्री नवलकिशोर ।
(९) श्री रामलखन (बनारस) ।
(१०) श्री लुत्फअली खां ।
(११) श्री शिवसरन लाल श्रीवास्तव ।
(१२) श्री ब्रजवासी लाल ।
(१३) श्री वीरेन्द्रपति यादव ।
(१४) श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह ।
(१५) श्री रामलखन मिश्र (बस्ती) ।
(१६) श्री लक्ष्मीरमण आचार्य ।
(१७) श्री ज्वालाप्रसाद ।
(१८) श्री उम्मेद सिंह ।
(१९) श्री गेंदा सिंह ।
(२०) श्री रामनारायण त्रिपाठी ।

जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इस संशोधन के ऊपर हमारे प्रान्त के एक बहुत बड़े बुद्धिवादी वर्ग के लोग अपनी राय करेंगे, अपने विचार उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर लगायेंगे, मेरा मकसद उन विद्वानों से ऐडवोकेट्स और मुख्तारों से है कि जोकि अदालत में जाने के बाद इसका अर्थ लगावेंगे। तो पूर्व इसके कि हम इसे परिपक्व रूप देकर जनता के सामने भेजें। हम चाहेंगे कि इस पर अच्छी तरह से एक प्रवर समिति द्वारा विचार हो जाय और इसी वजह से यह जरूरी समझता हूं कि इस पर प्रवर समिति के द्वारा विचार किया जाय।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझको यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अभी और भी इस पर संशोधन मौजूद हैं। उनके सुनने के बाद आप अपनी राय देंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक में निम्न-लिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

"यह विधेयक जनमत प्राप्ति के हेतु भेजा जाय, जो कि १५ दिन के अन्दर उपलब्ध होना चाहिये।"

मैं इस सम्बन्ध में जो कुछ दलील देना चाहता था उसमें से बहुत सी बातें तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने कह दी और मेरा बोझ बहुत हलका हो गया। शायद मैं उतनी खूबसूरती के साथ कह भी न पाता, जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जब यह क़ानून इस प्रदेश में बना था तो बहुत ही विचार विनिमय के बाद बना था और उससे बड़ी बड़ी आशा की गयी थी और आज भी आशा है, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह उस जमाने में भी बहुत क्रान्तिकारी था और आज भी है। मैं इस पर कुछ अधिक न कह करके इस बात को स्वीकार कर लेना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने समाज को एक नई शक्ल में आने में बहुत मदद दी और जो हजारों वर्ष से स्थापित कुछ स्वार्थों के साथ में समाज की नकेल थी उसको निकाल करके एक रास्ता हमारा सुगम किया।

यह क़ानून काफ़ी लम्बा-चौड़ा है। ३०० धाराओं से ऊपर का है और कई वर्षों में यह क़ानून बन सका है। इतने दिनों के बाद क़ानून अमल में आया और कुछ ही दिन हुए कि क़ानून पर सूबे में काम हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस क़ानून की

खामियों पर माननीय राजस्व मंत्री से इस संबंध में कुछ बात करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुछ दिन अधिक जब पिछली मर्तबा अधिनियम के कुछ रूल्स बन रहे थे उस जमाने में उनके साथ काम करने का मौक़ा मिला था। एक कमेटी उन्होंने बनायी थी और उस कमेटी में काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ था। काफ़ी तजुर्बेकार लोग उस कमेटी में मौजूद थे। मुझे भी कुछ सीखने का मौक़ा उस कमेटी में मिला था। मुझे कुछ ऐसी याद पड़ती है कि जिन बातों की चर्चा उस कमेटी में हुई थी उन बातों का स्मरण संभवतः माननीय राजस्व मंत्री जी को नहीं है। कुछ मेरा ही खयाल ऐसा नहीं है बल्कि जो लोग उस कमेटी के मेम्बर थे उस जमाने में और जो हमारे विचार से अधिक सहमत नहीं रहते हैं वे कांग्रेस दल के ही हैं और उनका भी ऐसा खयाल है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने संशोधन का रूप बताया कि इस क़ानून में संशोधन करके पिछले क़ानून के क्रांतिकारी स्वरूप को कुछ और अधिक क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं। मैं तो ऐसा ही समझता हूं कि उन्होंने ऐसा ही बिलकुल समझा होगा कि जो क़ानून पिछली मर्तबा बना है उसमें कई त्रुटियां रह गयी हैं और उन त्रुटियों को दूर करने के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है। जो संशोधन इस समय हमारे सामने है उनपर जो सिलेक्ट कमेटी बनी हुई है विचार कर सकेगी। इसलिये इस सम्बन्ध में अधिक समय में सदन का लेना मुनासिब नहीं समझता। उसपर तो विचार करके उसको बदलने का उसके स्वरूप को कुछ इधर उधर करने का अधिकार इस सिलेक्ट कमेटी को हुआ है और सिलेक्ट कमेटी से विचार होकर के आने के बाद सदन को भी अधिकार रहेगा परन्तु मैं सबसे पहले इस सदन का और माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान उन मोटी-मोटी दो एक बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनकी तरफ उनका ध्यान कतई नहीं गया है और वह भूल गये इस बात को कि इस क़ानून में कुछ मोटी मोटी ऐसी खामियां रह गयी हैं जिनको हम लोग पहले से अनुभव भी करते थे कि उनको दूर करने की कोशिश की जाय। मैं एक बहुत मोटी बात उनकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। भूमिधरी के अधिकार के संबंध में जितनी बात माननीय राजस्व मंत्री जी कह सकते हैं उतनी बात शायद ही इस सदन में दूसरा कोई कहे। भूमिधरी राज्य का प्रवर्तक उन्हें कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। भूमिधरों को उत्पन्न करने का श्रेय उनको है परन्तु मैं "बेचारे" शब्द इस्तेमाल करता हूं कि उन बेचारे भूमिधरों की तरफ से कुछ उनसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने उनको बेचने का अधिकार दे रखा है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--एक बेचारे आप की बग़ल में बैठे हैं।

श्री गेंदासिंह--कई बेचारे होंगे। मैं इस सम्बन्ध में उनका ध्यान उन्हीं के बनाये हुये क़ानून की उन धाराओं की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां पर उन्होंने ट्रांस्फर करने या बेचने का अधिकार तो दे रखा है भूमिधरों को लेकिन जहां पर कि भूमिधर अपनी जमीन को बंधक रखेगा तो बंधक रखने के बाद क़ानून के अनुसार जिसके हाथ में बंधक जमीन रखी जायगी वह उसका मालिक हो जायगा। इस तरह का अधिकार उन्होंने दिया है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--पढ़ने की क्या जरूरत है।

श्री गेंदासिंह--आप स्वीकार करें तो पढ़ करके मैं सदन का समय जाया करना नहीं चाहता। इस तरह का क़ानून मौजूद है। हमारी साधारण बुद्धि में कोई ऐसी बात नहीं आ रही है जिससे यह कहा जाय कि एक आदमी को, एक हक़दार को आप इंतकाल का हक़ तो दे रहे हैं कि वह अपनी गर्दन पर छुरी चला ले। लेकिन वह अपनी उंगली काटकर अपनी हिफाजत कर सके इसका अधिकार हुकूमत नहीं देना चाहती है। मैं इसे ऐसा ही समझ रहा हूं। इस देश में गिरवी रखने की प्रथा आज से नहीं बहुत पुरानी प्रथा है। बावजूद इसके कि सन् १९३९ में एक ऐक्ट के द्वारा हमने इस पर रोक लगाई थी कि हम किसी भी हालत में यह हक़ काश्तकार को नहीं देंगे कि वह अपनी जमीन बंधक रख सके या किसी

[श्री गेंदा सिंह]

शिकमी को दे सके। लेकिन हमारे राजस्व मंत्री इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि आज रेहन की प्रथा सारे सूबे में प्रचलित है और लाखों किसान अपनी जमीन रेहन रखते हैं। अब मेरी राय इस संबंध में क्या हो सकती है। मैं तो राजस्व मंत्री की क़ानूनों की पेचीदगियों और उनकी अमली शक्ल क्या होती है इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह तो एक मोटी सी बात थी और जिस पर मैं उम्मीद करता था कि माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं वह भी इस बात को समझते थे कि ऐसी मोटी गलती जो हो चुकी है उसका सुधार अब की मर्तबा जरूर हो जायगा। मुमकिन है यह भूल हुई हो। इसलिये मैं यह सोचता हूं कि यदि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो गया तो वैसी हालत में हम सिलेक्ट कमेटी के स्कोप को तो बढ़ा नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी धारणा ऐसी है कि सिलेक्ट कमेटी सिर्फ उन्हीं बातों पर विचार कर सकती है जिनका जिक्र इस बिल में है। यदि सिलेक्ट कमेटी का स्कोप बढ़ सके और पिछले क़ानून पर भी सिलेक्ट कमेटी विचार कर सके तो मुझे ऐसा संशोधन इस सदन के सामने लाना नहीं है वर्ना मेरी मजबूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सहायता चाहूंगा यदि इस तरह की गुंजायश किसी भी तरह से हो सकती हो कि सिलेक्ट कमेटी इस बिल के अलावा पुराने क़ानून पर भी विचार कर सके। यदि इस तरह की सुविधा प्राप्त हो जाय तब तो बहस यहीं खत्म हो जाती है और फिर हम लोग सिलेक्ट कमेटी में बैठकर विचार कर लेंगे। लेकिन राजस्व मंत्री जैसा कि अपना सिर हिला रहे हैं उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह इसे शायद स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब ऐसी हालत में मेरी मजबूरी है। केवल एक उदाहरण मैंने उनकी खिदमत में पेश किया है। यह एक ही मामला नहीं है। उन्होंने जिस चीज की तरफ इशारा किया था जिससे मेरी लालच बहुत बढ़ गया था। लेकिन उनमें से एक जो उन्होंने अभी छीना तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ वह था बंटवारे वाली धारा में संशोधन का। जो एम्स एंड आबजेक्ट्स बिल के हैं उन्हीं को मैंने जल्दी में पढ़ा था। जमींदारी विनाश क़ानून में लिखा हुआ है कि इस संशोधन विधेयक ३ १/८ एकड़ से अधिक का खाता बंट सकेगा इसकी गुंजायश की गई थी। सवा छः एकड़ तक के खाते का बंटवारा नहीं हो सकेगा। रुक जायगा, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि यह ग़लत छप गया है और फिर इस प्रकार की कोई धारा बिल में नहीं है। मैं इस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब रूल्स कमेटी बनी थी तो बार-बार कुछ मैंने ही नहीं बल्कि माननीय सदस्यों में से अधिकांश ने राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाया था कि जब तक मुल्क में जमीन के बंटवारे का कोई प्रबंध नहीं है, लोगों की रोजी का प्रबंध नहीं है तब तक बंटवारे को कुछ और लोगों को बिला जमीन के न बनाया जाय क्योंकि हमारे लिये यह मुसीबत की बात है। रोजी चाहे ५ एकड़ की बात हो, आधे एकड़ से हो, एक एकड़ से हो लेकिन अगर कोई भी रोजी रहती है तो हम यह कहने के लिये तैयार हैं कि इसके पास कुछ रोजी का जरिया है उसके लिए कुछ देर का सहारा है। परन्तु बंटवारा रोक कर हम फिर यह सोचेंगे कि उसको रोजी दिलाने का क्या इन्तजाम किया जाय। लेकिन अगर इस धारा को हम इस तरह से रखना चाहते हैं जैसी कि पहले से है तो इसका नतीजा यह होता है कि अगर ४ भाई हैं और आपस में न बनने से बटवारा होता है और सवा ६ एकड़ जमीन फी भाई नहीं आयेगी तो सारी जमीन नीलाम की जायगी और जो भाई सबसे ज्यादा क़ीमत देने को तैयार होगा वह जमीन उसको दे दी जायगी। इसका मतलब यह है कि सवा ६ एकड़ से नीचे जमीन होने पर वह भाई जमीन नहीं पा सकता, रुपया पायेगा और रुपये से वह चाहे जिस तरह से परवरिश का इन्तजाम करे। यह भूमिहीन सेना पहले से ही इस देश में मौजूद है तो क्या उस सेना में कुछ और भरती करने का कार्यक्रम है? मैं तो समझता हूं कि यह कार्यक्रम उचित नहीं है और उस बटवारे वाली धारा को भी माननीय राजस्व मंत्री जी को निकाल देना चाहिये और उसकी जगह पर ऐसा बन्दोबस्त करना चाहिये कि जब तक हम देश में रोजी दिलाने की

व्यवस्था न कर लें तब तक जिन लोगों के पास रोजी रह गई है उसको भी छीनने की व्यवस्था न करें।

श्री चरण सिंह--बच्चे ज्यादा पैदा न किये जायं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय राजस्व मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह भी तो जब्त करें। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं राजस्व मंत्री जी के इस सुझाव का स्वागत करता हूं लेकिन इस बिल में इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। अगर राजस्व मंत्री जी कोई बिल ले आयें तो फिर इसका बन्दोबस्त किया जा सकता है। लेकिन इस बिल से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी जौनसार बावर की प्रथा ला रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जौनसार बावर की प्रथा सारे सूबे में लाने की कोशिश न करें क्योंकि वहां पर तो हम सुधार चाहते हैं। तो मैं इस बात पर निवेदन कर रहा था कि जब तक कि रोजी देने की व्यवस्था हुकूमत न कर सके तब तक जो कुछ भी उनके पास रोजी का जरिया है उसको छीनने की कुव्यवस्था न करें, इस पर वह गौर करें। इस बिल में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनको माननीय राजस्व मंत्री जी यह समझते हैं कि बड़ी प्रगतिशील हैं। दफ़ा १४६ में यह अधिकार था कि जो जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार की उन्नति करे। यह लिखा हुआ था। माननीय राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि मूल अधिनियम की धारा १४६ में शब्द "और उसमें जिस प्रकार चाहे उसमें उन्नति करे" निकाल दिये जायं। मैं समझ नहीं पाया "कि जिस प्रकार की उन्नति करे निकाल दिये जायं" शब्द निकाल दिये जायं इससे क्या अर्थ है। मैं तो सीधा-सादा सा अर्थ जानता हूं। बहुत सीधी-सादी भाषा में मैं यह समझता हूं कि शायद माननीय राजस्व मंत्री जी इसको पूरे तौर से पढ़ नहीं पाये हैं। या उनकी कम जानकारी की वजह से इस तरह की धारा इसमें छप गई है। जब यह ऐसा बिल है कि जिसको राजस्व मंत्री जी प्रगतिशील कहते हैं तो हमारी प्रगतिशीलता में तो यह बात आती नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस वक्त सिद्धान्त पर बहस हो सकती है लेकिन एक एक धारा को लेकर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह--चूंकि राजस्व मंत्री जी ने अपनी तक़रीर में उन धाराओं का जिक्र किया था इसलिये मैंने धाराओं का जिक्र किया, अब मैं ध्यान रखूंगा कि सिद्धान्त पर ही बात हो।

श्री अध्यक्ष--सिद्धान्त के लिये धारा की आवश्यकता पड़े तो उसको कोट कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं केवल राजस्व मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह बजाय इसके कि इस बिल को वह सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द करने की बात सोचें इस बात पर फिर विचार करें। मैं अपनी सलाह के लिये नहीं कह रहा हूं या इस तरफ बैठने वालों की सलाह के लिये नहीं कह रहा हूं

श्री चरण सिंह--आप यह मेरी और तेरी की बात करते हैं मैं तो सब को एक ही समझता हूं।

श्री गेंदा सिंह--जब मैं परमहंस की अवस्था को पहुंच जाऊंगा तब तो यह बात संभव हो सकती है कि मेरी और तेरी की बात छोड़ दी जाय और जो आदमी इस अवस्था को पहुंच गया हो उससे आप ऐसा कह सकते हैं कि वह मेरी और तेरी के झंझट में न पड़े, लेकिन जब तक मैं एक साधारण आदमी हूं। जब तक मेरी जायदाद है, मेरे लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरी स्त्री है तो ऐसी हालत में राजस्व मंत्री मुझे क्षमा करेंगे कि मुझे इस भाषा को बोलना पड़ेगा।

[श्री गेंदा सिंह]

इस जगह पर मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि यहां पर मेरी तेरी की बात न कही जाय तो अच्छा है पर देखें वह दिन कब आता है। आप इस बात को मान लीजिये कि यह १५ दिन का मामला है। १५ दिन में, माननीय सदस्यों की राय क्या है, आपको जनता की भी राय मालूम हो जायगी। लोगों की ऐसी राय है कि इस क़ानून पर संशोधन लाने के लिये कुछ थोड़ा सा आप को समय देना चाहिये। हुकूमत को यह चाहिये था कि लोगों की, माननीय सदस्यों की राय निमंत्रित करती। निमन्त्रित करने पर सरकार को बहुत सहूलियत और आसानी प्राप्त हो सकती थी, क्योंकि जिन लोगों को अमली तौर पर इस क़ानून का अनुभव प्राप्त हुआ है या जहां पर वह दिक़्क़त समझते हैं वह सारी दिक़्क़तें आपके सामने आतीं और उन सब मुसीबतों का दिग्दर्शन हो जाता। फिर राजस्व मंत्री जी उन सारी दिक़्क़तों को सुनने के बाद अगर इस क़ानून को सुधारने की कोशिश करते तो ज्यादा अच्छा होता और क़ानून पूरा होता। उनका जो खयाल है कि वह पुराने क़ानून को पूरा करने के लिये और उसकी खामियों को दूर करने के लिये यह संशोधन लाये हैं पर उनका उद्देश्य अधूरा है। यह कोई मेरी भावना नहीं है और कोई केवल मेरी धारणा नहीं है यह भावना बहुत से लोगों की है। उसी भावना को मैं सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। मैं तो यह समझ रहा हूं कि मैं कोई क़ानून पेशा नहीं हूं लेकिन जो लोग क़ानून पेशा हैं और ज्यादातर उस तरफ क़ानून पेशा लोग बैठे हुये हैं उन्होंने इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की है। हमारी तरफ तो नारायण दत्त जी जैसे क़ानून पेशा बैठे हुये हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की

श्री अध्यक्ष--अब तो यहां सभी सदस्यों को कानून पेशा बनना पड़ रहा है।

श्री गेंदा सिंह--तो जितनी बात मेरी जानकारी में थी उसमें से कुछ निवेदन किया उन सभी को मैं इस समय कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं इतना कहकर केवल उनका आशीर्वाद इस संशोधन पर चाहता हूं कि वह इसको स्वीकार करें क्योंकि १५ दिन का कोई ऐसा मामला नहीं है। मैंने यह भी देखा कि इन संशोधनों की बदौलत कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होन जा रही है कि जिससे यह ७ दिन के अन्दर सेलेक्ट कमेटी से वापस आ जाय और जल्दी से पास हो जाय। मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मैंने तो यही सुना है कि अभी इस सेशन को काफ़ी चलना है और हम भी प्रयत्न करेंगे कि इस सेशन के चलते हुए ही यह क़ानून बन जाय बशर्ते कि इस पर लोगों की राय जान ली जाय और उसके अनुसार उस पुराने क़ानून को और सहूलियत के साथ अच्छा बनाने का प्रयत्न किया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे दोस्त श्री गेंदा सिंह ने यह फरमाया है कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाय। मेरे खयाल में यह कौन सी ऐसी बात है कि जनमत के लिये भेजना जरूरी है। मेरे खयाल से तो साधारण से संशोधन हैं। जहां तक स्कोप के लिये फरमाया कि सेलेक्ट कमेटी को वाइड पावर्स दी जायं तो इसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जिसकी वजह से ज्यादा पावर देने की जरूरत है। जहां तक इसके सिद्धातों पर बहस का ताल्लुक है मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं तहेदिल से इसका स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ किया है वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी द्वेष--भाव से की हो। जहां तक जमींदारों को उनके निजी कुओं के देने का सवाल है मेरे खयाल में सूबे भर में कोई भी ऐसा निकम्मा जमींदार न होगा जो अपने कुओं से किसानों को पानी न लेने देता हो वह तो ऐसी चीज है कि जमींदार हमेशा अपनी लकड़ी और ईंट देकर बनवाते थे और काश्तकारों को पानी की हर तरह की सुविधा देते थे ताकि वह उनका लगान आसानी के साथ अदा कर सकें।

जिन मध्यवर्तियों के काश्तकारों को आपने मौरूसी हक दिये थे, जो कि २५० से ऊपर के मालगुजार थे, अब ऐसा मालूम होता है कि वह मातहतदार, मालिक अदना या दवामी काश्तकार, जो कि २५० रुपये से कम के थे, उनको अधिवासी अब माना जाय और जो अधिक देते थे उनके

लिये आपने एक प्रतिबन्ध लगा दिया है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल व्यर्थ और प्रयोजनरहित है। एक चीज और है जिसके बारे में मुझे कहना है और जहां तक दूसरे उपबन्धों का प्रश्न है मुझे कुछ कहना नहीं है। धारा १९८ में प्राथमिकता के क्रम में कृषि संबंधी भूमि में श्रमिक को द्वितीय स्थान दिया जायगा। प्रायरिटी कोआपरेटिव फार्म को दी गयी है, जहां तक कोआपरेटिव फार्म का संबंध है, मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चरल लेबर जो कि लैंडलेस है उसी को प्राथमिकता देना चाहिये क्यों कि एक के पास जमीन अधिक है और दूसरे के पास बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि कोआपरेटिव फार्म के लिये काफी प्रयत्न होना जरूरी है लेकिन लैन्डलेस लेबर को भी जमीन देने में हिचक नहीं होना चाहिये और हमारे सोशलिस्ट भाइयों को भी इसमें एतराज न होना चाहिये जो कि हमेशा से इस पर जोर देते आये हैं। और जिसकी ओर माननीय गेंदा सिंह ने विशेष बयान नहीं दिया। श्रीमान् जी, एक टाइटिल का भी प्रश्न है। उसके मुताल्लिक अदालत मालको ऐसे अधिकार दे दिये गये हैं कि वे चाहें तो सिविल कोर्ट्स में भेजें या न भेजें।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य तो सेलेक्ट कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके उसूल को तो मानते ही हैं।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इन संशोधनों का संबंध है, मैं समझता हूं कि इनका आना अत्यन्त आवश्यक था और बहुत सी कमियां जो लोगों के सामने थीं हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने इसमें रख दी हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी रह गयी हैं जिनका आना बहुत ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर, कुछ भूमि ऐसी है जो कागज में किसान की दर्ज नहीं है, मगर वह उसके दिनरात इस्तेमाल में आती रही है। एक किसान के खलिहान की या कोल्हू रखने की जगह नए ऐक्ट के मुताबिक गांव सभा की हो जानी चाहिए, क्योंकि भूमिधर को केवल वही भूमि दी जाती है जो कि उसके मकान के नीचे हो या बाग के नीचे हो मगर वह भूमि जिस पर एक किसान बाप दादाओं के जमाने से कोल्हू खड़ा करता आया है या जहां अपने पैर डालता है, वह गांव सभा की हो जाती है। वह चीज कितनी आवश्यक है, यह सभी भाई खेती से संबंध रखने वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक समय राजस्व मंत्री के सामने यह बात रखी भी गयी थी और इस किस्म का संशोधन होना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि नम्बरदार लोगों ने, चूंकि उनका अधिकार था, ऐसे लोगों से जो जमीन पर गासिबाना काबिज थे, जमीनें बेदखल कराईं और उन नम्बरदारों ने उन्हें अपने ही कब्जे में रख लिया और अब वे नम्बरदार उन जमीनों से बड़े अच्छे मुनाफे कमा रहे हैं। नम्बरदार की हैसियत एक रिप्रेजेंटेटिव की थी और जो जमीन उसने बेदखल कराई वह सबके फायदे के लिये होनी चाहिये थी। मगर जिस समय जमींदारी विनाश कानून बना उस वक्त इस पर विचार नहीं किया गया। इसके कारण लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और उनके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता है कि वे कहां जावें।

श्री चरण सिंह--आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहता हूं। सेलेक्ट कमेटी के लिये मोशन हो चुका है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। अमेंडिंग बिल्स का कायदा यह है कि चाहे वे सेलेक्ट कमेटी में जावें चाहे सरकुलेशन में, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लिहाजा और कोई सुझाव देना, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, इस समय बेकार है। वे अब इसमें इनकारपोरेट नहीं हो सकता। और जिस विशेष बात का वह जिक्र कर रहे हैं, वह हम रूल्स में करने जा रहे हैं। इसलिये मैं अपने लायक दोस्त से कहूंगा कि अपने सुझाव देने से पहले वह विचार करें कि क्या उससे कोई लाभ होगा।

श्री बलवन्त सिंह--चूंकि ऐक्ट में यह कमी रह गयी थी इसलिये उनका पूरा होना आवश्यक था। मेरा मंशा यह है कि जो सेलेक्ट कमेटी है, वह इन सुझावों को भी सोचे और इसके लिये इसका स्कोप बढ़ाया जाय।

श्री चरण सिंह--नहीं बढ़ाया जा सकता। कानूनन नहीं बढ़ सकता वरना तो सारा ऐक्ट ही खुल जायगा और दूसरा बिल लाना होगा।

श्री बलवन्त सिंह--किसी ऐक्ट का बारबार संशोधन करना तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं समझता।

श्री चरण सिंह--जरा सी बात। शुरू में ही कम से कम जहां तक कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स का सवाल है, हर एक से सुझाव मांगे गये थे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो सुझाव मांगे गये वे बहुत से नहीं आये हैं।

श्री चरण सिंह--हां, यह दूसरी बात है कि वे गैरजरूरी थे।

श्री बलवन्त सिंह--मुझे सदन के सामने और राजस्व मंत्री के सामने ये दो चार बातें रखनी थीं, जो मैं समझता हूं कि आवश्यक हैं। वे हमारी बदकिस्मती से रह गयी थीं। आगे के अमेंडमेंट से मालूम ऐसा होता है कि उसमें बहुत समय लगेगा और समय लगने के बाद बहुत सी खराबियां रह जाती हैं जो फिर कानून की शकल अख्तियार कर जाती हैं। उसमें लिमिटेशन आ जाता है जिसके कारण दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मगर मैं चाहता हूं कि अगर कोई तरीका हो सकता हो तो इन बातों को इसमें ले लिया जाय।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आया है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, यह नामुमकिन सा था कि जमींदारी एबालिशन जैसे बिल में, जिसमें कि ३०० के लगभग धारायें हों, जो इतना क्रांतिकारी हो और जिसका कि इस स्टेट के बहुत से लोगों की जिन्दगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा हो, उसके लागू हो जाने के बाद कोई ऐसी मुश्किलात महसूस न हो कि कोई अमेंडिंग बिल न लाना पड़े या कोई ऐसी बातें न छूट गयी हों जो बाद में अनुभव से पता चले कि उनका वहां होना आवश्यक था। इस मौजूदा संशोधन विधेयक में जो चीजें हैं वे बड़ी बड़ी या मोटी मोटी तीन चार हैं, जिनका कि माननीय मंत्री ने खुलासा तौर से यहां जिक्र किया है। जहां तक इंटरमिडियेरीज के कुवों का ताल्लुक है, यह मानना होगा कि अगर वे इंटरमीडियेरीज के पास ही छोड़ दिये जाते हैं तो उसमें किसी को भी कोई असुविधा होने की आशंका नहीं है। बल्कि मेरा तो खयाल है कि उससे काश्तकारों को, जमींदारों को सुविधा ही होगी। बाग, जिनके पास हैं उनका भूमिधर हो जाना अत्यन्त ही आवश्यक था और अगर किसी ने किसी तरह से किन्हीं कारणों से पहले विधेयक में छूट गया था और अब जब इस विधेयक का संशोधन किया जा रहा है तो उस समय श्रीमान, यह प्राविजन रखना कि ग्रोव होल्डर भी भूमिधर हो जायेंगे, मैं समझता हूं कि बहुत ही उचित बात है, इस तरह वक्फ और ट्रस्ट्स जो १० हजार रुपये से ज्यादा लैन्ड रेवेन्यू या मालगुजारी देते हैं, उनको भी ऐन्यूटी मिलती रहे यह बहुत ही उचित और आवश्यक चीज थी। इस विधेयक की केवल एक चीज से मैं इत्तफाक नहीं करता और उसके खिलाफ मैं आपके द्वारा सरकार से कुछ कहना चाहता हूं। और वह यह है कि चाहे उस समय गलती से छूट गया हो, परन्तु कोई भी काश्तकार जो मालगुजारी अदा न कर सके, गवर्नमेंट रेवेन्यू अदा न कर सके तो वह गिरफ्तार नहीं हो सकता था। चाहे वह मिस्टेक ही रहा हो, मिस्टेक से ही छूट गया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उस मिस्टेक को सुधारने से काश्तकारों को बहुत असुविधा होगी। इसलिये श्रीमान्, मैं कहता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट की मालगुजारी का प्रश्न है वह तो अवश्य किसी न किसी तरह से वसूल होगी ही। परन्तु मैंने अपने अनुभव से देखा है, कम से कम अपने क्षेत्र में जो गाँजर क्षेत्र कहा जाता है, जहां लगातार दो तीन साल तक फसल बरबाद होती रही है और वहां के लोगों को तकावी भी दी गयी है। लेकिन वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां के लोगों को यह भी नहीं मालूम कि अगर तकावी न अदा कर

सके तो उसके लिये आगे क्या उपाय करें। फसलें लगातार खराब होने की वजह से वे तकावी तो अदा ही नहीं कर सकते उसका सूद भी नहीं अदा कर सकते। फिर पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने की वजह से उनको किसी प्रकार की यह भी सुविधा नहीं है कि कोई उनको यह भी बतला सके कि आगे तुमको क्या करना चाहिये। अगर मैं कभी बीच में चला गया और उन लोगों ने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने बतला दिया लेकिन वहां की हालत इस मामले में बहुत ही खराब है। ऐसी हालत में श्रीमन्, अगर कोई आदमी वहां अरेस्ट कर लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह अवश्य निवेदन करूंगा कि जिसको वे समझते हैं कि गलती है और अब हम उसको सुधारने जा रहे हैं तो उसको गलती ही मान कर छोड़ दें। मैं समझता हूं कि उससे सरकार को कोई असुविधा नहीं होगी। इसकी भी कोई आशंका नहीं है कि काश्तकार जान बूझ कर गवर्नमेंट ड्यूज नहीं देंगे। गवर्नमेंट ड्यूज हैं, पंचायतें टैक्स लगाने जा रही हैं, तो कौन कौन गवर्नमेंट ड्यूज समझे जायेंगे। यह किस परिभाषा में आता है उसको भी तय करना होगा। वे गरीब बेचारे अपने बीज वगैरह के लिये तकावी लेते हैं और सरकार यह देख कर, खूब अच्छी तरह जांच कर के ही कि इस आदमी को तकावी देना बहुत जरूरी है तब वह तकावी देती है। ऐसी हालत में जब उन गरीबों की मदद करने के लिये ही तकावी दी जाती है क्योंकि उनकी फसल लगातार दो तीन चार साल तक बरबाद हो चुकी है तो उस समय इस तरह से तकावी को वसूल करना मैं समझता हूं श्रीमान, कि सर्वथा अनुचित होगा। खासतौर से गवर्नमेंट ड्यूज। इन चन्द बातों को सरकार के सामने रख कर मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसका भी समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने है और उसके संबंध में यह प्रस्ताव है कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसे उचित समझता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो इसमें बातें रखी हैं और कहा है कि वे आवश्यक बातें हैं उनमें से कई बातों से मेरा पूरा इत्तिफाक है परन्तु एक दो बातों के लिये मैं नया सुझाव देता हूं। उन्होंने यह रखा कि धर्मार्थ की आमदनी जितनी रही है उतनी मिलती रहेगी यह बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर टाइटिल का मामला माल की अदालत में पेश होता है तो माल की अदालत स्वयमेव ईशू (issue) कायम करके दीवानी अदालत को भेज देगी। यह भी बहुत ठीक है। इससे बहुत सी तबालत बच जायगी। इसी तरह से कुओं की बात जो उन्होंने रखी है कि अगर खाते के अन्दर हो या बाग के अन्दर हो तो वह भूमिधर का और उसके बाहर हो तो गांव सभा के सुपुर्द किया जाय यह भी बिल्कुल ठीक है। एक बात जो मुझ को कहनी है वह सक्सेशन पर है। वह खाली जमीन की बाबत है जो भूमिहीन थे वे पहले तो चौथे नम्बर पर रखे गये थे परन्तु अब जो संशोधन विधयक आया है उसमें उसको दूसरे नम्बर पर रखा गया है। पहला नम्बर कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया है और दूसरे नम्बर पर भूमिहीन को रखा है। मेरी समझ में आज कल जो कोआपरटिव फार्म चल रहे हैं वास्तव में अगर देखा जाय तो वह असली माने में कोआपरेटिव फार्म नहीं हैं। कुछ रिश्तेदार या दोस्त मिल जाते हैं और उन्होंने किसी तरह के कोआपरेटिव फार्म्स बना लिये हैं परन्तु वास्तव में कोआपरेटिव फार्म की न वहां स्पिरिट है और न उस ढंग से है। वाकया यह है कि अगर जमीन खाली होगी तो इस हिसाब से पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज हथिया लेगी। इस तरह से जो भूमिधर हैं या पहले से किसान हैं जिनके पास कुछ जमीन पहले से है ये कोआपरेटिव फार्म्स को कुछ शक्ल देकर अपने लिये गांव सभा से जमीन ले लेंगे और अगर ऐसा होता है तो अन्याय होता है। तो मेरे विचार में तमाम परिस्थितियों को देखते हुए यह मुनासिब होगा कि जो भूमिहीन हैं उन्हें पहले जगह दी जाय यानी कोई जमीन खाली होती है तो पहले भूमिहीनों को दी जाय। उसके बाद और वर्ग को दी जाय। यह बात मैं माननीय मंत्री जी और कमटी के और सदस्यों के सामने रख देना चाहता हूं कि जो आजकल कोआपरेटिव फार्म्स हैं जहां यदि वास्तविक है वहां तो ठीक है परन्तु जहां वास्तविक नहीं है और उनका जो ढांचा है वह वास्तविकता से दूर है तो उनको सच मानकर तरजीह देना यह एक प्रकार का अन्याय है। इसलिये यह बात मैं माननीय मंत्री जी और प्रवर समिति के सामने ला देना चाहता हूं।

[श्री रतनलाल जैन]

इस प्रस्ताव का विरोध माननीय गेंदा सिंह ने किया। उन्होंने जो दलील दी है वह मुझे कुछ नहीं जंची। उन्होंने कहा कि इसको १५ दिन के लिये पब्लिक ओपीनियन के लिये रख देना चाहिये। पब्लिक ओपीनियन के संबंध में उन्होंने कहा कि वह ओपीनियन तो आम तौर पर इस हाउस के सदस्यों की ही होगी। अगर ऐसा है तो मैं उनसे कहूंगा कि माननीय सदस्य जो इस विधेयक में कोई संशोधन देना चाहते हैं तो व तो अपने मित्रों के द्वारा दे सकते हैं। फिर क्या आवश्यकता है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये रखा जाय। इसमें तो सीधी बात मुझे यह दिखाई देती है कि वह इसको तआलत में डालना चाहते हैं। ऐसा आवश्यक बिल तो शीघ्र से शीघ्र पास हो जाना चाहिये। जो कठिनाइयां उपस्थित हैं उनको जितना शीघ्र दूर कर दिया जाय उतना ही अच्छा है। इस तरह से मैं श्री गेंदा सिंह जी के सुझ व का विरोध करता हूं और जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सिलसिले में आज हाउस के सामने पेश है मैं उसका खैरमकदम करता हूं। लेकिन यह चीज काबिले अफसोस है कि अभी मुश्किल से एक साल भी नहीं हुआ जब कानून बना था। उसमें कुछ नुकायस मालूम किये गये और उनको तरमीम करने के लिये यह विधेयक इस हाउस में आज पेश किया गया। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद जब इस पर अमलदरामद होगा तो ताज्जुब नहीं कि इसमें भी कुछ दिक्कतें महसूस हों और फिर मजीद तरमीम करने की जरूरत लाहक हो।

जो विधेयक पेश किया गया है और इस सिलसिल में वजीर साहब ने जो तकरीर फरमायी है मैं समझता हूं कि उसमें अभी और इंप्रूवमेंट की जगह है। बताया गया कि जमींदार की सीर या खुदकाश्त के अन्दर जो कुएं हैं वह उसी के रहेंगे। मुझको इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि अगर वह जमींदार की काश्त जैलियों पर उठी हुई है और वह मौजूदा कानून के पेशेनजर बेदखल नहीं हो सकती तो वह कुएं भी किस तरह से जमींदार को मिल जायेंगे। जब कि काश्त उनसे जाती रहेगी तो वह कुएं भी उनसे जाते रहेंगे। गालिबन इसको महसूस नहीं किया गया कि इस सूरत में जो इंटरमीडियरी की काश्त जैलियों पर उठी हुई हैं, जब वह उससे बेदखल नहीं होगी, तो वह कुएं भी उसको नहीं मिल सकते।

दूसरी चीज जो मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जो एरियर जमींदार के जिम्मे बाकी रह गया है वह जब कम्पेंसेशन उनको मिलेगा उसी में से ले लिया जाय और मजीद तखफीफ इसके मुताल्लिक न की जाय।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो अधिनियम पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं और उस अधिनियम में जो संशोधन पेश किया गया है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय मुझे इसके मुताल्लिक कुछ अर्ज करना है।

पहले भी इस सदन ने कई एक विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किये हैं। लेकिन हमने देखा है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट के बावजूद इस सदन को कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि जो समय सदन में उस विधेयक के डिस्कशन में लना था वह पूरा समय इस सदन में लिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख भेजा जाता है तो इस सदन को अवश्य कोई न कोई फायदा होना जरूरी है। इसलिये अगर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देती है तो उसको काफी समय इस विधेयक के ऊपर सोचने का, विचारन का दिया जाना चाहिए, किसी भी कानून को जल्दी में पास कर देना कोई कीमत नहीं रखता है और न कोई उसमें खूबी या सुन्दरता है। मैं समझता हूं सुन्दरता तो इसी बात में है कि जब कानून एक बार पास हो जाय फिर दूसरी बार इतनी जल्दी ही उसको संशोधित करने की जरूरत न पड़े। कानून में निकट भविष्य में आने वाली बातों का भी खयाल रखना चाहिए। उन बातों के असर का

ध्यान रखकर उसके लिये पहले से ही कानून में व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसलिये जो सात रोज का समय प्रवर समिति के लिये सुझाव पेश करने के लिये दिया गया है मैं समझता हूं बहुत कम है और इस प्रकार सात रोज में जल्दी से इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश कर देने से मुझे कोई खास फायदा नजर नहीं आता है।

इसलिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि अगर यह प्रवर समिति को विधेयक भेजा जाता है तो काफी समय दिया जाना चाहिए।

दूसरे जबकि प्रवर समिति के पास यह विधेयक पहुंचता है और रिपोर्ट होती है तो फिर इस सदन का समय इतना ज्यादा जाया नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि दो एक बार पहले हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति की रिपोर्ट खास ईश्यूज पर ही होनी चाहिए और उस रिपोर्ट को इस सदन के ऊपर कुछ हद तक लागू होना चाहिए वरना अगर प्रवर समिति की रिपोर्ट मिलने पर भी पूरा-पूरा समय इस सदन का खर्च हुआ तो मैं समझता हूं कि यह बेहतर हो कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास न भजा जाय।

अब बहुत से माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखे हैं कि जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट की और भी धाराओं के मुताल्लिक आज जरूरत नजर आती है कि उनमें अमेंडमेंट कर दिये जायं। अगर माननीय मन्त्री इस बात को उचित समझते हैं, अगर वह जानते हैं कि फिर और भी कुछ दफायें इस ऐक्ट के अन्दर हैं जिनका अमेंड करना बहुत जरूरी है और परिस्थितियों के बदल जाने से जिनका अमेंड होना बहुत जरूरी है तो मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई खूबी नहीं है कि इस ऐक्ट की पीस मील अमेंडमेंट्स लाकर बारबार इस विधेयक को अमेंड करने के लिये समय खर्च हो। यह उचित होगा यदि इस सदन की प्रेस्टिज के लिये और इस सदन का समय बचाने के लिये कि जितने भी अमेंडमेंट हों वह एक साथ आवें। अगर उसके लिये कुछ देरी भी होती है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना इसमें खर्च हों तब भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह कबूल और मन्जूर होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत बड़ी भारी हमें नजर नहीं आती है। लेकिन हमें यह बात खलती है और जनता में भी इसका बुरा प्रचार होता है कि ऐक्ट पास होने पर भी अमेंडमेंट आते हैं और इस प्रकार हमें बड़ी दिक्कत होती है।

दूसरी बात यह है कि यह बहुत आवश्यक होगा कि जबकि अदालतों में यह कानून जाता है तो दो तरफा बहस होने से उसकी कमियां नजर आती हैं। अगर ऐसे अमेंडमेंट आवें तो आना बहुत जरूरी है लेकिन पास होते ही अमेंडमेंटों का लाना मैं समझता हूं कि इसमें तो हमारी कमजोरी खुद नजर आवेगी। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि काफी समय इस प्रकार के अमेंडमेंटों के लाने में अगर लग भी जाय तो कोई डिस्क्रेडिट हमारी सरकार पर रिफलेक्ट नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूं कि अगर सरकार समझदारी से और काफी थाटफुल्ली किसी विधेयक को लाती है, उससे हमारी सरकार की प्रेस्टिज बढ़ती है और उससे हमारा कानून मजबूत और सही बनता है और जनता में गलत कानून बन जाने से जो कि व्यक्तियों को नुकसान पहुंचता है उस नुकसान से हम जनता की रक्षा करते हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि यह उचित होगा और उसके ऊपर अवश्य गौर किया जाना चाहिए कि अगर और भी दफायें इस ऐक्ट के अन्दर हों जिन में तरमीम होना जरूरी है तो उन सब तरमीमों को एक ही साथ लिया जाना चाहिए।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो प्रस्ताव हमारे माननीय गेन्दा सिंह जी ने रखा है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण मैंने सुने और उनसे भी यह मालूम होता है कि वह भी कुछ समय ज्यादा चाहते हैं जिससे कि वह जमीन्दारी उन्मूलन बिल में जो जो खराबियां हैं उनको दूर करवाने की वह कोशिश करें। दुख मुझे माननीय रतनलाल

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जैन साहब का भाषण सुनने से हुआ। जब उन्होंने यह कहा कि जो लोग चाहते हैं इसमें संशोधन कराना वह प्रवर समिति में करवा लें। मैं समझता हूं कि वह जानते ही होंगे कि प्रवर समिति में बिल चला जायगा तो हम बिल की उन्हीं धाराओं पर कह सकेंगे कि इस बिल में रखी हुई हैं और उन्हीं पर हम यह कह सकेंगे कि उनमें कोई संशोधन किया जाय या न किया जाय। उसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। हमारी जो मन्शा है वह यह है कि बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। इससे जो हमारे एसेम्बली के मेम्बरान हैं जो किसी कारण से सदन के भीतर नहीं बोल सकते हैं उनको भी यह मौका मिलेगा कि वे अपने सुझाव दे सकें। उसके बाद माननीय राजस्व मन्त्री जी उन सुझावों की बिना पर ऐसा एक बिल इस सदन में लावें जिस बिल से जमीन्दारी उन्मूलन में जो-जो खराबियां हैं उनको दूर किया जाय। इसी उद्देश्य से हमने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। इसके पास हो जाने के बाद या थोड़े दिनों के बाद कोई नया अमेंडिंग बिल लाया जाय जैसा कि माननीय चन्द्र सिंह रावत जी ने कहा, वह शोभा भी नहीं देता है और उससे समय भी नष्ट होता है। इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसकी वजह से काम रुक सके। अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी थोड़े दिन रुक कर लोगों की सलाह लेकर और खास कर हमारे माननीय सदस्यों की राय लेकर जिन संशोधनों की आवश्यकता हो उन्हें एक बिल के रूप में इस सदन के सामने पेश करें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रवर समिति में हम उन्हीं बातों के ऊपर जा सकते हैं जो कि इस बिल में हैं।

श्री चरण सिंह--जनमत के लिये अगर आप इसे भजना चाहते हैं तो वहां भी यह लिमिटेशन रहेगा। इसलिये वह बेकार है भेजना। उसके स्कोप के बाहर आप नहीं जा सकते हैं।

एक सदस्य---जानते नहीं हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जानता नहीं हूं, सीखूंगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है कि उन्हीं संशोधनों पर जनमत आ सकता है तो फिर एक ही बात हुई। वैसे हमारी मन्शा यह है कि इसे वापस ले लिया जाय और जो हमारे माननीय सदस्य किसानों के बीच में काम करते हैं उन्हें अगर जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में कोई दिक्कतें मालूम हुई हों तो उनके सुझाव पर एक नया बिल इस सदन के सामने आवे जिसमें सारे सुधार हो जायं और जितनी कमियां हैं वे सब दूर कर दी जायं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि केवल उन्हीं सेक्शनों पर जनमत ले लिया जाय। वह तो हम प्रवर समिति में भी कर सकते हैं लेकिन हमारी इच्छा यह है कि जनता से पूछा जाय कि जमींन्दारी उन्मूलन में अगर कोई दिक्कतें हों तो उनको दूर करने के लिये हमें क्या क्या अमेंडिंग बिल में रखना चाहिए। इसलिये माननीय गेन्दा सिंह जी ने जो प्रस्ताव पब्लिक ओपीनियन प्राप्त करने के लिये रखा है उसका मैं फिर समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि पब्लिक ओपोनियन के लिये इस बिल को भेजा जाय।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के लाने के लिय माननीय माल मन्त्री जी को बधाई देता हूं इसलिये कि उन्होंने सरकार की उस पालिसी का इस बिल को ला करके अनुसरण किया है, अमली रूप देने की कोशिश की है, जिसका कि जिक्र इस असेम्बली के शुरू के अधिवशन में माननीय गवर्नर महोदय ने किया था। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की पालिसी फालतू जमीन, जो बन्जर है या कल्टीवेबिल लैन्ड है, उसके सम्बन्ध में यह है कि खेतिहर मजदूरों को सबसे पहला स्थान दिया जाय। उस एड्रेस के पढ़ने से मालूम होता है कि इस बिल के लाने से आंशिक रूप में ही वह कथन पूरा होता है। ऐसी दशा में मैं फिर भी माननीय माल मन्त्री जी को बधाई देता हूं। इसके अलावा मुझे जो इस बिल के सम्बन्ध में कहना है वह यह है कि जहां हमने इतना बड़ा सुधार जमीन्दारी उन्मूलन करके देश में किया जिसमें करीब-करीब चार-पांच साल लग गये थे लेकिन उन मौलिक सिद्धान्तों को हमने अमली रूप नहीं दिया है। मैं यह कह देना उचित

समझता हूं कि जहां काश्तकार की परिभाषा की गयी है कि काश्तकार कौन है तो वहां अधूरी परिभाषा ही की गयी है कि जो लोग स्वयं जमीन न जोतते हों उनको भी किसान मान लिया गया है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि उसमें भी तरमीम की आवश्यकता है और तरमीम की जानी चाहिए। जब जमींदारी उन्मूलन करने का प्रस्ताव इस भवन में सन् १९४६ में पास हुआ था उसके पश्चात् ही जमींदारों ने काश्तकारों से अथवा जो बैरेन लैन्ड पड़ी हुई थी उसको कब्जे में करना शुरू कर दिया था और चाहे वे जोती गयी हों या न जोती गयी हों उन जमीनों को अपने नाम पटवारी के रजिस्टरों में चढ़वा लिया। इस तरीके से उन्होंने जितना भी हो सकता था ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में दिखायी, जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के पास होने तक। यह ऐक्ट जनवरी, सन् १९५१ में पास हो गया और उसे अमल में लाने की घोषणा कर दी गयी। तो उस समय जमींदारों के पास जितनी जमीन थी और उससे पहले जितनी जमीन उनके कब्जे में थी उसमें बहुत बड़ा अन्तर आ गया। तो इस तरह से जमींदार होने के नाते जो उनको अधिकार थे वे तो खत्म कर दिये गये लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा हड़पने का अधिकार फिर भी रहा और इसका उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिला। तो जो इतनी बड़ी भारी तादाद में जमीन उन लोगों के कब्जे में आयी, चाहे वे उस पर पैदावार करते हों या न करते हों, उसका इन्तजाम ठीक करने के लिये हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। तो हमको चाहिए यह था कि जिन जमींदारों के पास जो इस वक्त बड़े किसानों के रूप में हैं इतनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं उनको देखते कि आया वे उन जमीनों पर अपने आप काश्त कर भी सकते हैं या नहीं। ट्रैक्टर्स का जो इस्तेमाल हमारे यहां शुरू किया गया है वह सोशल इविल को पैदा करने वाला है। और चाहे जो कुछ भी हो हमारे यहां इस जमाने में तो ट्रैक्टर्स के जरिये से खेती की ही नहीं जा सकती है जबकि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है जो खेती पर निर्भर करती है और इसके सिवाय उनके पास और कोई रोजगार भी नहीं है, न इन्डस्ट्रीज हैं, न दस्तकारियां हैं। तो ऐसी हालत में अगर हमने ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया और मेकेनाइज्ड फार्म्स खोल कर खेती करना शुरू कर दिया तो इतनी बड़ी आबादी की शक्ति का अपव्यय होगा, उपहास होगा। तो ऐसी हालत में जरूरी यह था कि जो इतनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, पांच-पांच सौ और पांच-पांच हजार बीघा या इससे अधिक जमीनें लोगों के कब्जे में हैं उनको सैकड़ों आदमियों, हजारों परिवारों में बांटना चाहिए था ताकि हजारों परिवारों का पालन पोषण होता न कि उन बड़े बड़े जमींदारों को यह अधिकार दिया जाय कि वे ट्रैक्टर द्वारा खेती करें और न खेतों की पैदावार ही बढ़ाते रहें और दूसरों को एक्सप्लायट करते रहें और मुल्क की जो जनशक्ति है उसका इस तरह से अपव्यय और उपहास होने दें। मैं यह निवेदन करना चहता हूं कि कांग्रेस एग्रेरियन रिफार्म्स जो कमेटी सन् १९४७ में बनी थी उसमें यह कहा गया है :

"On the unanimous suggestion of the Revenue Ministers' Conference which met in Delhi in December, 1947, Dr. Rajendra Prasad the then Congress President, appointed an Agrarian Reforms Committee"

[दिसम्बर, १९४७ में दिल्ली में होने वाले माल मन्त्रियों के सम्मेलन के सर्वसम्मति प्रस्ताव पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक कृषि सुधार समिति नियुक्त की।]

तो उस कमेटी के अनुसार यह भी था कि काश्तकार की परिभाषा यह होनी चाहिए कि जो वास्तव में जमीन को जोतता हो।

"Only those who put in a minimum amount of physical labour and participate in actual agricultural operations would be deemed to cultivate land personally."

[जमीन को स्वयं जोतने वाले केवल वही लोग समझे जावेंगे जो कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम करके कृषि के कार्यों में भाग लेते हों।]

इससे साफ है कि जमीन जोतने वाल की परिभाषा स्पष्ट है। काश्तकार वह है जो स्वयं जमीन को जोतता है और उससे गल्ला पैदा करता है। ऐसी अवस्था में किसान की परिभाषा

[श्री जयपाल सिंह]

थी। वहां पर इसे डिफाइन करना चाहिए और स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसान वही है जो स्वयं अपने खेत को जोतता है। इस सिलसिले में यहां निवदन करना चाहता हूं।

अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जमीन जो जमीन्दारों के पास है जो पहिले जमीन्दार थे और अब जमीन्दारी अबालिशन के बाद बड़े किसान हैं उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं यह कहना चाहता हूं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि इकोनामिक होल्डिंग्स होनी चाहिए और मैक्जिमम होल्डिंस की यह हद (limit) होनी चाहिए। हमने सवा ६ एकड़ जमीन को लाभकर होल्डिंग्स (economic holding) ऐक्ट में स्वीकार किया है। हमें अपने मौलिक सिद्धान्तों के प्रति अपनी कमर कस कर इसे तय करना चाहिए तब ही हम सारे देश का रिफार्म कर सकते हैं और तभी सोशल रिफार्म कर सकते हैं वर्ना जमीन ज्यों की त्यों है और कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता है। हां, जमीन्दारी अबालिशन के बाद जमीन्दार अब बड़ा किसान हो गया है और वैसे उनके सामाजिक व्यवहार में कोई फर्क नहीं हुआ है। इसलिये हमें मैक्जिमम होल्डिंग्स नियत करनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में कमटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि---

"The Committee has, therefore, recommended that the optimum size should be three times the size of the economic holding."

[इसलिये समिति ने यह सिफारिश की कि अधिकतम लाभकर परिमाण लाभकर जोत के परिमाण का तीन गुना होना चाहिए।]

यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमें यह विचार करना है कि आया मैक्जिमम होल्डिंग्स कितनी होनी चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से निर्धारित कर दें तो लाखों की संख्या में जो लोग निस्सहाय हैं उनको रोजगार मिल सकता है और सही मानों में वह खेती कर सकते हैं और ठीक रूप में पैदावार कर सकते हैं। वह मेहनतकश और मजदूर ही कर सकते हैं या किसान कर सकते हैं जो अपने हाथों से हल जोतते हैं अन्यथा वह व्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो दूसरों से खेती करवाते हैं और दूसरों से एक्सप्लायट शोषण करते हैं। ऐसी अवस्था में निहायत जरूरी है कि मैक्जिमम होल्डिंग्स की एक लिमिट होनी चाहिए और फालतू जमीन का ठीक तरह से बटवारा होना चाहिए।

एक बात और कह देना चाहता हूं, वह यह है कि जहां दफा २० का सवाल है जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट की उसमें २५० रुपये के ऊपर के जो सीर के शिकमी थे उनको भूमिधरी के अधिकार दिये गये हैं लेकिन उसके अनुसार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर वालों को तो यह अधिकार दिये गये हैं लेकिन नीचे वालों को यह अधिकार नहीं दिये गये हैं। इस तरीके से मैक्जिमम होल्डिंग्स निर्धारित होनी चाहिए और इस तरह से दफा २० और १६ में तरमीम होना आवश्यक है लेकिन वह नहीं हुई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह इस बिल में नहीं आ सकता है तो आइंदा इसको तरमीम करके ऐसा करें जिससे देश का ठीक तरह से सुधार हो सके और यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एग्रीकल्चरल लैन्ड लेस लेबर को दूसरा स्थान दिया गया है और कोआपरेटिव सोसाइटी को पहला स्थान दिया गया है। यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहला स्थान उसको होना चाहिए था। वहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको पहिला स्थान देना चाहिए जैसा कि गवर्नर महोदय ने अपनी सरकार की पालिसी स्पष्ट करते हुए यह बतलाया था, उससे हम एक कदम भी पीछे न रहें। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे यहां ठीक तरह से लागू नहीं है, नाकामयाब हो रही है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े लोग कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल हो जायेंगे और वे जमीनों को हड़पने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लायट

करेंगे और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को एक बीघा भी जमीन नहीं मिलेगी। अगर पहिला स्थान देंगे तो कोआपरेटिव फार्मिन्ग का एक्सप्लायटेशन भी नहीं होगा और दूसरे भूमिहीनों को भी जमीन मिल जायगी।

इसके अलावा मैं यह निवदन करना चाहता हूं कि जहां एग्रीकल्चरल लेबरर को इस कानून के द्वारा जमीन देने जा रहे हैं, सरकार भी जमीन को रिक्लेम करती है, उसको वह कैसे देती है, उसका क्या बन्दोबस्त करती है। ऐसी सभी जमीनों का बन्दोबस्त भी खतिहर मजदूरों के साथ होना चाहिए।

श्री चरणसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर व्याख्यान किस पर हो रहा है आया सिलेक्ट कमेटी के पास जाय या न जाय। सरकार जमीन को रिक्लेम करती है और क्या बन्दोबस्त करती है इसका यहां क्या सम्बन्ध है। आप तो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स भी हैं वहां यह सब बातें कह सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिलेक्ट कमटी को यह बिल जा रहा है वहां पर तो मैं कहूंगा ही लेकिन यह बात सिद्धांत से सम्बन्ध रखती थी जिससे यहां पर जिक्र किया। मेरा कहना यह है कि, हालांकि यह बात इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखती, जमीन देने का निश्चय सरकार ने एग्रीकल्चरल लेबरर्स को किया है, इसमें पहला स्थान उनको दिया जाय।

मैं अपने पहले अल्फाज को दोहराता हूं और सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं। बिनोवा भावे जी ने जिस आन्दोलन का श्रीगणेश किया उसको अमली स्वरूप देने क लिये सरकार इस हद तक आई कि वह एग्रीकल्चरल लेबरर्स को जमीन देने के लिये बन्दोबस्त म जो आयेगी वह उनको दी जायगी। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब राय ले लेना चाहिय। प्रश्न यह है कि अब वादानुवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह--माननीय उपाध्यक्ष, मुझे केवल यह कहना है कि नियमानुकूल यह होता है कि संशोधन करने के लिये अगर कोई विधेयक आये, चाहे वह सिलेक्ट कमेटी में जाय, चाहे वह जनमत के लिये जाय जो उसका स्कोप है उसके बाहर यह सदन नहीं जा सकता और सिलेक्ट कमेटी में जाय तो सिलेक्ट कमेटी भी नहीं जा सकती। इसलिये जहां तक सर्कुलेशन का सवाल है वह एक प्रकार से निरर्थक है। इसके अलावा पहली दिसम्बर के गजट में यह शाया हो चुका। ५ दिसम्बर आज है और ७ दिन के लिये यह फिर और जा रहा है तो १२, १३ दिन सदस्यों को इस पर विचार करने के लिये मिलते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी तादाद इस सदन के सदस्यों की है। उन्हें तो इस सिलसिले में पहले भी काफी मौका दिया गया। जुलाई में ही कहा गया था कि जिसको जो सुझाव और तजावीज देनी हों वे दे दें। किसी साहब को भी मनाही नहीं थी। बहुत से वकला और मुख्तारों ने सुझाव भेजे। मुझको याद पड़ता है कि जुलाई के महीने में मने ऐलान किया था कि हम इस अधिनियम का संशोधन करने के लिये विधेयक लाने का विचार कर रहे हैं और जिस साहब को जो त्रुटि दीखे वह उसको भेज सकता था। तो इसलिये जनमत के लिये भेजना गैर जरूरी है।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कही गयी, रावत जी ने बड़े जोर से कहा कि गवर्नमेंट की बड़ी तौहीन होती है कि अभी तो ऐक्ट पास किया और अभी फिर उसे तरमीम के लिये ले आये। तो यह बात नहीं है। इतना बड़ा काम था, उसमें संशोधन लाना अनिवार्य था। उनका कहना है कि इसपर और विचार किया जाय। चाहे इस पर कितना ही विचार किया जाय

[श्री चरण सिंह]

फिर भी गलती रह सकती है। त्रुटि रह ही सकती है। इसलिये किसी भी सदस्य को अपना सर नीचा करने की जरूरत नहीं है।

माननीय गेंदा सिंह जी यहां नहीं हैं। इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा उसके सिलसिले में ज्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन संक्षेप में यह कहना चाहता हूं। एक बात उन्होंने यह कही कि नियमों पर विचार करने के लिये कमेटी बनी थी। उस कमेटी की मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि इन विचारों के लिये जगह नहीं दिखायी दे रही है, ऐसी बात नहीं है। एक तो भूमि व्यवस्था अनुपूरक विधेयक अधिनियम जो पास हुआ है, एक तो यह मंशा उसमें पूरी हो गयी थी जहां लोगों का नाम दर्ज नहीं था उनको जमीनें देने का इसका जिक्र रूल कमेटी में आया। सेक्शन २० में हमने अमेंडमेंट किया है और बकिया कमी इसमें पूरी हो जाती है। जैसा कि सब लोगों को मालूम है ढाई दो महीने तक इस सदन के माननीय सदस्य अपने अपने इलाके से हो कर आये हैं, ऐसी जमीन जिस पर लोगों का नाम दर्ज नहीं है और उनका कब्जा हो, ऐसे वाकयात बहुत कम सुनने में आये। शुरू में ४, ५ जगह हरदोई, बनारस और फैजाबाद में कुछ क्लैशेज हुए लेकिन वह समस्या अब है नहीं, और अगर कुछ थी भी तो उसके लिये हम अधिनियम पास कर चुके और सेक्शन २० में अमेंडमेंट ला रहे हैं।

रहा यह कि दखली रहन कोई करेगा तो जमीन बय समझी जायगी। बात बिल्कुल ठीक है। दखली रहन के लिये कहा जा चुका है कि अगर कोई करेगा तो बैनामा समझा जायगा। इसलिये समझा जायगा कि जिन उसूलों पर अधिनियम बनाया गया है उसमें एक उसूल तो यह है कि जमीन पर दखल और कानून हक दो आदमियों के हक में नहीं रहेगा। इसलिये लीज भी प्राहीबिटेड है और मार्गेज भी प्राहीबिटेड है। क्योंकि लीज करने में यह होता है कि जो लैसर होता है उसके हाथ में उसकी मिल्कियत रहती है मालिक वह रहता है और कब्जा दूसरे को दे देता है जिससे सालाना कुछ पाता है। तो इससे भी एक जमींदारीपन पैदा होता है। दखलिया रहन में भी यही होता है कि उसमें जरेपेशगी वह पा लेता है। कब्जा दूसरे को चला जाता है और टाइटिल उसके पास रह जाता है। दोनों में यह होता है कि एक तो सालाना देता रहता है और दूसरे से जरेपेशगी वह पहले पा लेता है। अदालत में इन दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से सब लैटिंग भी होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब यह होता है कि जिन लोगों को इस बिल की दाद देनी चाहिये कि कांग्रेस वालों ने इस हद तक एक्सप्लायटेशन को कम किया और बन्द किया, वह उल्टे यह कहने लगते हैं कि यह क्यों कर दिया। इसका असली कारण यह है कि उनके दिमाग में विचारों का संघर्ष रहता है, उनके विचार कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या सही है। मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि यह अधिनियम भी किसी उसूल पर बना है। भूमिधर अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सके लिहाजा आज राइट आफ ट्रांसफर का अधिकार उसको दिया गया। टाइटिल का पजेशन दो आदमियों के हाथ में रहता है तो फिर वही एक्सप्लायटेशन का सवाल पैदा होता है और ऐसी स्थिति में हमने सीर का भी हक नहीं रखा। जिसके पास टाइटिल रहेगा उसके पास ही कब्जा रहेगा और यह दोनों अधिकार एक ही आदमी के रहेंगे।

इंप्रूवमेंट की बात उठाई गई। उसके लिये ४, ५ सेक्शन यहां पर करना बेकार था, क्योंकि उसकी परिभाषा टेनेंसी ऐक्ट में दी गयी है और उसकी वहां पर जरूरत थी और ५, ७ सेक्शन उसके लिये उसमें दिये गए हैं। इसके अन्दर परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। उसको इंप्रूवमेंट करने का अधिकार है। दूसरे लोग उसका मुआविजा पायें और वह बेचारा रह जाये यह चीज गैरजरूरी मालूम होती है। इसलिये इसको निकाल दिया गया है। बदकिस्मती यह है कि जितनी मेहनत का तकाजा यह अधिनियम करता है उतनी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। कोई भी एक आदमी खड़ा हो गया और कह दिया कि साहब कुछ नहीं किया गया। मैं उन सब दोस्तों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर एक बार फिर विचार करें और विचार करने के बाद, मैं यह समझता हूं, कि उनकी शंका का

जवाब इसमें से शायद मिल जाय। जयपाल जी ने थोड़ा बहुत कहा और बधाई भी दी। मैं उनको इसके लिये धन्यवाद देता हूं लेकिन वह बधाई बड़ी ग्रांजग्लो उन्होंने दी। जो बात हम अपनी पार्टी में कहते हैं और अपने लीडर से कहते हैं और जिसको वह मंजूर करते हैं तो फिर इस प्रकार का प्रश्न कैसे आ सकता है। जो बात आई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वह गांव में जाते हैं तो उनकी वही हालत पहले की नजर आती है। सिवाय इसके कि जिन जमींदारों के पास १०, १५ बीघे जमीन है और तो मैं समझता हूं वहां उनको बदली हुई हालत देखने में जरूर आयेगी। जिन लोगों के पास इतनी थोड़ी जमीन है उनसे ले लेना तो उनका खुद का मन्शा भी नहीं है। वह खुद चाहते हैं कि कम से कम १० एकड़ जमीन तो जमींदारों के पास रहनी ही चाहिये। उनको सहारनपुर में १९ एकड़ वाले बहुत दिखाई देते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे नजर आयेंगे। अगर २० एकड़ भी उन लोगों के पास हर एक के हो जाय तो जो नकशा आज दिखाई देता है उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। एक चीज जो हो गयी है वह तो कुछ नहीं लेकिन एक चीज जो रह गयी है वह अगर हो जायगी तो बस जादू हो जायगा। सहारनपुर के जिले में २० से २५ एकड़ तक के कुल खाते २,४३२ हैं और २५ एकड़ से ऊपर के जो खाते हैं वह ३,२११ हैं। तो इतने बड़े सहारनपुर जैसे जिले में कुल २० एकड़ से ऊपर की होलडिंग ५,६४३ है। २० एकड़ तक की तो रहनी चाहिये यह तो जयपाल सिंह जी मानते ही हैं। अगर आप २० एकड़ से ऊपर लेकर तकसीम भी करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर उसके बाद भी फिर जयपाल सिंह जी वहां जावेंगे मार्च या अप्रैल के महीने में तो भी उनको कोई फर्क नहीं मालूम होगा। ठीक है, अगर चीज डिजायरेबिल है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारी वर्किंग कमेटी कभी ऐसा करने में नहीं हिचकिचायेगी लेकिन इसके लिये सबसे पहले काटेज इंडस्ट्रीज बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी प्राबलम है और जो बहुत ही सीरियस है वह है पापुलेशन का कंट्रोल। आखिर में उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई बात इस बिल में आने से रह गई हो तो यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार कर लेंगे। एडेप्टेशन की दफा ३४२ के जरिये हमको पावर है और हमने दो-तीन किये भी हैं और हम कर भी देते हैं और जून से ६ महीने से हम विचार कर रहे हैं। हमने वकीलों से मशविरा किया, बहुतों ने राय भेजी, करीब २५ मीटिंग हमने डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेन्सर और लैन्ड रिफार्म कमिश्नर वगैरह को साथ लेकर की और जो कुछ विचार हो सका उसी का यह नतीजा है। यह कहना कि अभी और ६ महीने का इंतजार कर लिया जाय, यह ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कम्पेनसेशन के स्टेटमेंट तैयार हो रहे हैं उनके लिये यह बहुत जरूरी है और इस वक्त इसका बनना बहुत ही फायदेमन्द है, इसलिये यह स्टेज है कि हम अब इंतजार नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करे और इसे अस्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह विधेयक जनमत प्राप्ति के हेतु भेजा जाय जो कि १५ दिन के अन्दर उपलब्ध होना चाहिये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ दिन के अन्दर दे:--

१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य।
२--श्री जयपाल सिंह।
३--श्री बसी नकवी।
४--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)।
५--श्री शिव नाथ काटजू।

[श्री उपाध्यक्ष]

६--श्री राधा मोहन सिंह।
७--श्री पद्मनाथ सिंह।
८--श्री नवल किशोर।
९--श्री राम लखन (बनारस)।
१०--श्री लुत्फ अली खां।
११--श्री शिव सरन लाल श्रीवास्तव।
१२--श्री ब्रजवासी लाल।
१३--श्री वीरेन्द्र पति यादव।
१४--श्री देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह।
१५--श्री राम लखन मिश्र (बस्ती)।
१६--श्री लक्ष्मीरमण आचार्य।
१७--श्री ज्वाला प्रसाद।
१८--श्री उम्मेद सिंह।
१९--श्री गेंदा सिंह।
२०--श्री राम नारायण त्रिपाठी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से पारित हुआ है, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत जरूरी अमेंडमेंट बिल है। इस बात की चारों ओर से मांग है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव सन् १९४५ में हुआ था वे चुनाव शीघ्र करा दिये जायं। पहिले ही जितना समय उसमें बीत चुका है वह कहीं ज्यादा है। मेरा यह अन्दाजा है कि कोई भी दल या शहर में रहने वाला नागरिक, सिवाय कुछ लोगों के, ऐसा नहीं होगा जो नगरपालिकाओं का चुनाव शीघ्र नहीं चाहता हो। जब चुनाव की इतनी जबरदस्त मांग है तो प्रश्न यह उठता है कि चुनाव किस प्रकार जल्द कराया जाय। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का संबंध है, वह एक बहुत पुराना ऐक्ट हो चुका है। नयी बदली हुई परिस्थिति में यह आवश्यक है कि वह पूरी तरह से ओवरहाल किया जाय। उस ऐक्ट को अगर आप दोबारा अमेंड करें तो उसमें बहुत से मूलसिद्धांतों पर आपको बहस करनी होगी। वे मूल सिद्धांत आज आपके सामने जब रखे जावेंगे तो उन पर हो सकता है कि काफी विवाद हो लेकिन बहुत से लोग होंगे जो भिन्न भिन्न विचार रख सकते हैं। इस विषय पर दूसरे रूप में एक और चीज सदन के सामने आने वाली है। वह होगी म्युनिसिपल कारपोरेशन्स बिल। इस बिल में उन सिद्धांतों को लाने की कोशिश की जायगी जिनके अनुसार आगे म्युनिसिपैलिटीज का ऐडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। इसलिये म्युनिसिपैलिटीज के अमेंडिंग बिल के लिये यह ज्यादा मुनासिब है कि हम उस समय तक इंतजार करें जब म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल का फैसला यह सदन करदे, क्योंकि दोनों में जो मूलसिद्धांत हैं वे एक ही होने चाहियें जब तक कि यह सदन उनमें कोई फर्क करने का फैसला न करे। इसलिये यह एक छोटा सा बिल इस वक्त लाया जा रहा है जो ज्यादा तर इस ख्याल से है, या कहिये कि पूरी तरह से इसी विचार से है कि नगरपालिकाओं का चुनाव जल्द कराया जाय। उन मूल सिद्धांतों पर जोकि म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन के हैं, बाद में विचार किया जाय। इसलिये मैं इस सदन के सब सदस्यों से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस मौजूदा बिल को केवल उसी रूप में लें जिसमें इसे पेश कर रहा हूं। म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनकी ओर सदस्यगण इशारा कर सकते हैं, ध्यान दिला सकते हैं, लेकिन यह

---

*२ दिसम्बर, १९५२ को कार्यवाही में छपा है।

नहीं है कि वे हमारी आंखों से ओझल हैं और इसलिये हमने उन पर विचार नहीं किया या इसमें नहीं शामिल किया। वे चीजें हमारे सामने हैं। उन पर विचार हो रहा है। जो दूसरा अमेंडिंग बिल होगा वह बहुत कम्प्रीहेंसिव होगा और उसमें वे सब बातें आवेंगी। जैसा मैंने कहा, यह बिल केवल चुनाव के लिये ही खासतौर से लाया जा रहा है। सन् १९४८ में जो अमेंडमेंट्स म्युनिसिपल ऐक्ट में हुए थे वे अभी तक अमल में नहीं लाये गये क्योंकि उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुए। वे पहली मर्तबा इस दफा के चुनाव में काम आयेंगे। उनमें मैं दो बातों की ओर खास तौर से इशारा करना चाहता हूं। एक तो सन् १९४८ के संशोधन में एडल्ट फ्रेंचाइज यानी बालिग मताधिकार रखा गया था। दूसरे कोआप्शन या नामीनेशन बिल्कुल गायब है। इस समय जो कानून है उसमें कोई कोआप्शन या नामीनेशन नहीं होगा। अब म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन प्रेसीडेंट कहलावेंगे और उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा, मेम्बरों द्वारा नहीं। ये वे चीजें हैं जो पहले ही फैसला हो चुकी हैं और जो कि अब पहले पहल अमल में आवेंगी।

यह जो अमेंडिंग बिल है इसकी खास बातें भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यों तो यह बिल काउन्सिल से पास हो कर आया है और सदन के बहुत से सदस्यों ने, लगभग सभी सदस्यों ने, इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। यह एक छोटी सी चीज है लेकिन फिर भी यदि मैं थोड़ा सा समय इस सदन का लूं तो उसके लिये माफी चाहता हूं। नयी परिस्थिति में जिस तरह से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में पार्लियामेंट और असेम्बलियों के चुनाव हुए हैं उससे आप दूसरी तरह से म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव शायद करना पसन्द नहीं करेंगे। इसलिये इन तमाम चुनावों का आधार पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट ही है। उसमें एक बात तो यह है कि जो असेम्बली के इलेक्टोरल रोल्स हैं वही अब म्युनिसिपैलिटीज के होंगे और जैसा कि सदस्यों को मालूम है कि वह स्टैंडिंग रोल्स हैं। यह अब नहीं होगा जैसा कि पहले हुआ करता था कि एक रोल तैयार हो, उसे टांगा जाय, एतराज लिये जावें और उन्हें सुना जाय और फैसला किया जाय। जो इलेक्टोरल रोल्स इस समय हैं वही होंगे। उनमें एक परिवर्तन होगा और वह यह कि इस वक्त जो कंस्टीट्यूएंसी वाइज इलेक्टोरल रोल्स हैं वे वार्डवाइज होंगे। जो अब तक कांस्टीट्यूएंसी असेम्बली की है वही वार्डवाइज इलेक्टोरल रोल म्युनिसिपैलिटीज के होंगे। जो वोटर नहीं हैं और जो होना चाहता है अगर उसमें वह काबिलियत है जिसके अनुसार वह वोटर हो सकता है तब ५० रुपया देने पर वह किसी समय भी वोटर हो सकता है। अगर ५० रुपये देकर एक व्यक्ति असेम्बली का वोटर हो जाता है किसी समय भी तो उसका नाम म्युनिसिपैलिटीज की निर्वाचन सूची में भी दर्ज हो जायगा खुदबखुद। लेकिन अगर वह ५० रुपये नहीं खर्च करना चाहता है और असेम्बली का वोटर नहीं होना चाहे तो १० रुपये देकर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करा सकता है। दूसरी बात है कि जो रिजर्वेशन आफ सीट्स है वह अब नहीं रहा, सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि शेड्यूल कास्ट्स के रिजर्वेशन का सवाल है। इसे छोड़ कर और कोई रिजर्वेशन नहीं होगा।

यानी न रिजर्वेशन होगा, न नामिनेशन होगा और न कोआप्शन ही होगा। इसके अलावा ये जो इलेक्शन्स हुआ करेंगे वे सब डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स (लोकल बाडीज) के अधीन हुआ करेंगे। उनको लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट की जो मदद लेनी होगी ले लेंगे लेकिन फैसला उसी का अन्तिम होगा। वही सारे इलेक्शन को कंडेक्ट करने के जिम्मेदार होंगे। इन थोड़ी सी बातों की तरफ मैंने इशारा इसलिये किया कि पीपिल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के अनुसार हमें इसमें कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता हुई।

बोर्ड का कंपोजीशन क्या होगा, यह भी एक विचारणीय चीज है। आजकल जो क़ानून है उसके अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड में मेम्बरों की संख्या २० से ८० तक हो सकती है, लेकिन ऐसा सोचा गया कि यह संख्या अधिक है इसलिये अब यह संख्या १५ से ५० कर दी गई है। इसके मुताल्लिक़ थोड़ा सा अर्ज कर दूं। बड़े-बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटीज के बजाय कारपोरेशन दिया जा रहा है। एक-दो शहर इस तरह से निकल

[श्री मोहनलाल गौतम]

जायेंगे बाकी जो शहर होंगे उनमें ५० की संख्या काफ़ी होगी। ख्याल यह है कि ८० बहुत संख्या है। जिस प्रकार की जिम्मेदारी हम उन्हें दे रहे हैं उसमें थोड़ी संख्या होना अच्छा होगा, विचार करने में भी सुभीता होगा और काम के चलाने में भी।

एक चीज और है। अब तक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जो मियाद थी उसको चाहे जिस हद तक बढ़ाया जा सकता था, उसके लिये कोई रुकावट नहीं थी। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि अभी इसकी जल्दी क्या है, इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जाय, लेकिन इस म्युनिसिपैलिटी के अमेंडिंग बिलमें हमने म्युनिसिपैलिटी की मियाद चार साल की रखी है और गवर्नमेंट उसे ज्यादा से ज्यादा दो साल और बढ़ा सकती है यानी ६ साल के अन्दर इलेक्शन होना जरूरी होगा। इसके बाद वह मियाद नहीं बढ़ सकती।

इसमें एक और चीज रखी गयी है कि आप प्रेसीडेंट का डाइरेक्ट इलेक्शन करेंगे। प्रेसीडेंट को उतने ही वोटर वोट देंगे जितने कि कुल बोर्ड को वोट करेंगे। इसलिये यह भी रखा गया है कि अगर बोर्ड को डिजाल्व किया जाय तो तीन सूरतें पैदा होती हैं। (१) यह कि प्रेसीडेंट को ही हटा दिया जाय, (२) प्रेसीडेंट को रखें और बोर्ड का चुनाव दुबारा करायें, (३) यह भी हो सकता है कि प्रेसीडेंट और बोर्ड दोनों का चुनाव दुबारा करायें।

ये तो चुनाव से संबंध रखने वाली बातें हैं, जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया। इनके अलावा थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिये यह जरूरी था कि उनको फौरन् किया जाता ताकि म्युनिसिपैलिटियों का इंतजाम ठीक ठीक हो सके और उनका काम ठीक ठीक चल सके। जब से ग्रो मोर फूड की आवाज उठी है तब से चारों तरफ इस बात की कोशिश है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी यह कहा कि कंपोस्ट का इंतजाम म्युनिसिपैलिटीज करें। उसमें कुछ कठिनाइयां आई हैं इसलिये यह अधिकार देना और बात है और म्युनिसिपैलिटीज कम्पोस्ट बनाने का काम कर सकें उस पर खर्चा कर सकें यह दूसरी बात है। कहा यह जाता है कि हर एक म्युनिसिपैलिटी के लिये यह कंपल्सरी कर दिया जाय कि वह कम्पोस्ट बनाने का काम करे।

यद्यपि इच्छा हमारी भी यह है और सब लोगों की भी हो सकती है कि कम्पोस्ट बनाने का काम म्युनिसिपैलिटियों के सुपुर्द किया जाय, लेकिन उसमें दिक्कत हो सकती है। दिक्कत यह है कि ११९ म्युनिसिपैलिटियां एक ही लेविल की एक ही स्टैंडर्ड की नहीं हैं। उनके सामने कई दिक्कतें भी होती हैं, फाइनेंशियल भी और ऐडमिनिस्ट्रेटिव भी। इसलिये इस चीज को कम्पलसरी करने का मतलब यह होता है कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी इस काम को पूरा न कर सके, उसमें फैल्योर हो तो उस पर अनुशासन वगैरह का इल्जाम हो। इसलिये इसको अभी डिस्क्रिमिनेटरी रखा गया है, लेकिन कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा इस ओर म्युनिसिपैलिटियां आगे क़दम बढ़ावें।

एक चीज है एकाउंट आफिसर को मुक़र्रर करने की। आजकल बहुत सी जगहों से शिकायतें आ रही हैं, कई जगह गबन हुए हैं, कई जगह गबन करने वाले लापता हो गये हैं और एकाउंट के रखने में लोगों को दिक्कतें हैं। इसलिय इसमें एक यह भी इन्तजाम किया गया है कि एकाउंट आफिसर मुक़र्रर किया जा सके। वह एकाउंट आफिसर हर एक म्युनिसिपैलिटी में हो या कई म्युनिसिपैलिटियों को मिला कर एक एकाउंट आफिसर हो। इस चीज को भी देखना है क्योंकि इसका भी ख्याल रखना है कि हर म्युनिसिपैलिटी इसका बोझ भी बर्दाश्त कर सकेगी।

प्रेसिडेंट और मेम्बर साहबान को रिमूव करने का अधिकार गवर्नमेंट को इस क़ानून में है। मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि यह गलतफहमी बहुत लोगों को है और कई अखबार वालों को भी है कि यह एक नयी चीज, एक नया पावर हमलोग ले रहे हैं। यह बात नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन और मेम्बरों को रिमूव करने का अधिकार इस वक्त भी गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन अब जो चीज की जा रही है वह यह है कि दौराने तहक़ीक़ात, कोई जांच हो रही हो और यह जरूरत समझी जाय तो वह सस्पेंड भी किया जा सके।

सिर्फ सस्पेंड करने की बात जोड़ी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रिमूवल की ताक़त किसी अथारिटी के पास होती है वहां सस्पेंशन उसके अन्दर है। मैं समझता हूं कोई बड़ी ताक़त नहीं है। आप देखें, कुछ म्युनिसिपल बोर्ड्स के कर्मचारी यह शिकायत करते हैं कि यह चेयरमैन रिश्वत लेता है और हम यह साबित करने के लिये तैयार हैं। अगर आप उसकी तहक़ीक़ात करवाना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यगण से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें कि अगर वह चेयरमैन सस्पेंड नहीं होता तो वे तमाम कर्मचारी जो शिकायत करना चाहते हैं और वे तमाम काग़ज़ात जो उसके सामने पेश करना चाहते हैं, उन सब पर उस चेयरमैन का अधिकार है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वह चीज़ पूरी नहीं हो सकती। इसमें बहुत सी रुकावटें होंगी। यह तो मामूली तरीक़े से इसकी मांग रोज होती है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने कोई गबन किया है, अगर कोई तहक़ीक़ात आप उसके खिलाफ कराना चाहते हैं तो सबसे पहली मांग जनता की यही होती है कि यह थानेदार या तहसीलदार या जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हो उसे तहक़ीक़ात कराने के वक्त वहां से हटा दिया जाय तो तहक़ीक़ात ठीक हो सकेगी। अगर वह आफिसर वहां मौजूद रहेगा और काग़ज़ात उसके अधिकार में रहेंगे तो तहक़ीक़ात होने में कितनी दिक्क़त हो सकती है इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यह मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं कई म्युनिसिपैलिटीज की बातें भी पेश कर सकता हूं जिनमें चेयरमैन ने रिश्वत ली। रिश्वत लेने की बात वहां के कर्मचारियों ने पेश की और वह बात ठीक थी, उन्होंने कहा कि हम तमाम सबूत पेश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें म्युनिसिपल बोर्ड के चैयरमैन को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में बड़ी दिक्क़त हुई। म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी डरते हैं कि अगर हमने इसके खिलाफ गवाही वगैरह दी और कहीं यह रह गया तो फिर बाद में हमसे बदला लेगा। काग़ज़ात जब आप मांगते हैं, तो वह काग़ज़ात ठीक-ठीक आ सकते हैं या नहीं यह आप खुद समझ लीजिये। मुझे तो एक बहुत बड़ा केस मालूम है जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर के खिलाफ जिसने कर्मचारी की रिश्वत पकड़ी थी, वह मेम्बर है और उसी की पार्टी का चेयरमैन है और उसके खिलाफ म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर से जाली फोर्ज्ड डाकूमेंट्स अदालत में पेश हुये थे। इसलिये अगर इस तरह की अगर आप तहक़ीक़ात करना चाहते हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन और बेईमानी रुके तो मैं निवेदन करूंगा कि रिमूव करने का तो अधिकार है ही उस रिमूव करने से पहले अगर तहक़ीक़ात करने के वक्त इसकी जरूरत पड़े तो वह ताक़त गवर्नमट के पास होनी चाहिये। कहा यह जा सकता है कि यह बड़ी वाइड पावर्स है और इसका बहुत मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि इसमें बहुत-सी रोकथाम भी है। क़ायदा यह है कि अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो उस पर चार्जशीट फ्रेम करेंगे, उससे जवाब तलब करेंगे और उसको हाईकोर्ट में भी जाने का अधिकार है, यह कह कर कि उसको गलत तरीक़े से हटाया गया और मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस तरह के बहुत से केसेज़ हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने फाइलें भी तलब कीं और हाईकोर्ट ने देखा है कि किस तरीक़े से ये लोग हटाये गये हैं। तो यह क़ायदा है, इसलिये उन पावर्स का मिसयूज़ नहीं हो सकता है और अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये जरूरी है कि ऐसी पावर्स गवर्नमेंट के पास हों। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सस्पेंशन की पावर्स जो मेम्बरान और चेयरमैन के लिये लाई गई है वह डिस्मिसल में इम्प्लाइड है और डिस्मिसल की पावर्स नई नहीं है और इस वक्त मौजूद है और डिस्मिसल की पावर्स के होते हुये सस्पेंशन की पावर्स के मिसयूज़ होने की कोई सम्भावना नहीं है। आज कितने आदमी डिस्मिस हुये हैं?

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहूं कि अगर इस सदन के सदस्यगण मुझसे यह शिकायत करें कि जितनी खराबियां म्युनिसिपैलिटियों में हैं और जितने लोगों ने गलतियां की हैं जिन लोगों ने बेईमानियां की हैं उन सब का हम इंतजाम नहीं कर सके हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं। यह गलती हुई तो दूसरी तरफ से हुई है। लीनियेंसी बरती गई है, काफ़ी सख्ती नहीं की गई, काफ़ी लोगों को निकाला नहीं गया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया,

[श्री मोहनलाल गौतम]

उनको प्रासीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन इस तरह से गलती नहीं हुई है कि इन पावर्स की वजह से जबरदस्ती आदमियों को निकाला गया हो उसकी वजह से म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन इस प्रदेश का अच्छा नहीं हो पाया है और उसमें तरक्की होनी चाहिये।

एजूकेशन स्टाफ के संबंध में एक संशोधन है और वह यह है कि जो भी स्टाफ होगा उसको एप्वाइंट करने का और सजा देने का, डिस्मिस करने का अधिकार एजूकेशन सुपरिन्टेंडेंट और चेयरमैन एजूकेशन कमेटी को है और अपील उसकी प्रेसीडेंट, म्युनिसिपल बोर्ड को जाय। इसमें जो चीज नई आई है वह यह है कि एजूकेशन कमेटी से एप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल हटा लिया गया है। एजूकेशन कमेटी से एक तरह से जो वोट लेकर एप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल होते हैं उसमें कुछ कठिनाइयां देखी गई हैं, लेकिन चेयरमैन को अधिकार है। चेयरमैन के काम को अगर एजूकेशन कमेटी डिस्कस करना चाहे तो वह कर सकती है।

हमारी इच्छा यह है कि शहरों की हालत सुधरे। उसके लिये कुछ मास्टर प्लान्स भी बने हुये हैं और कुछ सड़कों और मकानों को एक प्रकार का इंतजाम किया जा रहा है। उसके लिये एक टाउन और विलेज प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे आफिसर्स भी हैं और हमको इस बात की खुशी है कि हमको काफ़ी अच्छे आफिसर्स उसमें मिले हैं। लेकिन अभी दिक्कत है कि इस तरह की मास्टर प्लान बने, उसके अनुसार शहर बने, उसके अनुसार सड़कें वगैरह ठीक हों, उसके लिये क़ानून में कोई अधिकार नहीं है।

इसलिए यह कि मास्टर प्लान के अनुसार एक ऐडहाक कमेटी बने उसके अनुसार कुछ कार्य-वाही हो सके, उसका अधिकार इस अमेंडमेंट बिल में लिया गया है।

एक चीज और है और वह यह कि आक्ट्राय, आजकल आक्ट्राय के बारे में बड़ी शिकायत है और हर जगह से शिकायत आ रही है। उस शिकायत के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि उसकी वजह से व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है और व्यापार नष्ट हो रहे हैं। कई जगह व्यापारियों ने इस प्रकार का आन्दोलन भी किया है और रिप्रेजेंटेशंस तो काफ़ी आते रहते हैं। दूसरी चीज यह है कि जो मौजूदा आक्ट्राय है उसमें एक बड़ी भारी खराबी यह है कि मिसाल के तौर पर आप एक म्युनिसिपैलिटी ले लीजिये। मान लीजिये कि उसकी आक्ट्राय की आमदनी ४० लाख की है। ३० लाख उसका रिफंड हो जाता है। अब म्युनिसिपल बोर्ड यह कहते हैं कि यह जो माल हमारे यहां से बीच में हो करके गुजरता है उसमें तीस लाख जो रिफंड हुआ उसको वसूल करने के लिए एक आदमी चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। तीस लाख वसूल करने के लिए एक एंड पर एक आदमी और दूसरे एंड पर वापस करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। आडिट भी तीस लाख का होगा। तो इसके वसूल करने के लिए मशीनरी चाहिए, उसको स्टेशनरी चाहिए और आडिट फी चाहिए। तो इससे म्युनिसिपल बोर्ड्स को एक ज़बरदस्त घाटा होता है।

तीसरी बात यह है कि लोगों को यह भी शिकायत है कि इसके रिफंड में काफ़ी लीकेज है।

इन तमाम बातों पर विचार इसमें हो रहा है। यह बहुत महत्व की बात है। लोगों का सुझाव यह है कि इसमें टर्मिनल टैक्स लगा दिया जाय। टर्मिनल टैक्स सेंट्रल सब्जेक्ट है इसलिए बगैर उनकी इजाजत के हम नहीं लगा सकते। वह इसके लिए बहुत रजामन्द नहीं हैं कि हर म्युनिसिपैलिटी के लिए टर्मिनल टैक्स वसूल करके आप को दें। इसलिए हमारे सामने सवाल इस तरह से हो जाता है कि टर्मिनल टैक्स में जो अच्छी बातें हैं वह ले लें और आक्ट्राय में जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ दें और दोनों को मिला कर ऐसा रास्ता निकालें जिससे आक्ट्राय की खराबियां दूर हो जायं और टर्मिनल टैक्स की खूबियां आ जायं और न व्यापार को धक्का पहुंचे, न म्युनिसिपैलिटी को नुक़सान ही पहुंचे और न लीकेज हो कर बेईमान लोग फायदा उठाएं। यह एक रास्ता है जिसको अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिये आक्ट्राय में एक छोटा सा संशोधन आया है। इसके बाद जब अधिकार

हो जायगा तो एक स्कीम बनेगी और उस स्कीम के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की आक्ट्राय का वह रुपया दे दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल की मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी हैं । यह बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो चुका है और जैसा कि मैंने अभी अभी निवेदन किया इसमें कोई बहुत बड़ी सिद्धांत की बातें हैं नहीं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन के सदस्यगण मेरे हाथ मजबूत करें और यह बिल जल्द से जल्द पास हो जाय, ताकि जल्द से जल्द हम एलेक्शन करा सकें । इन एलेक्शनों की जरूरत के ऊपर एक लफ्ज भी कहना अनावश्यक है । शायद ही कोई व्यक्ति इस सदन का हो जो इसकी जरूरत न महसूस करता हो । इसलिए जो डाइलेक्टरी टैक्टिक्स होती है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सरकुलेट किया जाय उसमें कुछ रखा नहीं है । उसके मानी यह हैं कि इस बिल को अभी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाय । पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेशन में और कोल्ड स्टोरेज में कोई फर्क नहीं है । जहां तक सेलेक्ट कमेटी का संबंध है अगर कोई ऐसा सिद्धान्त हो ता जिसमें कि सेलेक्ट कमेटी बहस करके उसके ऊपर कोई संशोधन कर दे और उसको इम्प्रूव कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं था । बड़े बड़े बिल्स आयेंगे । कार्पोरेशन बिल आयेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडिंग बिल आयेगा और पंचायत के संबंध में कोई बड़ा बिल आया तो ऐसे बड़े बिलों में सिद्धान्तों का सवाल हो सकता है और सेलेक्ट कमेटी की मांग हो सकती है । लेकिन इस वक्त मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव इस समय न करें और इसको जल्द से जल्द पारित कर दें, ताकि हम एलेक्शन कराने में जल्दी सफल हों ।

इन शब्दों के साथ मैं इसको पेश करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि नियम १३७ के अनुसार यह विधेयक इस सदन द्वारा नियत एक प्रवर समिति के समक्ष जिसकी नामावली बाद को प्रस्तुत की जायगी भेजा जावे, जो दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दें ।

श्रीमन्, मुझे दुःख है कि माननीय प्रशासन मंत्री जी ने इसके पहले ही कि मैं कोई प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव करूं और उनसे यह निवेदन करूं कि वह पुनर्विचार करें, उन्होंने प्रवर समिति में जाने के प्रस्ताव को पहले से ही ठुकरा दिया और इस सदन को मौक़ा नहीं दिया और इस सदन के सभी सदस्यों को स्वतंत्र रूप से विचार करने का मौक़ा नहीं दिया कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये या नहीं ? मुझे ऐसी आशा माननीय मंत्री जी से नहीं थी कि वह पहले ही माननीय सदस्यों के लिये एक लगाम सी लगा देंगे कि वे अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त न कर पायें या करें । खैर, यह उनकी इच्छा के ऊपर है । मैं तो यह बहुत ही आवश्यक समझता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में जाय और उसके कारणों पर भी मैं सिद्धान्ततः प्रकाश डालना चाहता हूं ।

माननीय मंत्री जी ने इसको बहुत ही छोटा बिल बतलाया और यह कहा कि इसमें कोई "बहुत बड़ा" सिद्धान्त नहीं है । "बड़ा" तो है, "बहुत बड़ा" नहीं है । उनका ऐसा विश्वास था, जिससे यह प्रवर समिति को भेजा जा सके । मैंने तो यह देखा कि माननीय मंत्री जी ने इसको एक प्रेस कान्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था और बहुत महत्व इसको दिया था और हम इन्तजार में थे कि कौन दिन आये कि हम इसे देख सकें और इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें । अब ऐसा भी मुझे नजर नहीं आता जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह केवल एलेक्शनों के लिये है कि हम विधान के अनुसार अडल्ट सफ्रेज के द्वारा, बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव करेंगे और इसलिये यह बिल आया है । अगर यह बिल केवल एलेक्शनों के लिये होता तो इसमें केवल उन्तीसवीं धारा तक संशोधन होने चाहिये थे । जितने एलेक्शनों के प्रावीजन पुराने ऐक्ट में हैं वे उन्तीसवीं धारा तक सीमित होते हैं । उसके बाद नई धाराएं आती हैं । लेकिन इसमें तो आमूल परिवर्तन भरे पड़े हैं । इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि यह केवल एलेक्शनों के लिये ही है और इसी कारण से जल्द से जल्द लागू होना चाहिये ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं अपने दृष्टिकोण से इस बिल के दो हिस्से करता हूं। एक हिस्सा डिस्क्रिशनरी पावर्स के लिये, सस्पेंशन करने के लिये, पावर्स लेने के लिये और आक्ट्राय के नौकरों के सस्पेंशन होने के लिये है और एक दूसरा एलेक्शन के बारे में है एक आम तरीके से। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मैं पहले एलेक्शन का हिस्सा लेना चाहता हूं जिस पर माननीय मंत्री जी ने इतना जोर दिया कि हमें रिजर्वेशन सीट्स को खत्म करना है और एलेक्शन कराना है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम तो एक इंडिपेंडेंट अथारिटी बना रहे हैं इस एलेक्शन को चलाने के लिये जोकि प्रान्त में लोकल बाडीज की होगी। श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स उसी प्रकार इंडिपेंडेंट अथारिटी होने जा रहे हैं जिस प्रकार सेंटर में एलेक्शन कमिश्नर विधान के अनुसार इंडिपेंडेंट है? मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं है। मैं इसके लिये डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं जोकि इसमें दी हुई है---

"Director of Elections (Local Bodies)" means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*."

इसके अलावा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वह इंडिपेंडेंट होगा। एलेक्शन कमिश्नर के लिये तो विधान में साफ दिया हुआ है कि वह इंडिपेंडेंट होगा। मेरा विचार यह है कि जैसे और आफिसर्स रक्खे जाते हैं वैसे ही डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स रखा जायगा। यदि यह होता कि एलेक्शन कमिश्नर के द्वारा डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स की नियुक्ति की जाती तब तो वह इम्पार्शल अथारिटी हो सकता था। अगर यह रख दिया जाता कि एलेक्शन कमिश्नर एक आफिसर रख दे और सारी मशीनरी उसके अन्डर में रन करे, और जो एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स रखे जायं वे डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के अन्डर में रहें, तब तो कहा जा सकता था कि इंडिपेंडेंट एलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन जब तक आप डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स को नामजद करते हैं और डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स और एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स अलग अलग रहते हैं, उनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट अथारिटी आप रखने जा रहे हैं? एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स को डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के सुपर्विजन में काम करने के लिये कहां इस बिल में दिया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंडिपेंडेंट अथारिटी होना चाहिये वैसा तो इस विधेयक में कहीं नजर नहीं आता। न एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स इंडिपेंडेंट हैं और न डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स ही इंडिपेंडेंट हैं ठीक उस मानी में जिस मानी में कि एलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि उन्हें दुबारा विचार करना चाहिये और इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा है कि हमने नामिनेशन और कोआप्शन बिल्कुल समाप्त कर दिया। कोआप्शन तो जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नामिनेशन भी समाप्त हो गया है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा १० की तरफ दिलाना चाहता हूं, धारा १० में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है---

"The State Government may, if satisfied in the case of any Municipality that its circumstances render inadvisable the application thereto of the provisions of section 9 declare by notification that the Board shall notwithstanding anything contained in this Act, be constituted as follows, namely :

(*a*) such number of members to be nominated by the State Government as may be specified ;

(*b*) such number of elected members to be elected in such manner and by such persons or class of persons as may be specified."

तो श्रीमन्, माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि नामिनेशन बिल्कुल समाप्त हो गया है लेकिन धारा १० के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पूरा अधिकार है कि वह नामिनेशन करे और कितने नामिनेशन करे, यह भी उसके हाथ में है और कितने मेम्बर एलेक्ट करवाये यह भी उसके हाथ में है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि इसमें एक प्राविजन लगा हुआ है कि सन् १९४० के पहले जितनी म्युनिसिपैलिटीज बनी हुई हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन श्रीमन्, मुझे जहां तक मालूम है सन् १९४८ के संशोधन ऐक्ट के बनने के बाद इन चार सालों के अन्दर बहुत म्युनिसिपैलिटीज बन चुकी हैं। सन् ४८ से पहले जो म्युनिसिपैलिटीज बनी थीं उनमें से तीन म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर यह धारा १० पहले से लागू है। कौन कौन? नैनीताल, हलद्वानी, मंसूरी। इन तीन म्युनिसिपैलिटीज में धारा १० पहले से लागू है। सन ४८ के बाद जितनी म्युनिसिपैलिटीज बनी हैं उनमें सरकार अब भी लागू कर सकती है। तो मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे ऐसा दावा न करें जोकि इस विधेयक में न हो। इससे सदन को गलतफहमी होती है और हमको गलत सूचनायें मिलती हैं और हम गलत सूचनाओं के ऊपर कोई कार्यवाही या विचार कर सकते हैं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

मैं समझता हूं कि मैं गलत नहीं हूं कि चूंकि धारा १० कहीं भी इस विधेयक के द्वारा रेपील या संशोधित नहीं हुई है और सन् १९४८ के बाद जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज बनी हैं उन सबमें सरकार जितने सदस्यों को चाहे नामिनेट कर सकती है और स्वयं इस विधेयक में कई जगह नामिनेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं, श्रीमन्, कि यह माननीय मंत्री जी का दावा इस विधेयक की कसौटी में कहाँ सच्चा है जबकि वे कहते हैं कि हमने नामिनेशन खत्म कर दिया है और इसके बाद जहां सवाल आता है वार्डस का, माननीय मंत्री जी ने यह तो कहा कि वार्डस होंगे, यह तो इस विधेयक के अन्दर है, श्रीमन्, इस विधेयक में कहीं यह पता नहीं चलता कि वार्ड में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मेम्बर हो सकते हैं। पुराने ऐक्ट में जो क्लाज निकाल दिया गया है उसमें साफ लिखा था कि एक वार्ड के अन्दर ७ मेम्बर से ज्यादा और ३ मेम्बर्स से कम नहीं होंगे। लेकिन इस विधेयक में कहीं यह पता नहीं चलता कि एक वार्ड के अन्दर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मेम्बर्स होंगे। हमने सारी म्युनिसिपैलिटीज की लिमिट तो तै कर दी है कि कम से कम २० और ज्यादा से ज्यादा ५० मेम्बर्स होंगे लेकिन हमने वार्ड के हिसाब से यह तय नहीं किया है कि एक वार्ड में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मेम्बर्स होंगे। तो श्रीमन्, इन तीन मामलों में यह विधेयक अधूरा है।

दो बातें मैं इस सिलसिले में और कहना चाहता हूं जोकि अत्यन्त ही आवश्यक हैं। वे यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब हम ८० से घटाकर एक म्युनिसिपैलिटी में मेम्बरों की संख्या ५० करने जा रहे हैं, चूंकि ८० बहुत बड़ी संख्या है और कैंबाल टाउन्स में हम कारपोरेशन भी बनाने जा रहे हैं, इसलिये ८० बहुत ज्यादा होंगे और ५० ठीक रहेंगे और जितने कम आदमी होते हैं वे उतना ज्यादा काम करते हैं। मैं तो ऐसे किसी बिल के इंतजार में बहुत दिनों से था और मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि बहुत से इसी सदन के माननीय सदस्य उसके इंतजार में होंगे। मेरे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है। सन् १९४८ की यह रिपोर्ट है और तभी से इस बिल का इंतजार है। उस रिपोर्ट के पेज ३ में लिखा है —

"The 1938 Local Self-Government Committee made the following very important proposals among others:"

[सन् १९३८ की स्थानीय स्वशासन समिति ने अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं उसको फिर पूरा पढ़ लूंगा, लेकिन इस समय ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता। उसमें लिखा हुआ है--

"All these matters are receiving the earnest consideration of the Ministry and a bill providing all these matters has been drafted and will, it is hoped, be placed before the Legislature shortly."

[इन सब बातों पर मंत्रिमंडल एकाग्र होकर विचार कर रहा है और इन सब बातों का उपबंध करने वाले एक विधेयक का प्रारूप बन चुका है, जोकि आशा है कि शीघ्र ही विधान मंडल के संमुख उपस्थित किया जायगा।]

सन् १९४८ में यह बिल ड्राफ्ट हुआ, लेकिन आज तक वह इस सदन के सामने तो आया नहीं। शायद माननीय मंत्री जी बता सकते हों कि वह बिल कैसा है और कहां गया। इसके अलावा, श्रीमन्, अगर मैं सदन को यह सुझाव देने की गुस्ताखी करूं, मैं समझता हूं बहुत से सदस्य जानते भी होंगे कि सन् १९३८ में श्रीमान् आत्माराम गोविन्द खेर साहब जोकि उस समय यहां पर सभा सचिव थे और जो बाद को यहां पर स्वशासन मंत्री भी रहे और जिनके कार्यकाल में मैं समझता हूं कि यहां के स्वशासन में काफी तरक्की भी हुई उनकी अध्यक्षता में एक २४ सदस्यों की कमेटी बनी थी। उस कमेटी के दो चार और मेम्बर्स जो यहाँ उपस्थित हैं आज बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी भी उस कमेटी के मेम्बर थे। उस कमेटी की रिपोर्ट सन् १९४८ से आज तक, उसकी जितनी रेकमेंडेशन्स थीं उनकी केवल २५ फी सदी ही मुश्किल से लागू हुई है और ७५ फी सदी लागू नहीं हुई हैं। उस रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी की इस राय के बिल्कुल विपरीत लिखा है। उस कमेटी की रिपोर्ट के पेज ६ में लिखा है --

"In the case of municipalities where variations on local conditions are bound to be very much larger, we have suggested a membership ranging from 20 to 125. The increase in membership will make unhealthy party goupings inside a Board difficult if not actually impossible."

पुराने ऐक्ट में ८० मेम्बर थे अब इसमें १२५ हैं।

खेर कमेटी की रिपोर्ट तो यह है कि ज्यादा मेम्बर्स म्युनिसिपैलिटीज में होंगे तो पार्टी पालिटिक्स का खत्म होना अगर असंभव नहीं होगा तो कम तो जरूर ही हो जायगी। यह गवर्नमेंट की एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट है। उसकी राय यह है और हमारे माननीय मंत्री जी की राय यह है कि कम मेम्बर्स होंगे तो काम अच्छा होगा। मैंने माननीय मंत्री जी के मुखारबिन्द से यह नहीं सुना कि यह कमेटी की रिपोर्ट गलत है या इसकी सिफारिशों को नहीं मानेंगे। इसकी सिफारिशें भी जब कारपोरेशन बिल आयेगा तो इनक्लूड हो सकती हैं लेकिन फिर इलेक्शन का चैप्टर कहां रहेगा। जब यह सवाल है और इसको इलेक्शन की वजह से लाये हैं तो कृपा करके माननीय मंत्री जी को इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी तो गौर कर लेना चाहिये था और देखते कि उस कमेटी ने इस संबंध में क्या किया है।

मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, अगर आप ८० मेम्बर्स रख देते क्योंकि मैं जानता हूं कि अब तो बहुत जल्दी ही बड़े शहरों में कारपोरेशन्स बनने जा रहे हैं। लेकिन शहरों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। इसलिये मैं समझता हूं कि 'खेर कमेटी' की उस बात को मान लिया जाना चाहिये था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक ऐसे कस्बे को जिसकी आबादी भी दस हजार से ज्यादा हो और जिसकी टाउन एरिया कमेटी की दस हजार से ज्यादा आमदनी हो, उसको म्युनिसिपैलिटी बना दिया जाय। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको सदन के सामने पढ़कर सुना दूं। इसके पेज ५ पर लिखा हुआ है कि--

"With regard to municipalities we have suggested that every town which has a population of 10,000 souls or an income of at least 10,000 should be deemed a municipality. We have further suggested that municipalities which have a population of 1½ lakhs or above and whose income is not below rupees 15 lakhs should be termed corporations."

तो यह कारपोरेशन्स केवल कबाल टाउन्स में ही नहीं बल्कि सारे शहरों में बनाने की बात है जिनकी आबादी डेढ़ लाख से ज्यादा है वहां पर कारपोरेशन्स बना दिये जायं। क्या माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट का इस बात की ओर ध्यान अभी तक नहीं गया है कि अब जितने ऐसे शहर हैं उनमें म्युनिसिपैलिटीज बना दी जायं। उस रिपोर्ट का पहला भाग मेरे पास नहीं है। उसमें उनका एक सुझाव था कि जितनी नोटीफाइड कमेटीज हैं उन सबको खत्म कर दिया जाय यानी वह जो तीसरी कैटेगरीज नोटीफाइड एरिया की हैं उनको खत्म हो जाना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देते तो कम से कम धारायें जो ३३८ और ३३९ हैं उनको तो वह डिलीट करा ही देते और यह घोषित करते कि आगे नोटीफाइड कमेटीज एरिया टाउन कमेटी मानी जायेंगी। अगर इलेक्शन्स की बात आप ले रहे हैं तो यह बात अवश्य होनी चाहिये थी।

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इतनी मेहनत करके यह बिल तो बनाया है लेकिन यह बिल अधूरा है। अब मैं आपकी आज्ञा से वोटर्स की परिभाषा की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव होंगे यह ठीक है। लेकिन अगर वह 'खेर कमेटी' की रिपोर्ट की ओर ध्यान देते तो उसमें एक बहुत भारी क्रांतिकारी सुझाव दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि ऐसे जितने देहाती क्षेत्रों में व्यक्ति रहने वाले हैं जो किसी म्युनिसिपलिटी में किसी प्रकार का टैक्स दत हों उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिये। यह इतना जरूरी प्रस्ताव था कि जिस पर माननीय मंत्री जी को अमल करना अत्यंत आवश्यक था।

इसमें, कमेटी की रिपोर्ट में पेज ६ पर यह दिया हुआ है--

"We have gone a step further in the case of Districts and Municipal Boards and suggested that an adult residing in a municipal area may be a voter under the district if he was paying any tax to the latter and *vice versa*."

[जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों के प्रकरण में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ गये हैं और यह सुझाव रक्खा गया है कि म्युनिसिपल क्षेत्र में निवास करने वाला वयस्क जिले के अन्तर्गत मतदाता हो सकता है यदि वह जिले को कोई कर देता रहा हो तथा इसी प्रकार से जिला क्षेत्र में रहने वाला वयस्क म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत मतदाता हो सकता है।]

इसका मतलब बिल्कुल सही है। कोई आदमी गांव में रहता है, लकिन उसको कई तरह से टैक्स देना पड़ता है। घोड़े पर सामान गया तो उसका भी टैक्स देना पड़ता है और भी तरह तरह का सामान जाता है, उसका भी उसको टैक्स देना पड़ता है लेकिन वोट देने का उसको अधिकार नहीं है। इसमें भी वही बात आनी चाहिये थी और खेर कमेटी ने इस बात को माना है और इस आधार पर माना है जैसा कि अमेरिका में माना गया है कि 'नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन" (प्रतिनिधित्व के बिना करारोपण न होगा),। इसी आधार पर खेर कमेटी ने यहां पर माना है और सिफारिश "बोस्टन टी पार्टी" के समय से है कि सभी आदमी जो टैक्स देते हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिये। इसी तरह से सब आदमी जो म्युनिसिपल एरिया में रहते हैं और टैक्स देते हैं उनको भी वोट का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होना चाहिये। यह एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत के आधार पर कहा गया है। इन सिफारिशों को विधेयक में भी मान लेना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी ऐसा करेंगे तो बड़ा अनुग्रह होगा और वह प्रजातांत्रिक परम्पराओं को सुरक्षित रखेंगे। जब मैं और जगह की परम्पराओं को देख रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ। बम्बई में खेर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कमेटी के मुकाबिले में एक काले कमेटी बिठाई गई थी। उसका एक जबरदस्त सुझाव वोटर्स के बारे में इस प्रकार से है --

"Voting should be made compulsory at least in the case of Municipal elections and failure to vote by a voter penalised."

[कम से कम म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव में मतदान अनिवार्य कर देना चाहिये और जो मतदाता मतदान में असफल रहे उनको दंड मिलना चाहिये।]

मैं यहां पर इसको विस्तार के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन हमारी सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि तमाम प्रान्त में जनता में इस बात की भावना पैदा हो कि जितने भी बालिग मताधिकार वाले इस प्रान्त के अन्दर हैं उन सब में इस बात की भावना पैदा हो कि कानून के जरिये से वह वोट देने जायं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यहां पर जितने वोटर्स हैं उनमें से ५० फीसदी ही वोट देने वाले हैं और इतने भी आ जायें तो गनीमत है। काले कमेटी ने जो सुझाव दिया है उसपर अगर विचार किया जाय तो उससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है। खासतौर से शहरों की जनता में यहां पर कि पढ़े-लिखे लोग ज्यादा होते हैं और जिनको वोट देने का तरीका भी कुछ मालूम होता है उनको अगर किसी प्रकार से प्रेरणा की जाय कि वह अधिक से अधिक ९० फीसदी नहीं तो कम से कम ७५ फीसदी वोट देने के लिये जरूर आयें तो ऐसा हो सकता है।

यह बातें जो आपकी आज्ञा से मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखीं यह इलेक्शन का जो चैप्टर है उसके संबंध में है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और इसको कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे। अब जब कि यह बिल प्रवर समिति में जायगा तो खेर कमेटी की जो सिफारिशें हैं और काले कमेटी की जो सिफारिशें हैं वह नामिनेशन प्रथा को खत्म करने वाली हैं वह वहां प्रवर समिति में नामिनेशन प्रथा को खत्म करने के लिये सुझाव देंगे। प्रवर समिति में जो एक सेक्शन १० है अगर उसको डिलीट कर दिया जाय तो यह प्रथा खत्म होगी।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 'सस्पेंशन' के अधिकार की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने काफी तौर से कहा कि बहुत करेप्शन है और हालत काफी खराब है और यह हमारी कमजोरी है कि उनके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। रिमूवल की ताकत तो आपके पास थी ही अब उनके सस्पेंशन की पावर भी ले रहे हैं, क्योंकि इससे उनको अधिकार हो जाता है कि वह यह काम कर सकें। यह सब बातें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बातें परस्पर विरोधी हैं और यह देखकर मुझे बहुत खेद होता है। जब मैं खेर कमेटी की रिपोर्ट को देखता हूं कि जो धारा ३, ४ के अनुसार माननीय मंत्री जी को रिमूवल की ताकत देती है उस खेर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है उपधारा ४० की धारा ३ व ४ इस प्रकार है जिसके अनुसार मेम्बरों को या प्रेसीडेंट को रिमूवल की ताकत है। उपधारा ३ --

"(3) The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the Board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest;

(4) Provided that when either the State Government or the prescribed Authority, as the case may be, proposes to take action under the foregoing provisions of this section, an opportunity of explanation shall be given to the member concerned, and when such action is taken, the reasons therefor shall be placed on record."

इन धाराओं के अनुसार मंत्री महोदय इस ताकत को लेना चाहते हैं। इसमें बहुत अधिक महत्व की उपधारा ३ है जिसमें कहा गया है, कि अगर कोई मेम्बर

अपनी पोजीशन को एब्यूज करता है तो पब्लिक इंटेरेस्ट को डेट्रिमेंटल हो तब वह हटाया जा सकता है।

खेर कमेटी ने क्या कहा है वह तो बहुत ही महत्त्व की चीज है किसी भी तरह से हमें इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिये जिससे कि प्रेसीडेंट के अधिकार में कोई कमी इस संदिग्ध रूप में आने की गुंजायश हो।

नोकानफिडेंस प्राविजन के बारे में भी खेर कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि अगर कोई पुराना बोर्ड होता है जिसमें बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है तब तो उसकी इजाजत होनी चाहिये लेकिन जब कि प्रेसीडेंट का चुनाव जनता करती है तो इस बात की चेष्टा नहीं करना चाहिये कि चुने हुए प्रेसीडेंट के ऊपर किसी प्रकार का वोट आफ नोकानफिडेंस लावें। इसमें लिखा है--

"We have done away with the existing provision about no-confidence motion against a chairman by members of the Board as this has been almost universally condemned."

तो माननीय मंत्री जी चेयरमैन के 'ससपेंशन' की ताकत लेने जा रहे हैं जब कि उनको उसकी सुरक्षा करनी चाहिये थी और उसको अधिकार देने चाहिये थे। इस तरह से उनके अधिकारों को छीनता जा रहा है और साथ ही जनता के चुने हुए आदमी को ठुकराने की कोशिश की जा रही है। खेर कमेटी की रिपोर्ट में रिमूवल, एलेक्शन और ससपेंशन के बारे में जो राय थी वह सफा ७ पर इस प्रकार है --

"The only other important change which we have suggested in the grounds of removal is with regard to the provision relating to flagrant abuse of his position by a member. We have found from past experience that this rule is capable for being misused owing to its vague and indifinite pharaseology. We have, therefore, substituted for it a new provision whose language is more precise and simple, namely that a member may be removed on the ground that he had been guilty of habitually contravening the provisions of the District Board and Municipalities Act or rules, by laws or regulations framed thereunder."

माननीय मन्त्री जी ने जिस बात की ओर बड़े जोर दार शब्दों में कहा है कि हम तो एक्शन कम ले रहे हैं और हमें ऐक्शन और ज्यादा लेना चाहिए था। जब रिमूवल होता है तो उसके साथ सस्पेन्शन भी होना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिमूवल की बात को भी सीमित करना चाहिए। तो मेरी राय में इस तरह से नई ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए बल्कि धारा ४० की उपधारा ३ में संशोधन होना चाहिए। मैं मन्त्री जी से निवदन करूंगा कि वह इसको प्रवर समिति में ले जाकर ठीक करा लें और इस तरह से प्रेसीडेन्ट को हटाने की बात न लावें।

जब रिमूवल का चार्ज लगेगा, चाहे वह प्रेसीडेन्ट हो या कोई मेम्बर हो, उसको एक्सप्लेनेशन का कोई मौका नहीं दिया जायगा। खेर कमेटी की रिपोर्ट में एक्सप्लनेशन ही नहीं है, बल्कि जुडीशियल इन्क्वायरी तक मांग सकता है, ऐसा लिखा गया है। कमेटी की राय है--

पृष्ठ ७ के आखिर में--

"In all cases of removal of members we have given the latter the option to demand a judicial inquiry prior to removal, if they wish to do so, as we think it necessary to give members a certain amount of protection against arbitrary orders."

श्रीमान् जी, कहां तो जुडिशियल इन्क्वायरी का प्राविजन रखा गया है और कहां संशोधन इस प्रकार का रखा गया है और एक और नई चीज सस्पन्शन की बढ़ा दी गयी। इसके जरिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

से स्वायत्त शासन की भावना को लोकल आथारिटीज के अन्दर है, जो स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का उत्साह मेम्बरों के अन्दर होता है, उसके उन अधिकार और स्वतन्त्रता को भी इसके अन्दर छीना जा रहा है। हर प्रेसीडेन्ट और मेम्बर को यह डर लगा रहेगा कि अगर उसने सेंटर यानी प्राविन्शियल गवर्नमेंट के आदेशों का अनुसरण नहीं किया तो उसको सस्पेन्ड कर दिया जायगा और रिमूवल के लिये इन्क्वायरी बैठा दी जायगी। यह होना स्वाभाविक ही है। दो चार कम्प्लेन्ट निकाले गये कि यह फ्रेग्रेन्ट अब्यूज आफ पावर है इसलिये इन्क्वायरी की जाय। और फिर सस्पेन्शन हो जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक की यह धारा किस प्रकार सिद्धांतों के अनुकूल बैठती है जिनको आप बयान करते हैं और किस प्रकार यह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुकूल है।

इन संशोधनों में कर्मचारियों को निकालने के बारे में भी बतलाया गया है। यह तो ठीक है कि कर्मचारियों पर अनुशासन होना ही चाहिए। यह भी ठीक है कि कर्मचारियों को निकालने आदि का अधिकार भी होने चाहिए। इस विधेयक के जरिये हर प्रकार के कर्मचारियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक वह जो ४० रुपये से कम तनख्वाह पाते हैं, दूसरे वह जो ४० रुपये से ज्यादा और ५० रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं पाते और तीसरे वह जो ५० रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। इन तीनों के लिये अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। अपील की व्यवस्था यह की गयी है जो बड़ी अजीब है। मैंने बहुत समझने की चेष्टा की लेकिन नहीं समझ पाया। बी क्लास के जो लोग हैं उनके लिये अपील की व्यवस्था की गयी है यह खंड २८ की उपधारा २ के क्लास ए, बी और सी में की गयी है जो चालीस से कम तनख्वाह पाते हैं उनको अपील का एक मौका दिया गया है। से चेयरमैन एजूकेशन कमेटी ने निकाला हो तो प्रेसीडेन्ट को अपील कर सकता है लेकिन चेयरमैन एजूकेशन कमेटी ने निकाला हो तो प्रेसीडेन्ट बोर्ड को अपील कर सकता है। बी किस्म के जो कर्मचारी हैं उनको २ अपील के मौके दिये गये हैं। अगर चेयरमैन एजूकेशन कमेटी ने निकाला है तो वह स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। लेकिन जो ५० रुपये से ज्यादा पाने वाले कर्मचारी हैं वे प्रेसाइडिंग अथारिटी को अपील कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम--यह "an appeal shall lie" है "an appeal shall be" नहीं है। यदि उससे अपना काम चल जाता है तब तो ठीक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--उससे काम चलता नहीं है, श्रीमन्।

श्री मोहनलाल गौतम--पेज १३ पर २८ (२) में बी की दूसरी लाइन में इन क्लाज बी जो लिखा हुआ है वह बी नहीं है बल्कि सी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जो बी क्लास के कर्मचारी हैं "in the case of an order"।

श्री मोहन लाल गौतम--यह सी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं बी नहीं पढ़ रहा हूं। जो धारा है उसको पढ़ रहा हूं। जो चेयरमैन एजूकेशन कमेटी को अपील होगी वह क्लास बी के कर्मचारियों की होगी। और नीचे के कर्मचारियों की अपील स्टेट गवर्नमेंट को होगी। इन दि केस आफ .....

श्री मोहन लाल गौतम--आप कहां पढ़ रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जब बी क्लास के लोगों की बहुत ऊंचे स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट के यहां अपील होगी और सी क्लास के लोगों की प्रेस्काइब्ड अथारिटी के पास होगी।

श्री मोहन लाल गौतम--भाई बी न पढ़ो, सी पढ़ो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--वो तीन सौ है, मैं कौन सा सी पढ़ूं?

श्री अध्यक्ष--आप जरा एक्सप्लेन कर दें!

श्री मोहन लाल गौतम--जिसको आप बी कह रहे हैं, वह सी है। बी जो लिखा हुआ है वह सी है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अलग अलग छपा हुआ है। कहीं बी लिखा हुआ है, कहीं (सी) लिखा हुआ है इसलिये यह कंफ्यूजन हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं केवल बी क्लास के कर्मचारियों के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि ए, बी, सी तीनों प्रकार के कर्मचारियों के लिये कह रहा हूं कि उनकी फाइनल अपील चाहे चेयरमैन एजूकेशन कमेटी को हो चाहे चेयरमैन साहब को हो, चाहे प्रेसीडेन्ट को हो या चाहे सुपरिन्टेन्डेन्ट को हो या लेडी सुपरिन्टेन्डेट को हो, सबको अपील प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के पास होनी चाहिए। इन सबकी अपील बिना ए, बी, सी का ख्याल किये ही होना चाहिए। बम्बई के अन्दर आमसन रिआर्गनाइजेशन कमेटी ने जो सुझाव इस बारे में रखे हैं वे इस प्रकार हैं उनका कहना तो यह है कि केवल पूरी अथारिटी के पास अपील होनी चाहिए। कमेटी ने कहा कि

"A proposal for the removal including cases of termination of service due to retrenchment or punishment of officers inculding that of suspending, reducing, fining, censuring, withholding increments or for inflicting punishment in any other form should be passed by a majority of the total number of members at a special general meeting called for the purpose after giving concerned a reasonable opportunity of explaining the allegations made against him."

हर मामले को इस प्रकार बोर्ड के अन्दर रखा जाना चाहिए यह एक बड़ा अच्छा सुझाव है और वहां जो गरीब कर्मचारी म्युनिसिपल बोर्ड के हैं उन सबको बराबर शिकायत करने का मौका भी न रहेगा और कम से कम यह तो रहेगा कि बोर्ड के अन्दर इस प्रकार के सारे मामले आ सकेंगे और सभी मेम्बरों को इस मामले में राय देन का अधिकार रहेगा। यह नहीं है कि चेयरमैन एजूकेशन कमेटी या प्रेसीडेन्ट के हाथ में ही यह चीज रहेगी। अब तक इन्डीविजुवल्स के हाथ में रहती थी लेकिन इसके बाद सारा मामला बोर्ड की मजारिटी सामने आयेगा और तब इस मामले में अन्याय की गुन्जाइश कम रहेगी और उसकी संभावना भी कम रहेगी। साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि उन्होंने इसमें डिस्क्रेशनरी पावर रखी है और वह इसलिये रखी है कि सीवेज और नाइट स्वायल के सम्बन्ध म उसक इस्तमाल कर पायेंगे। अगर डिस्क्रीशनरी पावर रखनी ही थी तो मैं कहता हूं कि वह और आगे बढ़ते और फमिली प्लानिंग और बर्थ कन्ट्रोल क्लिनिक्स वगैरह के लिये भी इस प्रकार के पावर रखत। या तो केवल एलेक्शन के लिये रखते और उसको और आगे बढ़ाते। इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान खेर कमटी की रिपोट की तरफ भी गया। वह कहती है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड को म्युनिसिपल पुलिस रखने का मौका मिलना चाहिए।

"We are of the opinion that every district and municipal board should be required to have its own police for the purpose of (1) protecting public property, (2) preventing and suppressing nuisance, (3) controlling traffic, (4) enforcing rules, regulations, by-laws, and orders issued under the Act and (5) co-operating in the maintenance of public peace and safety. In our opinion rules relating to the training, discipline and appointment of such police should be passed by the Government in consultation with the L. S.-G. Board whose appointment we have recommended in Chapter VIII."

माननीय मन्त्री जी यह कहेंगे कि हम सारे प्रदेश में म्युनिसिपल पुलिस की व्यवस्था नहीं कर सकते लेकिन फिर भी यह डिस्क्रीशनरी पावर में इसे रख देते तो सरकार म्युनिसिपल बोर्ड्स में "ऐज एक्सपेरीमन्टल मेजर्स" करवा सकती है। मैं जानता हूं कि बहुत सी म्युनिसिपल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बोर्ड्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हमेशा उनकी बहुत सी आर्थिक मांगे रहती हैं। लेकिन फिर भी चौखम्भा पन्चायती राज्य की योजना को सफल बनाने के लिये उसको पूरा करने के लिये और गांधीजी के विकन्द्रीयकरण स्वप्न को पूरा करने के लिये मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य मुरझा जायगा वैसे भी व्यय न कर ले सब लोग अपना शासन स्वयं करेंगे। इस सिद्धांत पर चलने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यदि सिविल क्रिमिनल जस्टिस के साथ साथ म्युनिसिपल पुलिस की कुछ व्यवस्था होती तो एक तरफ पुलिस की निरंकुशता कम होती। चूंकि जब म्युनिसिपैलिटी के हाथ में पुलिस होती तो पुलिस की जो शहरों में निरंकुशता होती है उसमें भी कमी होती और धीरे-धीरे हमारी जनता को और म्युनिसिपल बोर्ड्स को तजुर्बा होता और हमारे लोग अपने यहां की रक्षा के लिये अपना इन्तजाम स्वयं कर सकते। मुझे यह भी मालूम है कि सन् १८६८ से लेकर सन् १९०५ तक इस प्रान्त में म्युनिसिपल पुलिस थी। ब्रिटिश शासन काल में और वह इसलिये यहां से उस वक्त सन् १९०५ मे खत्म की गई थी कि खर्चा ज्यादा होता था। तो मैं नही कहता कि हम प्रान्त पर खर्च का भार बढ़ायें। आजकल जो हमारी पुलिस फोर्स है उसका ट्रैफिक पुलिस फोर्स का भी हिस्सा है उसको म्यूनिसिपल बोर्ड के हाथ में कर दीजिए। उस कमेटी की रिपोर्ट में भी राय दी है कि पुलिस का कन्ट्रोल म्युनिसिपल बोर्ड्स के हाथ में दे दीजिए इससे खर्चा कम होगा। चूंकि खर्चा प्रान्तीय सरकार का होगा और कार्य का संचालन म्युनिसिपल बोर्ड करेगी और काम भी अच्छा होगा और खर कमटी की जो भावनायें हैं वह भी कामयाब होंगी।

"Even in our own province from 1868 to 1905 the responsibility for maintaining the Police rested on the municipalities, but sometime after 1905 the Municipal Police was abolished in order to relieve municipalities of the financial burden of maintaining them and with a view to provincialise the Force."

[हमारे अपने प्रान्त में भी पुलिस को बनाये रखने की जिम्मेदारी सन् १८६८ से १९०५ तक म्युनिसिपैलिटियों के ऊपर थी, परन्तु पुलिस को प्रान्तीय बनाने के लिये तथा म्युनिसिपैलिटियों को उसके रखरखाव के भार से मुक्त करने के लिये १९०५ के बाद किसी समय म्युनिसिपल पुलिस को उन्मूलित कर दिया गया था।]

इस सम्बन्ध मे माननीय मन्त्री जी का ध्यान इंग्लैन्ड और यूरोप की म्युनिसिपैलिटियों की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे देश की इतनी अच्छी हालत हो गयी है कि हमारी म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हो सकती हैं इस सम्बन्ध में जैसा की इंगलैन्ड और यूरोप के अन्दर है क्योंकि इंगलैन्ड में तो म्युनिसिपैलिटियां इस सिद्धान्त के अनुसार आधारित हैं कि सरकार के अलग अलग सेंटर्स हों। काउन्टी गवर्नमेंट अलग हो, बरो गवर्नमेंट अलग हो कारपोरेशन गवर्नमेंट अलग हों, और अपनी गवर्नमेंट सेन्ट्रल अलग हो तो वहां तो सरकारों का एक जाल सा है। तो हमें यह देखना है कि कहां तक गांधी जी के आदेशों के अनुसार या चौखम्भा सिद्धांत के अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड्स को बना सकते हैं हमारा उद्देश्य म्युनिसिपल बोर्ड्स की ताकतों को छीनने का नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत यह नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट सस्पेन्स और रिमूवल की ताकत अपने हाथ में लेकर उसको विधानतः इतना शक्तिहीन बना दे कि उनको स्टेट गवर्नमेंट से हमेशा डर लगा रहे। मैंने तो देखा कि म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वैसा हम करेंगे। अगर इस प्रकार के विधेयक बनते चले जायेंगे तो म्युनिसिपल बोर्ड्स और टाउन एरिया ज्यादा से ज्यादा इस सरकार की दृष्टिपेक्षण करेंगे। जब कि हमारी प्रान्तीय सरकार ने अभी तक कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाया। अभी जबकि ३८-३९ में ही उस कमेटी ने यह बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि इस गवर्नमेंट को शीघ्र ही एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहिए जिसके तीस मेम्बर होने चाहिए और उसमें एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए जो कि लोकल बाडीज के मामलों को अच्छी तरह से जानते हों तो इस प्रकार का तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड

बना होता तो जो डिपार्टमेंटल इतना बड़ा बोझा है उसमें कमी होती और दूसरे हमें एक्सपर्ट्स की राय भी मिलती। साथ ही साथ अगर सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की चष्टा करती तो जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सर्विसेज बड़ा करप्शन और नैपोटिज्म है, और प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों में इस प्रकार के कर्मचारी हैं और घूसखोरी फैली हुई है। वह भी कम होती, अगर कागजात मांगे जाते हैं तो प्रेसीडेण्ट हस्तक्षेप करते हैं ऐसा कहा गया है अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस होता तो प्रान्त के स्वायत्त शासन की व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी सुधार होता। म्युनिसिपैलिटियों के चुने हुए मेम्बर और चुने हुए सभापति हैं उनको भी यह मालूम होता कि अब हमारा सम्बन्ध सीधे तौर से प्रान्तीय सरकार से नहीं होगा बल्कि बोर्ड्स के शासन में जानकार लोगों के बोर्ड्स से हमारा सम्बन्ध होगा।

सन् १९४८ से सरकार इस पर विचार कर रही है लेकिन माननीय मन्त्री जी ने कभी भी अपने भाषण में नहीं कहा कि हम एक ऐसा अमेंडिंग बिल ला रहे हैं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनायेंगे उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हम कुछ प्राविजंस ला रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह खुद पहलुओं पर विचार करें।

अब मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की ओर दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमें आक्ट्राय लगाने में दिक्कत होती है और फिर सिवेज के बारे में बतलाया, उसमें जो बस सर्विसेज हैं या इक्का, तांग या रिक्शा चलते हैं उनके और जो टाल से आमदनी होती है उसमें कुछ ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जिससे कि म्युनिसिपल बोर्ड्स जितनी पब्लिक युटिलिटी सर्विसेज हैं उनका इन्तजाम भी चलायें।

यू० पी० गवर्नमेंट की रोडवेज हैं। यह एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अनुसार चल रही हैं। मैं यह समझता हूं कि शहरों के अन्दर जो बसें चलती हैं उन्हें अगर उन्हीं रूट्स पर चलाने का अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे दिया जाय तो उससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है और इंगलैंड के या योरूप या अमेरिका के म्युनिसिपल बोर्डों के अनुसार यहां के बोर्ड टेलीफोन एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट सर्विस और गैस सर्विस भी चलावें। हमें अपने बोर्डों को इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह प्रवर समिति में इस बिल को ले जाकर इस ओर भी विचार करें। आप देखें कि इंगलैंड में इनके बारे में हरमन फाइनर ने क्या कहा है---

"These local authorities supervise direct and control our lives, awake and asleep at work and at play; they provide for all citizens a common minimum of health, education, relief of destitution, roads, peace, security and beauty of environments. They sell water, gas electricity, tramway, and bus transport. The scope and detail of their work are not describable, both are immense. They are indispensable members of the English body politic, as indispensable as the authorities at Westminster."

[यह स्थानीय अधिकारी वर्ग हमारे जीवन को, सोते, जागते, काम करते हुए या विनोद करते हुए, सब समय नियंत्रित करता है तथा पथ प्रदर्शन करता है; यह सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम उपलब्ध स्वास्थ्य का, शिक्षा का, दारिद्र निवारण का, सड़कों का, शान्ति का, सुरक्षा का और सुन्दर वायुमंडल का प्रबन्ध करता है। यह पानी, गैस, बिजली ट्रैम तथा बस यातायात की सुविधाओं को भेजता है। इसका कार्य-क्षेत्र विस्तीर्ण है तथा इसके कार्यों का सविस्तार वर्णन कठिन है। कार्य तथा कार्य-क्षत्र दोनों ही अत्यन्त अधिक हैं। अंग्रेजी संयुक्त-जीवन का यह वर्ग ऐसा अंग है जिसके बिना काम नहीं चल सकता जैसे कि वेस्ट मिनिस्टर के अधिकारी वर्ग के बिना काम नहीं चलता।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं यह नहीं कहता कि हम इंगलैंड की नक़ल करें। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय पद्धति के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार हम अपने म्युनिसिपल बोर्डों का ढांचा बनावें। उनके अधिकार बढ़ावें और साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दें। इसके साथ हमें उनके ऊपर कंट्रोल भी रखना चाहिये उस हद तक जिस हद तक कि उनके अधिकारों पर आघात न हो।

मैं काफ़ी समय ले चुका हूं। इस समय मैंने केवल सिद्धांत की बातें रखी हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बिल को अवश्य प्रवर समिति में ले जावेंगे। १० दिन का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। माननीय मंत्री को यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि यदि १० दिन में यह रिपोर्ट आ जावेगी तो चुनाव में कोई बहुत बड़ा गज़ब हो जायगा। जहां आपने ३ साल या ५ साल इलेक्शन नहीं कराये तो अगर १० दिन चुनाव और भी हट गया तो कोई बड़ी भारी आपत्ति नहीं आ जायगी। मैं समझता हूं कि मार्च में ही इलेक्शन हो जावेंगे जैसी कि आपकी घोषणा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव को समर्थन करने की कृपा करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष--आपका तो एक संशोधन है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--उसको श्रीमन्, मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्रीमन्, जहां तक पुराने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में या आजकल जो हमारा कांस्टीट्यूशन है उसके मुताबिक जितनी बातें एक दूसरे से असंगत थीं उनको दूर करने के लिये जो कुछ भी इस विधेयक में रखा गया है उससे मैं सहमत हूं और वह आवश्यक था और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सहर्ष स्वीकार करूं। लेकिन साथ ही साथ उसके माननीय मंत्री जी ने एक बात यह कही है कि असेम्बली के एलेक्टर रोल म्युनिसिपैलिटीज के लिये भी माने जायंगे और उसके लिये सरकार का दूसरा तुर्रा यह है कि १० रुपया वे लोग, जिनका नाम असेम्बली एलेक्टर रोल में नहीं है, अगर वे म्युनिसिपैलिटीज के लिये कराना चाहें तो १० रुपया देकर उनका नाम दर्ज हो सकता है। श्रीमन्, अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का नाम एलेक्टर रोल में नहीं था और आज वह क्वालिफिकेशन से हासिल करता है तो मंत्री महोदय के कहन के अनुसार उसको यह अधिकार न होगा कि वह म्युनिसिपैलिटीज में अपने राइट आफ फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज कर सके जो कि एक तरह से अन्यायपूर्ण है और डिमोक्रेटिक प्रिंसिपिल्स के बिलकुल विरोध में है।

श्रीमन्, इस विधेयक को देखने के उपरान्त एक नई बात उत्पन्न होती है और वह यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन या जो भविष्य में प्रेसीडेंट कहलायेंगे, श्रीमन्, आप इस डिपार्टमेंट से भलीभांति परिचित हैं, उनकी क्या दशा होगी। वह भी सब-इंसपेक्टर माने जाते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक हवाला देते हुए यह कहा कि अगर जरूरत हुई कि किसी सब-इंसपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही या इन्क्वायरी की जाय तो उसको मुअत्तल कर देना लाजिमी होता है।

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो मैंने इस सदन के सामने कोई बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष--जब तक वह बैठ नहीं जाते इस प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं इस बिल के पेश होने के संबंध में मंत्री जी से बात कर रहा था। उसी के दौरान में मंत्री जी ने यह कहा था। उसी का हवाला दिया है और आपने यह भी कहा कि जब तक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन मुअत्तल नहीं किये जाते उनके खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं की जा सकती है। उनके पास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट हैं और उनके पास काफ़ी सबूत हैं जिससे वह साबित कर सकते हैं और किसी म्युनिसिपैलिटी का

वह हवाला दे रहे थे कि लोकल आफिसर्स, म्युनिसिपैलिटीज की जो सर्विस हैं वह सबूत में आना चाहते हैं प्रेसीडेंट के खिलाफ, लेकिन उस चीज को वह कहीं आगे चल कर न निकालें वह उनके सामने कोई बात नहीं कह सकते।

श्रीमन्, यह लोकल गवर्नमेंट इंगलैंड में नाइंथ सेंचुरी से है। उस जगह भी आप देख सकते हैं और इंगलैंड में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में भी यह कहीं नहीं दिखाई देगा कि प्रेसीडेंट मुअत्तल किया जाय, निकाला जाय और जिस तरह से चाहे गवर्नमेंट उनके साथ व्यवहार कर सके। इंगलैंड में बहुत से फार्म्स हैं, स्माल जुरिस्डिक्शन, जिनके पास हैं। अगर मामला संगीन हो तो हाईकोर्ट में किया जा सकता है और रिट आफ मैंडमस से साबित किया जाय, ऐसा प्रावीजन है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है जो अपने अधिकारों को भूल जाते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यह सरकार की मुट्ठी में अधिकार दे देना कि उनको मोअत्तिल किया जा सके यह कहां तक उचित होगा? श्रीमन्, आपने कहा कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा तो श्रीमन्, क्या इसका सबूत है कि प्रेसीडेंट म्युनिसिपल बोर्ड ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। कल कोई गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट का ठेका नहीं है और न यही कहा जा सकता है कि इस मिनिस्टरी के रहते हुए उनके पास ही यह डिपार्टमेंट रहेगा।

अगर यह शंकाएं उत्पन्न होती हैं तो इसमें किसी की भूल नहीं है। मुमकिन है कि कल ये मेम्बर साहबान या कम्युनिस्ट वहां आ जायं। उसके बाद यह कहना कि गवर्नमट जो पावर में आती है वह अपनी पावर का सदुपयोग ही करती है, तो फिर श्रीमन् का सवाल ही कहां पैदा होता है। इसके माने यह हैं कि गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसका मिसयूज ही नहीं हो सकता है लेकिन वही पावर अगर लोकल बाडीज के पास जाय तो उसका मिसयूज हो सकता है। जहां तक किसी माननीय मंत्री जी का ताल्लुक है उनके लिये ऐसे आर्गुमेंट्स का सदन के अन्दर देना उचित नहीं मालूम होता है।

आप कहते हैं कि जब पावर आफ डिसमिसल है तो वह लाजमी है कि पावर आफ सस्पेंशन भी रहे। श्रीमन्, यह अंधेर है। प्रेसीडेंट म्युनिसिपल बोर्ड एलेक्टेड होता है और उसको आप निकाल देना चाहते हैं। ५० या ७५ हजार आदमी चुनकर के उसको भेजते हैं और एक मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर उसको आप निकाल देना चाहते हैं। यह प्रजातंत्र के उसूलों को देखते हुये एक शर्म की बात है। अगर आप के पास कोई सबूत है कि किसी मेम्बर या प्रेसीडेंट ने अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं किया है तो ऐसी सूरत में आप यह कर सकते हैं कि आप एक ट्रिब्यूनल बना दें और यह पावर आप जुडिशियरी को दे दें कि जो कार्यवाही वह करना चाहे वह डिफ लिंटग मेम्बर के खिलाफ करे। यह कहां का उसूल है कि इंक्वायरी या जो कुछ आप करना चाहें वह आप स्वयं करें। धारा ४८ में यह दिया हुआ है कि वह प्रेसिडेंट जो निकाल दिया जाय, वह अदालत में नहीं जा सकता है। संविधान के अनुसार माननीय मंत्री जी यह फरमाते हैं कि प्रेसिडेंट अगर निकाला जाता है तो उसको यह अधिकार होगा कि वह हाई कोर्ट में जा करके आपत्ति कर सके और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके। लेकिन श्रीमन्, जब तक धारा ४८ में आप यह रखते हैं कि जुडिशियरी को कोई अख्तियार नहीं होगा कि वह ऐसे मामलात में हाथ लगा सके, तब तक जो माननीय मंत्री जी कहते हैं उसके यह बिल्कुल विपरीत जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ४८ की ओर नहीं गया है। माननीय मंत्री जी सस्पेंशन और डिसमिसल को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप इनको किस तरह एक साथ मिला देते हैं।

श्रीमन्, ओरिजनल बिल में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स थीं वे इस बिल के कौंसिल में जाने के बाद कहीं नहीं दिखाई देती हैं। सम्पूर्ण विधेयक में यह कहीं नहीं मिलता है कि यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स होंगी। आप कह सकते हैं कि जब लेजिस्लेचर के मेम्बरान के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रेसीडेंट आफ दि यूनियन के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनके लिये क्यों रखी जाय। ठीक है लेकिन कोई ऐसी वैधानिक आपत्ति नहीं है कि आप कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख ही नहीं सकते हैं। यदि

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

आप यह चाहते हैं कि वे लोग वहां जाकर क़ानून समझ सकें और अपने धर्म और कर्त्तव्य का पालन कर सकें तो ऐसी हालत में उनके लिये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रखना निहायत जरूरी है। आप श्रीमन्, यह जानते हैं कि पहले लोगों के वहां जाने का क्या क्राइटेरियन था। पहले वही लोग जा सकते थे जो रुपया सर्फ कर सकते थे। आज यह हो गया है कि जिनके पास किसी पार्टी का लेबिल हो वे जा सकते हैं चाहे वे काग़ज न पढ़ सकते हों और एक्जिक्यूटिव आफिसर्स उनसे आंख मूंद करके दस्तखत करवा लेते हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---पढ़ा-लिखा भी न कुछ समझे तो क्या होगा ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह---वे पढ़े-लिखे जैसे होते हैं वह तो आप समझते हैं। श्रीमन्, इसमें एक एकाउंट आफिसर के लिये कहा गया है।

श्री अध्यक्ष---(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) मैं समझता हूं शायद उमून तो सब खत्म हो चुके।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, जो आज्ञा दें, मैं समाप्त करता हूं।

श्री बनवन्त सिंह (जिला मुजफ़्फ़रनगर)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अमेंडिंग विधेयक का सम्बन्ध है इसके लिये तो मुझे अपने स्वशासन मंत्री को धन्यवाद देना चाहिये इस कारण से कि बहुत अर्से से जनता की इच्छायें इस तरफ़ लगी हुई थीं कि कब इन मौजूदा म्युनिसिपैलिटियों से उनका पीछा छूटे। एक बड़ा लम्बा समय हो गया कि बराबर उनको मोहलतें मिल रही थीं और इन्तजाम की बुरी हालत थी कि इतनी ख़राबी उसके अन्दर पाई गई थी कि कोई इन्तजाम किसी म्युनिसिपैलिटी का ढंग का चल ही नहीं रहा था। तो मैं अपने स्वशासन मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद तो अवश्य दूंगा। कई बातें इसमें उन्होंने बड़ी विशेषता की रखीं हालांकि हमारे अपोजीशन के कुछ भाइयों को वह कुछ नागवार गुजरीं जैसे कि प्रेसीडेंट को या मेम्बर साहबान को सस्पेंड कर दिया जायगा। अगर आज कल की मौजूदा हालत को कोई भाई म्युनिसिपैलिटी में जा कर देखें तो उनको यह बात सफ़ा जाहिर होती है कि जो तरीक़ा इस समय तक उन प्रेसीडेंट्स या मेम्बर्स का है कि वे बार बार गड़बड़ी करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह इसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगा कि कोई ऐसा तरीक़ा होना चाहिये कि पब्लिक का उनसे पीछा छूट सके। यह मैं मानता हूं कि यह बात बड़ी खटकने वाली है कि ऐसे लोगों को जो कि पब्लिक ने चुने हों और उनको सरकार निकाल दे। मगर वह अब पुराना जमाना तो रहा नहीं जब कि वे जिस तरह से चाहें काम करते रहें। अब तो हमें ढंग के साथ काम करना है। तो जो हमारे स्वशासन मंत्री जी ने इस अमेंडिंग बिल में जो बात रखी है, मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल ही मनासिब बात है।

श्री अध्यक्ष---अब तो आप खत्म करें। मुझे एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ सम्बन्धी प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष---उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक, पर एक प्रवर समिति नियुक्त हुई है इस सदन द्वारा। नियम १०० के अनुसार कमेटी के जो चेयरमैन होंगे उनको मुक़र्रर मैं करूंगा। इसलिये चूंकि उस प्रवर समिति के सदस्य, माननीय मंत्री भी मौजूद हैं श्री चरण सिंह जी, उनको मैं चेयरमैन नियुक्त करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
५ दिसम्बर, १९५२।

पी० एस० यू० पी०—६५ एल० ए०—१९५२—८३०